राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५७वां दिवस [संख्या ३५

मंगलवार, दिनांक ८ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, पुनर्संस्थापन, राजस्व, श्रम, सामान्य प्रशासन, विकास, चिकित्सा, सिंचाई, स्वायत्त शासन, उद्योग, वन, शिक्षा, खनिज एवं नियुक्ति विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री सांवलियाराम

छात्र-वृत्ति

५००. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या हायर सेकन्डरी स्कूल, राजगढ़ जिला अलवर के आठ छात्रों को गत वर्ष की छात्र-वृत्ति नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या इन छात्रों को जो एक ही जाति के हैं, हर साल छात्र-वृत्ति मिलती रही है ?

(३) क्या सरकार इन्हें छात्र-वृत्ति दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्रिणी, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, क्योंकि उनके आवेदन-पत्र अपूर्ण थे ।

(२) छात्र एक जाति के नहीं है । विगत वर्ष के रेकॉर्ड से इस संबंध में सूचना अभी नहीं प्राप्त हो सकी है ।

(३) जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन छात्रों के फॉर्म्स अपूर्ण हैं वह सरकार को कब मालूम हुआ कि ये अपूर्ण हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जिस समय स्क्रुटिनी की जाती है स्कॉलरशिप देने के लिए उस समय ।

Page No. 2

श्री भैरोंसिंह : जिस समय स्कॉलरशिप देने के लिए यह आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए उस समय मालूम हो गया था कि अपूर्ण हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जिस समय आवेदन–पत्रों की जांच होती है उस समय देखा जाता है कि कहां क्या कमी है।

श्री भैरोंसिंह : आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के कितने दिनों के बाद जांच होती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तो मैं निश्चित नहीं बता सकती। आवेदन-पत्र आते हैं और उसके बाद सीमा के अन्दर ही उनकी जांच हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आवेदन-पत्रों की जांच के बाद छात्रों को सूचना दी गयी थी कि तुम्हारे आवेदन-पत्र अपूर्ण हैं और इस लिए छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अकोर्डिंग टू दी रूल्स मिलनी चाहिए और जब तक इसके विपरीत सूचना नहीं मिलती है तो यही मानना चाहिए........

श्री अध्यक्ष : किस प्रकार की कमियां थीं जिससे आप उनको अपूर्ण मानते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट नहीं लिखा था।

श्री भैरोंसिंह : यह तो उनको सूचना दी जा सकती थी। इसके अलावा यह भी बात है कि आवेदन-पत्र पहले भरे जाते हैं और रिज़ल्ट मालूम नहीं होता है जैसे अब गर्मियों की छुट्टियों में कई फार्म्स रिज़ल्ट मालूम होने के पहले ही भरे जायेंगे।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फॉर्म्स एग्ज़ा-मिनेशन के बाद ही लिए जाते हैं। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो पहले भी ले लिए जाते हैं। वैसे एग्ज़ामिनेशन का परिणाम लिखा जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह छात्र उसी स्कूल के थे जिस स्कूल के प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि वे इन वे स्कूलों के थे तो स्कूल की ऑथोरिटीज़ को क्या आवश्य-कता थी कि जब तक छात्र एन्ट्री न करें और परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों या न हों, वे स्कूल की तरफ से उन फार्म्स को भर सकते थे ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि समाज कल्याण के द्वारा पिछड़े वर्ग को स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाय तो उसका बहुत सिम्पेथेटिक एटीट्यूड लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह किन्हीं टैक्निकल ग्राउन्ड्स पर खारिज न हों। कुछ दिक्कतें हों तो आप उन्हें पूरा करके भेज दें........

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अकोर्डिंग टू दी रूल्स तो उनको सूचना दे दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप रूल्स को न बतावें। रूल्स को सिम्पेथी के साथ इम्प्लीमेन्ट कर सकते हैं। ऐसी हिदायत आप विभाग को दे दें।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

पुरुषार्थी किसान समिति से सरकार का समझौता

५०१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या पुनर्संस्थापन मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने अलवर व भरतपुर को किसान समिति से कुछ समझौता कर उन्हें कुछ रियायत देने की स्वीकृति दी थी ?

(२) यदि हां, तो उक्त समझौते को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि पुरुषार्थियों से जमीन की कीमत लेने के आंकड़े भी अभी पूरी तरह तय नहीं हुए हैं ?

(४) क्या सरकार ने भारत सरकार से बात कर इन पुरुषार्थियों के क्लेम देने की बात तय करवा दी है ।

उप-मंत्री, पुनःसंस्थापन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) यह सही नहीं है । केन्द्रीय सरकार ने जरूर नोन कमिटेड डिस्प्लेस्ड किसानों की जमीन को कीमत के बारे में एडहोक बेसिस पर फैसला करने की मंशा जाहिर की थी और राजस्थान सरकार से राय मांगी थी । राजस्थान सरकार ने पुरुषार्थियों से बातचीत करके केन्द्रीय सरकार को सुझाव भेजे । वे सुझाव केन्द्रीय सरकार ने मंजूर नहीं किये । मामला विचाराधीन है ।

(२) सवाल पैदा नहीं होता ।

(३) आंकड़े करीब करीब तैयार हो गये हैं, पर उनका चेकिंग हो रहा है ।

(४) क्लेम के बारे में केन्द्रीय सरकार ने हमारे सुझाव नहीं माने और खुद के जारी किये गये हुक्म को ही फाइनल माना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार २५-५-६१ को जो पुरुषार्थी कॉन्फ्रेन्स के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ और राजस्थान सरकार के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ के बीच जो फैसला हुआ है उसको डिस्क्लेम करती है ?

श्री परसराम मदेरणा : समझौते का प्रश्न नहीं है । आपके और हमारे बीच प्रोब्लम्स के लिये डिस्कशन हुआ था और आपने जो सुझाव दिये वे केन्द्रीय सरकार के पास भेजे । लेकिन उन्होंने उन्हें माना नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उनमें से एक सुझाव ऐसा है जिसका ताल्लुक खुद राजस्थान सरकार से है जो कि पैरा ६, सब क्लॉज़ (२) है जिसके मुताबिक राजस्थान सरकार को पुरुषार्थियों को १ करोड़ रुपया बिस्वेदारी एबोलिशन की तहत मुआवजे का बिस्वेदारों को देना पड़ता है ! उसमें से सब्सट्रेक्ट करने का फैसला लिया उस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : लिख कर भेजा गया है, लेकिन जवाब आया नहीं । हम उसी स्टेन्ड पर कायम है जो बातचीत हुई थी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जो असेसमेंट हो रहा है जमीन की कीमत का वह १ करोड़ का काम्पेन्सेशन निकाल कर हो रहा है या अलावा हो रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : कम्पेनसेशन के बारे में अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट की फाइनल रिप्लाई जो कस्टोडियन जनरल से आनेवाली थी इसमें से डिडक्ट करके लेने के विषय में तय करने की, यह जब तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नहीं आती तब तक निश्चित कार्यवाही नहीं की जा सकती डिडक्ट करने की। जैसा कि हमने आपसे २५–५–६१ को मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में बात–चीत की थी उसके बारे में हमने लिख कर भेजा है । लेकिन जवाब नहीं आया। परयूं कर रहे हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मंत्रीजी ने १६ अप्रेल को बहस का उत्तर देते कहा था कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसका अक्षरशः पालन किया जायेगा, विपरीत करने का सवाल नहीं है; लेकिन आज मंत्रीजी जो उत्तर दे रहे हैं उससे मालूम हो रहा है कि उस प्रकार की बातें नहीं अपनाई जा रही हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ऐसा नहीं है कि जो फैसला किया गया है सरकार उसके खिलाफ जायेगी। यदि आपका मतलब यह है कि बिस्वेदारी अबोलिशन की वजह से जो कम्पेन्सेशन बिस्वेदारों का होता है उसमें से जो रकम डी. पीज़. से वसूल करनी है उसको डिडक्ट करके बाकी रकम वसूल की जाय तो जो इसमें निर्णय किया है उस पर कायम हैं। यदि वह केलकुलेशन में नहीं होगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : जो मुकदमे चल रहे हैं वे अब तक वापिस नहीं हुए उनके बारे में क्या इसका फैसला यह हुआ था कि जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं वे वापिस लिये जायेंगे ? वे आज तक चल रहे हैं उनके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल अलग सवाल है। कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं। क्या सबको वापिस करवाना चाहते हैं ?

श्री रामानंद अग्रवाल : अभी तक सब मुकदमे चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो कहा कि यह अलग सवाल है। नेक्स्ट।

आमेर तहसील के कृषकों को दी जानेवाली रिफण्ड्स

५०२. श्री मानसिंह महार (आमेर) : Will the Revenue Minister be pleased to state :—

1. Has the Government given remission worth two annas in a Rupee in the Settlement Rates of Tehsil Amber and has the money been refund to the cultivators ? If not, why will the Government immediately distribute the excess amounts to the cultivators ?

(श्री मानसिंह महार)

2. Why have the Govenrment taken nearly five years to return the said amount and what action the Government propose to teke against the persons found responsible for this delay ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : 1. Yes, Government had reduced the rent to the extent of 2 annas in a Rupee in 98 villages of Tehsil Amber. The excess amount realised has been treated as advance payments, to be adjusted against future demand.

2. The reduced rent rates were sanctioned in 1959. For adjustment of the excess amount, Assamiwise and Sambat-wise statements had to be compiled and the compilation work has been completed recently; as such there has been no avoidable delay. The question of taking action against any person does not arise.

श्री मानसिंह महार : क्या १९५९ से कागजात तैयार करने में ३ वर्ष लगने पर भी आप समझते हैं कि अन्नेसेसरी डिले नहीं हुई, no unnessary delay happened ?३ साल में भी डिले नहीं हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९५९ के मध्य में फाइनल मन्जूरी हुई थी। उसके बाद ५ साल के खाते आसामी वाइज़, रेन्ट वाइज़ बनाने हों तो उनको बनाने में और रेगुलर ड्यूटी परफोर्म करने में समय लग सकता है।

श्री मानसिंह महार : क्या इस फसल के पूर्व दे दिया जायेगा पैसा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रबी और खरीफ दोनों फसलों में सारा एडजस्ट हो जायेगा।

प्रश्न संख्या ५०३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

हिन्दी के विकास के लिये सरकारी स्तर पर प्रयत्न

५०४. **श्री निरन्जननाथ आचार्य** (राजसमन्द) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राज्य में राज्य भाषा हिन्दी के विकास के लिए सरकारी तौर पर क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(२) क्या सभी राज्य कर्मचारी हिन्दी सीख चुके हैं या जानते हैं ? यदि हां, तो क्या समस्त राजस्थान में कोई एक राजकीय परीक्षा लेना सरकार के लिये सम्भव होगा ? यदि नहीं, तो अभी कितना समय और लगेगा कि समस्त राज्य कर्मचारियों की एक स्तरीय राजकीय परीक्षा सम्भव हो सके ताकि सरकारी कार्य पूर्ण रूपेण हिन्दी में ही हो सके ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) संलग्न सूची के अनुसार निर्णय लिए गए हैं।

(२) कुछ अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को छोड़ कर सभी कर्मचारी हिन्दी जानते हैं।

Page No. 6

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(३) जिन कर्मचारियों को मैट्रिक स्तर की हिन्दी का ज्ञान नहीं है उनको राजकीय स्तर पर प्रशिक्षण देकर परीक्षा ली जायेगी।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फॉर्म में उल्लेख किया गया है कि जिनको मैट्रिक तक हिन्दी का ज्ञान नहीं है उनकी राजकीय स्तर पर परीक्षा ली जायेगी। अब तक क्या कार्यक्रम परीक्षा लिये जाने का हुआ है और यदि परीक्षा ली गई है तो परीक्षा-फल क्या है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग अलग विभागों से जानकारी की जा रही है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, १९६१ के अन्त तक सूचना प्राप्त की गई थी जो एकत्रित की जा रही है। उसके बाद पता लगेगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं। इसका पता लगने के बाद आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या सर-सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से हिन्दी की शिक्षा के लिये कार्यक्रम बनाया जा चुका है और उनकी ओर से शिक्षक भी भेजे गये हैं जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विभागों में शिक्षा दे रहे हैं और साथ ही यहां के कर्मचारियों को भी शिक्षा देने का उनका उद्देश्य है, क्या सरकार उनसे फायदा उठा रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उत्तर दे चुका हूं कि सभी जगहों से जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे कदम उठाया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अन्तिम पंक्ति में दिया है, हिन्दी में कार्य प्रारम्भ हो सके तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ विभागों में चालू किया गया है, जैसे रेवेन्यू विभाग में किया है। हमारे पास हिन्दी टाइप राइटर और दूसरी जानकारी होगी उसके बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त; जैसे हैड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स हैं उनके विषय में कहां तक सक्रिय हैं उनको हिन्दी शिक्षा देने के लिये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अहिन्दी भाषी सरकारी अफसर हैं उनसे मतलब है क्या आपका?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वे जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कोई आधार है जिससे इस सम्बन्ध में शिक्षा के लिये आग्रह नहीं, बाध्य किया जाय कि वे हिन्दी शिक्षा ग्रहण करें?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से वे स्वयं इस चीज को समझते हैं और आवश्यक शिक्षा ले रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो कर्मचारी हिन्दी जानते हैं और जानते हुए भी अंग्रेजी में काम होता है उसको रोकने के लिये आपने

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या रखा है कि जो जानते हैं अंग्रेजी में काम कतई नहीं करें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसीलिये कुछ विभागों में इस बारे में कार्यवाही की गई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अभी तक कार्यक्रम सरकार द्वारा किया गया है हिन्दी की शिक्षा दी गई है या नहीं दी गई है ? क्या सरकार उल्लेख कर सकती है कि जो कार्यक्रम रखा गया उसमें कहां तक कर्मचारियों को शिक्षा देने में सफल हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कई जगह टाइपिस्टों और स्टेनोज़ को अग्रिम वेतन की सुविधा दी गई है और काफी व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण की है। दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, जिनके अलग अलग आंकड़े लिये जा रहे हैं, ऐसी सुविधायें हैं। सरकारी ओर से क्लासेज़ चालू करने के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं हो कि कितने लोग ऐसे हैं तब तक इस सुविधा को करने के ऊपर फैसला करना मुश्किल है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसकी गणना के सम्बन्ध में सरकार कोई योजना रखती है जिससे मालूम हो कि कितने अहिन्दी भाषी हैं, कितने शिक्षा ले चुके हैं और कितने शिक्षा लेने के लिए अवशेष हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि १९६१ तक की सूचना भेजने के लिए प्रत्येक विभाग को लिख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

विकास खण्ड कार्यालय, गोविन्दगढ़ का भवन

५०५. श्री मानसिंह महार (आमेर) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

1. On what date was the Construction work of the building of the Block Development Office in Govindgarh (Jaipur District) started and on what date was the land, on which the said work was started acquired by the Government ?

2. Is it a fact that the work was started long before the said land was actually acquired ?

3. Was the contract for the construction of the said building given to any society and was that particular Society legally registered before the said contract was given ?

उप-मन्त्री, सामुदायिक विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : 1. Started on 29th November, 1960. The land was not acquired.

2. No.

3. No.

श्री मानसिंह महार : मेरा प्रश्न बहुत क्लीअर है। 'No', 'No'. का जवाब कोई

(श्री मानसिंह महार)

जवाब नहीं है। पार्ट ३ में है : 'was the contract for the construction of the said building given to any society ?' The reply is: "No," and "was that particular society legally registered before the said contract was given ?" The reply is 'No'.

अब क्या रिप्लाई मानूं ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : 'No' मानिये।

श्री मानसिंह महार : अब आप देखिये, यानी आंख मीचकर जवाब दे दिया है; After one month, this question has matured and even then I get such a hypothetical reply. मैं क्या अर्ज करूं ?

श्री अध्यक्ष : पहले पार्ट का 'No' मानिये।

'Was the contract for the construction of the said building given to any society ?' 'No.'

श्री मानसिंह महार : And the contract was given to a society. I can assure the House that the reply is quite wrong.

श्री दिनेशराय डांगी : For the third, I am sorry. It was given to Shramik society, Govindgarh. श्रमिक सहकारी समिति है। जैसी रिपोर्ट मुझे मिली वैसा निवेदन कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप फिर से वापिस दोहरावें, 'No' की जगह का उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : 'No' की जगह 'Yes' हो गया।

श्री मानसिंह महार : This is an important question : 'Was the contract for the construction of the said building given to any society and was that particular society legally registered before the said contract was given ?'

श्री दिनेशराय डांगी : यह मेरे पास जानकारी में है। श्रमिक सहकारी समिति का मतलब रजिस्टर्ड ही होना चाहिये। इतना माननीय सदस्य पता लगा सकते हैं कि सहकारी समिति रजिस्टर्ड होती है, अनरजिस्टर्ड नहीं।

श्री अध्यक्ष : सहकारी समितियां रजिस्टर्ड नहीं होतीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : सहकारी समितियां जनरली रजिस्टर्ड होती हैं।

श्री अध्यक्ष : जनरली का प्रश्न नहीं है; स्पेसिफिक पूछा गया है : 'Was this particular society legally registered or not ?'

श्री दिनेशराय डांगी : यह प्रश्न सहकारी विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : Then you should have given such a reply in the beginning.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है ?....

श्री अध्यक्ष : Order please ! I do not think, we can appreciate the attitude of the Ministers. The question is very specific. 'Was the contract given

(श्री अध्यक्ष)

to a particular society ? If so, was the society registered ? A very simple question.

श्री भैरोंसिंह : वैसे भी कॉन्ट्रेक्ट देने के पहले देखना पड़ता है कि रजिस्टर्ड है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : उसी से सम्बन्धित है, ठीक तरह से दिया या नहीं।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, सोसाइटी दस दिन के बाद में रजिस्टर हुई है और कॉन्ट्रेक्ट पहले दे दिया है। सोसाइटीज़ को जो एडवान्टेज मिलता है वह उसको दे दिया गया and the society was actually registered ten days after the contract was given और सवाल है कि जवाब में यह छिपाने की क्लीअर कोशिश की कि यह गलती मालूम न हो जाय, इसलिए सदन के अन्दर यह बात कही गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह तो मानते हैं कि सहकारी समिति दस दिन बाद रजिस्टर हुई। कोई सहकारी समिति, जिसमें एक प्रकार की चीज करने वाले आदमी हों, दस आदमी से ज्यादा हों, अपने आपको रजिस्टर करवाने के लिए दर्ख्वास्त पेश कर दे और फॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन न हुआ हो, फिर भी उसे रजिस्टर करने वाले हैं, क्योंकि उस सोसाइटी ने रजिस्टर कराने के लिए दर्ख्वास्त कर दी है। उसका रजिस्ट्रेशन दस दिन के बाद हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रेक्ट दस दिन पहले मिल गया है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सहकारी समिति को किन शर्तों पर कॉन्ट्रेक्ट दिया जाय, वे निश्चित की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : पहली शर्त कि रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है और रजिस्ट्रेशन के काम में टाइम लगने से दस-पांच दिन बाद रजिस्ट्रेशन दिया है तो उस बिना पर सहकारी समिति को काम न देना ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : You are propounding a very dangerous rule. मान लीजिए, सोसाइटी रजिस्टर्ड न हो पाती, तो जो कॉन्ट्रेक्ट दे दिया उसके अन्दर कितने कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जाते। Admit your mistake and say that you will be more careful in future. That is the only course the House can adopt. आपके कहने के मुताबिक अगर कॉन्ट्रेक्ट दे देते हैं और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत पैदा हो जाती है तो उसमें कितने कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होते। इसलिए यह कहना कि रजिस्ट्रेशन नहीं था तो भी कॉन्ट्रेक्ट दे दिया ठीक नहीं है। मान लीजिये कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसमें बोनाफाइडी हो सकती है, लेकिन as a general rule, society has got to be registered, so far as I can say, before any contract or concession is allowed to a co-operative society. It is a general rule, which you have to accept.

Shri Anand Singh Kachawa.

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, इसमें और सप्लीमेन्ट्री करने दें।

Page No. 10

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया, साहब।

श्री मानसिंह महार : अभी नम्बर दो पर हुआ है, नम्बर तीन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे....

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर व महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर

५०६. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर 'अ') : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पिछले पांच वर्षों में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर व महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर पर कितना रुपया एडीशन, ऑलट्रेशन व एक्सटेंशन में खर्च हुआ है ?

(२) उक्त दोनों अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितने कितने मरीज आउटडोर व इन्डोर रहे हैं ? कृपया अलग अलग बतायें कि उक्त दोनों शफाखानों में पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष प्रति मरीज औसतन कितना व्यय हुआ है ?

उप-मंत्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : पिछले पांच वर्षों में जयपुर हॉस्पिटल में साढ़े सत्रह लाख खर्च हुआ है और जोधपुर के अस्पताल में साढ़े तीन लाख खर्च हुआ है। और मरीजों की संख्या आउट डोर में जयपुर के अस्पताल में २ लाख १० हजार है और प्रति मरीज २.५५ नये पैसे खर्च हुआ है, जब कि जोधपुर में आउट डोर मरीजों की संख्या २ लाख, ६० हजार है और प्रति मरीज पर .६६ खर्च हुआ है। इसी तरह इनडोर मरीज जयपुर में १५,३४५ हैं और इन डोर मरीजों पर प्रति मरीज १३६.८८ नये पैसे खर्च हुआ है, जब कि जोधपुर में इनडोर मरीजों की संख्या १३,१०० है और प्रति मरीज ६१.६६ नये पैसे खर्च हुआ है। तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जयपुर और जोधपुर के परसेन्टेज को देखते हुए जयपुर में अधिक खर्च होता है ?

श्री अध्यक्ष : यह आप हिसाब लगा लीजिये।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : हिसाब मैंने बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : हिसाब आपने लगा कर बता दिया। अब क्या पूछ रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार........

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : इस खर्च को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौनसे खर्च को ? जयपुर अस्पताल में कम खर्च किया जाय, यह मतलब है ?

Page No. 11

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपका मतलब है कि जोधपुर हॉस्पिटल में और बढ़ा दिया जाय।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मेरा मतलब है कि जयपुर में ज्यादा खर्च होता है और जोधपुर में कम खर्च होता है।

श्री मानसिंह महार : एम०एल०एज़० ज्यादातर जयपुर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं, जोधपुर में नहीं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जोधपुर के हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए जितने डॉक्टर हैं और नीचे का स्टाफ है वे इनडोर से ज्यादा परसेन्टेज में हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

तहसील आसीन्द के तालाब

५०७. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जागीर एबोलिशन के बाद कितने फूटे हुए तालाब आसीन्द तहसील में सरकार के कब्जे में आये ?

(२) सरकार ने इनको ठीक कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य किया और अब इनके सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जागीर उल्लेखन के पश्चात् कोई फूटा हुआ तालाब तहसील आसीन्द में, सरकार के कब्जे में नहीं आया।

(२) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तिलोली और राछूड़ा के तालाब हैं वे जागीर अबोलिशन के बाद सरकार के कब्जे में नहीं हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कुछ ऐसे तालाब कब्जे में हैं जिनकी पाल सरकार के कब्जे में है और पेठ जागीरदार के कब्जे में हैं। इसकी जांच की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ ऐसे तालाब हैं जिनकी पेठ और पाल दोनों सरकार के कब्जे में हैं, इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : इसके सम्बन्ध में एक्विज़ीशन की कार्यवाही चालू है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तिलोली का टैंक है, वह जागीर अबोलिशन के बाद सरकार के कब्जे में आया है, वह कब तक बन जायेगा ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : सर्वे हो चुकी है, एस्टीमेट आ चुके हैं और तखमीने की जांच हो रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या ऐसे तालाब कब्जे में आये हैं जो पचास एकड़ से कम हैं और जिनको पंचायत के सुपुर्द किया गया है ? उनको बनवाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

Page No. 12

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह पंचायत समिति जाने ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पंचायत समिति को इनके लिए फंड अलॉट किया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : फंड जितना अलॉट करने का नियम है वह किया जाता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या जितनी रकम आवश्यक है उतनी रकम अलॉट की गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां ।

कामां पहाड़ी जल-मग्न-क्षेत्र के वासियों की सहायता

५०८. श्री **मजलिस खां** (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कामां-पहाड़ी जल-मग्न-क्षेत्र के वासियों की सहायता करने तथा पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जावेगा ?

(२) क्या उक्त जल-मग्न क्षेत्र के ग्रामों की मालगुजारी माफ करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस आशय का आदेश तहसीलों में कब तक पहुंच जावेगा ?

(३) क्या उक्त क्षेत्र को सरकार ने अकाल एरिया घोषित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : कामां पहाड़ी के जलमग्न क्षेत्र के किसानों को सम्वत् २०१८ की खरीफ फसल में ६७७६) ६० की थाम (सस्पेन्शन) दी जा चुकी है । पशुओं के चारे की व्यवस्था सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(२) जिलाधीश द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से प्रस्ताव मंगवाये गये हैं और यदि उक्त ग्राम के निवासी नियमानुसार सहायता दिये जाने के अधिकारी होंगे तो वसूली से पूर्व ही इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ।

(३) जी नहीं । फेमिन कोड के पैरा ७ (डी) के अनुसार यदि जिलाधीश अभाव ग्रस्त ग्रामों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री मजलिस खां : क्या आपने कलेक्टर से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है ।

श्री मजलिस खां : रिपोर्ट कब तक पहुँच जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी आ जावेगी ।

श्री मजलिस खां : क्या सरकार इस कष्ट को हमेशा के लिये मिटाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसको हमेशा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के लिये मिटाने के लिये पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान; इन तीनों स्टेटों में मिल कर कामां पहाड़ी पर एक इन्डस्ट्रियल योजना बनाई जा रही है। पॉवर मिशन से एप्रूवल हो गया है। लगभग इसमें दो करोड़ का एक्सपेन्डीचर होगा। इसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन होने वाली है। इसमें जितना राजस्थान सरकार का हिस्सा होगा वह राजस्थान सरकार शेयर करेगी!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने जिस फेमिन कोड का हवाला दिया है क्या यह फेमिन कोड पब्लिश करा दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑलरेडी इन-एग्ज़िस्टेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि फेमिन कोड के अनुसार जिलाधीश अकाल ग्रस्त गांवों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। यह फेमिन कोड कब पब्लिश हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सेपरेट क्वेश्चन है।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक यह पब्लिश नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : It means, it is not available to the public ?

श्री भैरोंसिंह : It has not been published as yet.

श्री अध्यक्ष : क्या गजट में अभी तक नहीं आई है ?

श्री भैरोंसिंह : कभी नहीं आई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : लोगों को मालगुजारी से राहत देने के बारे में सरकार क्या कुछ सोच रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि अभी सस्पेन्शन दिया है। अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद में कोई कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट आपकी फेमिन कोड के अनुसार कब तक आनी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ३० अप्रैल तक आनी चाहिये थी मगर नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट आनी चाहिये थी मगर नहीं आई है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ३० अप्रैल फाइनल रिपोर्ट आने की तारीख है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३० अप्रैल फाइनल रिपोर्ट आने की तारीख है, मगर आई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एक्सप्लेनेशन मांगा है इसके लिये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वहां पर चारा-वितरण करने का प्रश्न है। सरकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस पर विचार नहीं कर सकती। इसके सम्बन्ध में यह जवाब दिया कि इस पर सरकार नहीं सोचती , कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है; इसका क्या कारण है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार कार्यवाही की गई, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट में कोई रिकमन्डेशन नहीं की गई है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि यह फ्लड का केस है। आस-पास में चारा मिल सकता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जब फ्लड आता है तो सब बर्बाद हो जाता है।

श्री मजलिसखां : लोगों को पशुओं के लिये चारा खरीदना पड़ता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसी तरह से पंजाब के गुड़गांव जिले में पानी आया था। वहां की सरकार ने वहां के लोगों के लिये प्रति व्यक्ति ५ मन गेहूं ६ महीनों के लिये दिये। चाहिये तो यह था कि माननीय मन्त्री वहां पर जाकर आश्वासन देते और जल्दी से जल्दी उनको रिलीफ दिलाते। मगर अभी तक वहां के लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला है। सन् ५७ से आज तक लोग भूख से मर रहे हैं और चारे की कमी से जानवरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। यह बड़ा अन्याय है इस इलाके के साथ। इसलिये इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नाथूलाल करोल।

पुरुषार्थियों के लिये क्वार्टर्स

५०६. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) [श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया] : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर स्थित राजा पार्क कोलोनी में पुनर्वास विभाग द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए पुरुषार्थियों के लिये क्वार्टर्स बनवाये गये हैं ? अगर हां, तो कितने ? उनमें से कितने क्वार्टर्स, कितने व्यक्तियों को आसान किश्तों में क्वार्टर्स की कीमत २० साल में पूरी करने के लिये अलॉट किये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन क्वार्टर्स में से कुछ क्वार्टर्स में आनन्द आश्रम नामक पुरुषार्थियों का एक होम चल रहा है ? अगर हां, तो कब से चल रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि इन आश्रितों में से कुछ ने सरकार से इन क्वार्टर्स को सरकार द्वारा नियत कीमत पर आसान किश्तों में अलॉट करने के लिये आज से १५ माह पूर्व निवेदन किया था और इन क्वार्टर्स के अलॉट हो जाने पर सदैव के लिये आश्रम छोड़ कर अपने पांवों पर खड़ा होने का वायदा किया था ? यदि हां, तो आज तक सरकार द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा

(श्री नाथूलाल करोल)

इन क्वार्टर्स को अलॉट करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

(४) क्या यह सही है कि इस आश्रम के आश्रितों पर सरकार द्वारा उनके प्रशासन एवं खाद्य इत्यादि पर बहुत खर्चा होता है और इन आश्रितों द्वारा होम छोड़ कर चले जाने पर सरकार का काफी खर्चा कम हो सकता था ? यदि हां, तो इन आश्रितों को क्वार्टर अलॉट न करने से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

उप-मन्त्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा): (१) राजापार्क कॉलोनी में राजस्थान सरकार द्वारा ५४२ क्वार्टर्स बनवाये गये थे उन में से २६४ क्वार्टर्स तो आसान २० सालों की किश्तों पर पुरुषार्थियों को दे दिए गये थे तथा शेष किराये पर थे। केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार किराये पर दिये गये क्वार्टरों को रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

(२) इस समय १०६ क्वार्टर्स आनन्द आश्रम के तथा ८ क्वार्टर्स स्कूल के पास किराये पर हैं। आनन्द आश्रम १३-६-५५ से इन क्वार्टरों में चल रहा है।

(३) ऐसा एक प्रार्थना-पत्र पुरुषार्थियों द्वारा सरकार को प्राप्त हुआ था तथा उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा भी इन क्वार्टर्स को आनन्द आश्रम में रहने वाले कुछ पुरुषार्थियों को आसान किश्तों पर देने के लिये सिफारिश की गई थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार के आधार पर यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

पुरुषार्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में दूसरा प्रार्थना-पत्र आने पर मामले पर पुनः विचार किया जाकर यह तय किया गया है कि इन क्वार्टर्स को इनकी लागत में कुछ बढ़ोत्तरी करके हायर पर्चेज़ सिस्टम पर होम के पुरुषार्थियों को ही अलॉट कर दिया जाय। मगर चूंकि इस प्रकार का फैसला केन्द्रीय सरकार के आदेश के विपरीत पड़ता है, अतः भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और इसके लिये कलेक्टर जयपुर से कुछ सूचना और मांगी गई है।

(४) आनन्द आश्रम ट्रस्ट फोर सिन्धी मेन तथा चिल्ड्रन के अधीन चल रहा है और इस आश्रम में रहने वाले पुरुषार्थियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्चा किया जाता है अतः राजस्थान सरकार के इन आश्रितों को होम छोड़ कर चले जाने पर खर्च के कम हो जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने रिपोर्ट भेज दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने सूचना मांगी है, अभी सूचना मिली नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उन्होंने सूचना भेज दी है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय को जानकारी करनी चाहिये, जब

Page No. 16

(श्री जयनारायण सालोदिया)

क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरी जानकारी करनी चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि कल तक जो सूचना मिली है वह निवेदन कर दी । एडीशनल इन्फोर्मेशन कलेक्टर से मांगी है वह नहीं मिली है, मैं मालूम कर लूंगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब तक शरणार्थियों को अलॉट कर देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जो आक्षेप हैं उनको नोट करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिख रहे हैं कि क्वार्टर्स रीजनल सेटलमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का रहता है उनको सौंप दिये जांय । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने डिटेल करने के आदेश दिये हैं । अलॉट करने के आदेश नहीं दिये हैं । पुरुषार्थी भाइयों की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को सिफारिश करने वाले हैं कि क्वार्टर्स पर्चेज़ सिस्टम पर अलॉट कर दिये जायं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो अलॉट किये गये हैं उनमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया गया है या नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : हमने जो क्वार्टर्स अलॉट किये हैं उनमें कुछ तो हायर पर्चेज़ सिस्टम पर अलाट किये हैं, कुछ सेल किये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : हायर पर्चेज़ सिस्टम पर क्वार्टर्स अलॉट कर दिये तो अब आइन्दा इस तरह अलॉट करने में क्या दिक्कत आती है ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने आदेश दिये हैं कि अलॉट नहीं कर के सेल किये जायं ।

श्री भैरोंसिंह : हायर पर्चेज़ सिस्टम पर अलॉट किये तो क्या भारत सरकार की अनुमति से अलॉट किये ?

श्री परसराम मदेरणा : उस वक्त तो अनुमति नहीं ली, इस कारण से कि सबके सब साथ में पर्चेज़ नहीं कर सकते, इसलिये हायर पर्चेज़ सिस्टम पर दे दें तो रह सकते हैं । पर बाद में भारत सरकार का आदेश आ गया कि रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर को ट्रान्सफर कर दीजिये और उनको सेल कर दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं थे इसलिये राजस्थान सरकार ने जब चाहा हायर पर्चेज़ सिस्टम पर दे दिया और जब चाहा बेच दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, ऐसी बात नहीं है । भारत सरकार का ज्योंही आदेश आ जाता है कि अलॉट मत कीजिये तो बन्द कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह : आदेश तो पहले ही था ।

श्री परसराम मदेरणा : पर दूसरा यह आदेश मिल जाता है कि अलॉट मत कीजिये तो इस नये आदेश से पहले का आदेश रद्द हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : यह आदेश इसलिये दिया

Page No. 17

(श्री अध्यक्ष)

गया कि पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया ।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री मनफूलसिंह ।

आरजी काश्त के लिये भूमि का अलॉटमेंट

५१०. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर के अन्तर्गत आने वाली आरजी काश्त भूमि तहसील सूरतगढ़ में किस महीने की किस तारीख से आरजी काश्त के लिये अलॉट होने वाली है ?

(२) क्या वर्षा शुरू होने से पहले आरजी काश्त के लिये भूमि अलॉट कर दी जायेगी ?

(३) उसी जमीन को हर साल उसी पुराने आरजी काश्तकार को नये रूप से अलॉट करने में सरकार को क्या लाभ है ?

(४) अगर पुराने आरजी काश्तकार को बदस्तूर रखा जायेगा तो जैसे गत वर्ष बदस्तूर रखने का ढंग अपनाया गया था वही होगा या भिन्न होगा ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) आरजी काश्त के लिये नई जमीन तहसील सूरतगढ़ में नहीं दी जा रही है । केवल पहले से जिन लोगों के पास आरजी काश्त पर जमीनें हैं उनको इस साल भी बदस्तूर रखने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और उम्मीद की जाती है कि यह काम आखीर मई १९६२ तक समाप्त हो जावेगा ।

(२) उत्तर भाग (१) में दिया जा चुका है ।

(३) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के स्थाई आवंटन व बिक्री सम्बन्धी नियम सरकार के विचाराधीन हैं और उक्त नियमों को शीघ्र अन्तिम रूप देकर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है । जब तक यह नियम लागू नहीं होते उस समय तक उन्हीं पुराने आरजी काश्तकारों के पक्ष में जिन्हें पिछले साल आरजी काश्त के लिए भूमि दी गई थी एक साल के लिये फिर भूमि का नवीनीकरण कर देना उचित समझा जाता है ।

(४) पुराने आरजी काश्तकारों को बदस्तूर रखा जावेगा और गत वर्ष जिस प्रकार का ढंग अपनाया गया था वही होगा ।

श्री मनफूलसिंह : नवीनीकरण का क्या प्रोसीजर अपनाया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गई बार जो आरजी काश्तकार थे उनको नवीनीकरण कर दिया जाता है, बशर्ते कि उनमें लैंड रेवेन्यू बकाया नहीं हो और डिमान्ड्स बाकी न हों । विगत वर्ष में खेती नहीं की है तो नहीं दिया जा सकता; बाकी उसी को दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि पांच–

Page No. 18

(श्री भैरोंसिंह)

दस साल के लिये एक मुश्त काश्त करने के लिये एक काश्तकार को दे दी जाय ? इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि कोलोनाइज़ेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से फाइनल नहीं हुई है इसलिये ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसी कारण से रिन्यूअल किये जाते हैं जो पहले से हैं उनको। बाकी को टेम्पोरेरी अलॉटमेंट बन्द है।

श्री मनफूलसिंह : जमीन में काश्त नहीं करने से क्या मतलब है ? वर्षा नहीं हो तो फसल नहीं की जा सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेम्पोरेरी कल्टिवेशन के लिए देते हैं तो कल्टिवेशन होना चाहिए। नेचुरल केलेमिटीज़ की वजह से काश्त नहीं की है तो उस पर विचार नहीं करेंगे। किसी प्रकार की नेचुरल केलेमिटीज़ नहीं हों और काश्त नहीं की हो तो उसके लिये यह रखा है।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : हर साल नवीनीकरण के लिये नये पट्टे दिये जाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्री हरदत्तसिंह : इससे क्या फायदा है ? उसी पट्टे का नवीनीकरण कर दिया जाय तो क्या एतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसी पट्टे को पेश करने पर फिर फर्दर एक साल के लिए नवीनीकरण कर दिया जाता है।

श्री हरदत्तसिंह : नया पट्टा जारी नहीं होने के कारण कई काश्तकारों पर तावान लगाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तावान लगाने की तो जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : नवीनीकरण किया जाता है, उसी का नया अलॉटमेंट होता है; इस तरह की बात है तो मेरे पूछने का आशय यह है कि नवीनीकरण सिर्फ कागजों में कर दिया जाय और उन काश्तकारों को तहसील हैड क्वार्टर पर नहीं बुलाया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हर पंचायत हैड-क्वार्टर पर तहसीलदार खुद चला जायेगा और नवीनीकरण की कार्यवाही कर देगा। १-४-६२ से यह व्यवस्था लागू कर दी है।

श्री मनफूलसिंह : गत वर्ष जिस किसान को भूमि अलॉट की है तो उसी आधार पर उसको अलॉट क्यों नहीं कर दी जाती, मौके पर उन किसानों को क्यों बुलाया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरी बातों की भी जानकारी करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरदत्तसिंह।

नगरपालिकाओं के प्रशासकों की नियुक्ति

५११. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या

Page No. 19

(श्री हरदत्तसिंह)

स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भादरा (जिला गंगानगर) नगरपालिका का कार्य-काल समाप्त हो जाने पर हाल ही में सरकार द्वारा उसी नगरपालिका के तत्कालीन भूतपूर्व अध्यक्ष को ही उक्त नगरपालिका का प्रशासक नियुक्त किया गया है ?

(२) अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रशासक ने अपने अध्यक्ष-पद कार्यकाल में लगभग २६,००० वर्ग गज सरकारी भूमि पर जो हदूद नगरपालिका भादरा में स्थित है, नाजायज़ तौर पर कब्जा किया है ?

(३) अगर हां, तो अब सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या समुचित कदम उठाया जावेगा ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) दीवानी न्यायालय में भूमि पर जायज़ कब्जा माना है। मामला कॉलोनाइज़ेशन कमिश्नर हनुमानगढ़ के विचाराधीन है।

(३) जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरदत्तसिंह : मामला कॉलोनाइज़ेशन कमिश्नर, हनुमानगढ़ के यहां विचाराधीन है। २६ हजार वर्ग गज भूमि पर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया है जो ५ या ६ लाख रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति है उस पर कब्जा किया है। ऐसी हालत में आपने ऐसे आदमी को वहां पर उसी म्युनिसिपैलिटी का प्रशासक कैसे नियुक्त कर दिया जिसके खिलाफ इतने गम्भीर आरोप हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह जो मामला है, जैसा कि मैंने निवेदन किया दीवानी न्यायालय ने जायज़ कब्जा माना है। वह जमीन कितनी कीमत की है, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर जो तथ्य था वह निवेदन किया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह विवाद किस तारिख को नगरपालिका ने अदालत में पेश किया ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नगरपालिका के खिलाफ डिक्री हुई है या सरकार के खिलाफ ?

श्री दौलतराम सारण : जमीन के मालिक के हक में।

श्री हरदत्तसिंह : दावा म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ था या सरकार के खिलाफ था ? यह स्थान भाखरा प्रोजेक्ट में है और भाखरा प्रोजेक्ट में इस प्रकार का जमीन का बेचान इल्लीगल है, म्युनिसिपैलिटी को बेचने का कोई अधिकार नहीं है तो २६,००० वर्ग गज जमीन म्युनिसिपैलिटी के पुराने चेयरमैन को किसने बेची थी ? म्युनिसिपैलिटी ने बेची थी या डाइरेक्टर कॉलोनाइज़ेशन ने ?

श्री दौलतराम सारण : म्युनिसिपैलिटी ने ही बेचा मालूम पड़ता है।

Page No. 20

श्री हरदत्तसिंह : इस तरह का बेचना गैरकानूनी है। इस तरह का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है और फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि इस तरह के बेचान को कोर्ट ने कानूनी माना है, यह कैसे ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है कि डाइरेक्टर कॉलोनाइजेशन के यहां विचाराधीन है, उनके विचार क्षेत्र में जैसा आवेगा वैसा किया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वह म्युनिसिपैलिटी एक तरफ दावेदार है और उसका प्रशासक उसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है जिसके खिलाफ दावा है; वही मुद्दई, वही मुदायला, यह कहां तक उचित है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अब कहीं भी फॉर्मर प्रेसीडेन्ट को और जहां तक मुमकिन होगा पब्लिक मैन को म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। जितनी शिकायतें इसमें आई हैं उन पर उचित कार्यवाही जांच करके की जायेगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : भादरा वाले साहब को भी हटाया जायेगा ?

श्री हरदत्तसिंह : आपके विभाग की ओर से जांच करके उनके खिलाफ चार्ज लगाया गया है। वह केस अनडिसाइडेड पड़ा हुआ है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को प्रशासक मुकर्रर किया जाता है उसी म्युनिसिपैलिटी का, यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दे चुके हैं मन्त्री महोदय कि जांच की जायेगी।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं अर्ज कर चुका हूं कि पूरी जानकारी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नाली, बाढ़ (घग्घर नदी) को रोकने के लिये सरकारी योजना

५१२. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नाली बाढ़ (घग्घर नदी) को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(२) अगर हां, तो इस योजना में कितना रुपया खर्च होगा ? यह योजना कब तक चालू होकर नाली बाढ़ के पानी पर पूर्ण रूप से कब तक कन्ट्रोल कर लिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) योजना बनाई जा रही है।

(२) तखमीना तैयार होने पर ही यह सूचना दी जा सकती है कि कितना खर्चा होगा। आशा है, यह काम शुरू होकर तीन साल बाद पूरा हो जावेगा।

श्री मनफूलसिंह : क्या योजना बनाई जा रही है, उसकी क्या रूपरेखा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस योजना की मुख्य रूपरेखा इस प्रकार है:-

(१) ओट्टू वीयर से ७०० क्युसेक्स की एक नहर द्वारा नोहर तहसील के इलाके की भूमि (७४७०० एकड़) की सिंचाई करना।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) घग्घर नदी के दोनों ओर बांध बनाकर उसे १६००० क्युसेक्स के लिए राजस्थान फीडर क्रोसिंग तक बांध दिया जावे ताकि पानी फैलने नहीं पावे।

(३) राजस्थान फीडर क्रोसिंग पर बने साईफ़न को १६००० क्युसेक्स के लिए फिर से डिज़ाइन करके अतिरिक्त साईफन बनाई जाये।

(४) ३००० क्युसेक्स पानी घग्घर नदी में ही छोड़ा जाय।

(५) १३००० क्युसेक्स पानी एक ऊंची सतह की नहर द्वारा सूरतगढ़ के पश्चिम की ओर के टीबों के बीच नीची भूमि में ले जाया जाकर उन नीचे स्थानों को भर दिया जाय या इसे सिंचाई के काम लिया जावे।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : सरकार यह विचार रखती है कि लगातार पानी चलेगा या केवल पर्टीकुलर टाइम के लिए यह तय किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : समय समय पर जब जरूरत होगी तब छोड़ा जावेगा।

श्री मनफूलसिंह : नाली की बाढ़ आती है तो क्या बांध बांधा गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेम्पोरेरी बांध बांधा गया है।

श्री मनफूलसिंह : गांव में क्यों नहीं बांधा गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : सूरतगढ़ के लिए स्थायी इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, ५१३।

मेव बोर्डिंग हाउस, अलवर

५१३. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में सड़क नं० २ पर मेव बोर्डिंग हाउस कस्टोडियन के अधिकार में है और इसमें शरणार्थी आबाद हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अगर शरणार्थियों को दूसरे स्थान पर रख दिया जावे और सारी सुविधायें दी जावें तो वे उसे खाली करने को तैयार हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इसको खाली करने का हुक्म हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक खाली करने की कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) यह सही है। यदि उन लोगों को जमीन पर मकान बनाने के लिए कर्जा दे दिया जाय तो मकान बन जाने पर यह बोर्डिंग हाउस खाली हो सकता है।

(३) भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस भवन को इवेक्युई प्रोपर्टी न माना जाय। मेव पंचायत को इसके लिए कहा गया है। जो पुरुषार्थी इसमें रह रहे हैं उनको ऑल्टर्नेटिव एकमोडेशन दी जाकर यह भवन खाली कराया जा सकता है। इसके लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रयत्न किये जाने पर भी ऑल्टर्नेटिव एकोमोडेशन नहीं मिल सके तो पुरुषार्थियों की प्रार्थना-पत्र पर भूमि ले लें। मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जा सकता है। साथ ही इस काम के लिए पुरुषार्थियों को २० हजार रुपया लो इन्कम ग्रूप स्कीम के अन्तर्गत कर्जा देने का प्रयत्न किया किन्तु उनके प्रार्थना-पत्र समय पर पेश नहीं हुए; इसलिए द्रव्य उन्हें नहीं मिल सका। शीघ्रातिशीघ्र इन लोगों से नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि साल हाल में उनको यह कर्ज़ा दिलाया जा सके। मकान बनने पर यह भवन खाली हो सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): वहां पर स्लम्प क्लीयरेन्स के तहत ८० क्वार्टर्स बने हैं। यदि उनमें से २० इन पुरुषार्थियों को दे दें तो यह भवन खाली हो सकता है। ये मकान नगरपालिका ने बनाये हैं गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की मदद से। तो क्या गवर्नमेंट यह ऑल्टर्नेटिव एकोमोडेशन इनको देने के लिए तैयार है?

श्री परसराम मदेरणा : स्लम्प क्लीयरेन्स स्कीम के तहत जो क्वार्टर्स बने हैं अगर नगरपालिका उसके लिए तैयार हुई तो बातचीत करने के बाद निश्चित कहा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलेक्टर साहब से मिले थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको ऑल्टर्नेटिव एकोमोडेशन देने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यह रिफ्युजीज़ का खुद का काम है। एमिकेबली तय तब ही हो सकता है जब कि इनको ये क्वार्टर्स ऑल्टर्नेटिव एकोमोडेशन के बदले दे दिये जायें जो स्लम्प क्लीयरेन्स स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : स्लम्प क्लीयरेन्स स्कीम के अन्तर्गत बने क्वार्टर्स के लिए निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। आम तौर पर यह स्कीम हाथ में ली जाती है तो उन्हीं लोगों को वहां पर बसाने की बात होती है जिनके लिए ये बनाये गये हैं और भारत सरकार द्वारा उनके लिए ही यह रकम दी जाती है। मेयो कॉलेज बोर्डिंग उनको मिला हुआ है तो उसको खाली कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है। जो उसमें रह रहे हैं उनको लो इन्कम ग्रूप स्कीम के अन्तर्गत लोन देकर उनको वहां से हटा सकते हैं; और कोई व्यवस्था हो सकी तो सोचा जावेगा।

श्री हरिराम चौहान : यह बोर्डिंग हाउस कब तक खाली कर दिया जावेगा? इसके लिए क्या कोई डेट, साल मुकर्रर कर दिया जावेगा? यह जल्दी किया जावेगा तो मैं समझता हूं कि यह कहते हुए तो करीब दस बारह वर्ष हो गये। चाहे साल भर मुकर्रर कर दें तो पीछा तो छूटे। बहुत अर्से से मांग करते आ रहे हैं, जवाब में कहते हैं कि प्रयत्नशील हैं; केवल यह कह देने से अब काम नहीं चलेगा। आपको निश्चित आश्वासन देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जल्दी से जल्दी किया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एजुकेशनल सेशन जुलाई में शुरू होने का है। इससे पहले वह भवन खाली हो जाना चाहिये। शरणार्थियों की तरफ से केवल कुछ आधे लोग हैं जिन्होंने केवल डाइलेटरी टैक्टिक्स अपना रखी हैं। कुछ लोगों का इसमें हाथ है और इसी कारण से बोर्डिंग हाउस खाली नहीं करने देते हैं। थोड़ा सहयोग मिल सकता है और कुछ इन्क्लीनेशन सरकार दिखाये जिससे यह खाली हो सकता है क्योंकि इसके लिए मेवों में बड़ा भारी रोष है और यह अनुचित है कि एक उनका बोर्डिंग हाउस १५ वर्ष से खाली न हुआ। इससे कोई कॉम्युनल प्रोब्लम पैदा नहीं होने वाली है। यदि गवर्नमेंट एटीट्यूड अपनाये तो इसी महीने में खाली हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

गंगानगर में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम

५१४. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) गंगानगर में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के तहत कितने क्वार्टर्स बने और कब ?

(२) अब तक कितने क्वार्टर्स में मजदूरों को बसाया जा चुका है, कितने खाली हैं और खाली रहने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) गंगानगर में औद्योगिक आवास........

श्री श्योपतसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है। जरा धीरे बोलने के लिए कहिये।

श्री भीखाभाई : (१) गंगानगर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत २०० एक कमरे वाले मकान और ५० दो कमरे वाले मकान हैं........

श्री श्योपतसिंह : बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Voice is completely inaudible.

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : मैं तो काफी जोर से बोल सकता हूँ।

(१) गंगानगर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत २०० एक कमरे वाले मकान और ५० दो कमरे वाले मकान बने हैं। २०० एक कमरे वाले मकान जून सन् १९६१ में और ५० दो कमरे वाले मकान अक्टूबर ६१ में बन कर तैयार हुए थे। मार्च ६२ तक ४८ एक कमरे वाले मकान और ४५ दो कमरे वाले मकान भरे हुए थे। शेष मकान खाली रहने के विभिन्न कारण हैं। मजदूर एक कमरे वाले मकानों का किराया अधिक बताते हैं।

(२) शादुल टैक्सटाइल मिल की कोलोनी के पास वाली गेट को मजदूरों की हड़ताल से पहले ही बन्द कर दिया था। कोलोनी के तरफ लिन्क रोड का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार यह

(श्री श्योपतसिंह)

उचित नहीं समझती है कि डेढ़-दो वर्ष से ये मकान खाली पड़े हुए हैं और मजदूर समझते हैं कि किराया अधिक है तो सरकार क्या यह विचार करने के लिये तैयार नहीं है कि किराया कम किया जाय और मजदूरों के लिए शोर्ट कट रास्ता खोला जाय ?

श्री भीखाभाई : पी. डब्ल्यू. डी. से बातचीत की जा रही है कि किराया कितना कम किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मिल वाले अपने क्वार्टर्स का २) रु० मासिक चार्ज करते हैं, जब कि सरकार के इन क्वार्टर्स से अच्छे क्वार्टर्स हैं और सरकार ७), ७॥)रु. रुपया चार्ज करती है। मजदूर उसको देने के लिए तैयार नहीं होते और मकान खाली पड़े रहते हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : आप क्या विचार करते हैं और मजदूर क्या विचार करते हैं, क्या इसमें डिफरेंस है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस गेट को बन्द कर रखा है तो उससे क्वार्टर्स और मिल के बीच काफी फर्क रहता है; तो सरकार उसको खुलवाती क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मिल वालों ने बन्द किया है।

श्री भीखाभाई : हमारी गेट नहीं है, शादुल मिल्स की है।

श्री भैरोंसिंह : मिल वालों को कह कर खुलवा सकते हैं जिससे लोग क्वार्टर्स यूज़ करने लग जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

जोधपुर में मेडिकल कॉलेज

५१५. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर 'अ') : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान के लिए दो मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है ?

(२) यदि हां, तो क्या एक मेडिकल कॉलेज जोधपुर में खोला जायगा ? यदि हां, तो किस वर्ष ?

(३) राजस्थान में सर्व श्रेष्ठ हॉस्पिटल किन २ शहरों में हैं जो मेडिकल कॉलेज खोले जाने योग्य माने जा सकते हैं और इसका आधार क्या है ?

उप-मंत्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) राजस्थान में सर्व श्रेष्ठ अस्पताल अजमेर एवं जोधपुर में हैं जो कि मेडिकल कॉलेज खोलने के योग्य हैं। दोनों अस्पताल प्रथम श्रेणी के हैं और इनमें सारी सुविधायें मौजूद हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान में प्रथम श्रेणी के और कौन कौन से अस्पताल हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रथम श्रेणी में सर्व श्रेष्ठ बता रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is the criteria for deciding this matter ? जोधपुर का तो इसलिए कि सवाल पूछने वाले जोधपुर के हैं और अजमेर का इसलिए कि जवाब देने वाले अजमेर के। क्या यह सही है कि पेथेलोजिस्ट डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ जयपुर हॉस्पिटल के साथ अटेच्ड हैं वे अजमेर में नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(६.० म. पू.)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अजमेर में आउट डोर पेशेन्ट्स की संख्या क्या है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न दूसरा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सर्व श्रेष्ठ का क्या आधार है ? क्या इसके लिये कोई कमेटी बैठी थी ? जो उत्तर दिया जा रहा है वह किस आधार से दिया जा रहा है कि ये दोनों अस्पताल ही सर्वश्रेष्ठ है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या इसको खोलने के स्थान को लेकर मंत्री-मंडल में खींचातानी चल रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : खींचातानी कोई नहीं चल रही है। खींचातानी चलाने वाले की कोशिश कामयाब नहीं होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो किस आधार पर इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल हो उसमें ५०० बैड्स होने चाहिये, इनडोर पेशेन्ट्स की संख्या काफी होनी चाहिये; सभी तरह के मरीज जहां आते हों और उनका इलाज होता हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जयपुर, बीकानेर जहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये हैं वहां क्या सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नहीं हैं और उदयपुर जहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी वहां क्या फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इन जगहों पर तो पहले से ही खुल चुके हैं, इनका सवाल ही नहीं था।

श्री बरकतुल्लाखां : जयपुर, बीकानेर, उदयपुर; अब इसके बाद कन्सीडर किया जाता है जोधपुर और अजमेर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में साफ है कि "भारत सरकार ने राजस्थान के लिये दो मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या एक मेडिकल कॉलेज जोधपुर में खोला जायेगा ? यदि हां, तो किस वर्ष ?" इससे स्पष्ट हो जाता है।

नेक्स्ट।

भाखरा क्षेत्र में जंगलात

५१६. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्योपतसिंह)

(क) भाखरा क्षेत्र में जंगलात लगाने के लिये कितने एकड़ भूमि रिज़र्व की गई है ?

(ख) आजतक कितने एकड़ में जंगलात लगाया जा चुका है, कितने एकड़ भूमि खाली पड़ी है और कितने सालों से ?

(ग) अब तक कितने रुपये खर्च हुए हैं और कितने वृक्ष लग चुके हैं।

(घ) क्या यह बात सही है कि सन् १९५७–५८ में खाली बचने वाली जमीन को एक साल आरजी काश्त के लिये किसानों ने सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) : (क) भाखरा क्षेत्र में ७२१८.११ एकड़ जमीन जंगल कायम करने के लिये रिज़र्व की गई है।

(ख) आज तक ५६०० एकड़ रकबे में जंगल कायम किया गया है। १६१८.११ एकड़ जमीन सन् १९६०–६१ से खाली पड़ी है।

(ग) इन प्लान्टेशन पर कुल खर्चा ८,६३,८८७ रु० हुआ है और इन प्लान्टेशन में १२,१८,००० पेड़ लग चुके हैं।

(घ) जी हां। २,३ व ४ दिसम्बर, १९५८ के बाद मुस्तहरी काश्तकारों को आरजी काश्त के लिये जमीन अलॉट करने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़, पटवारी व वन विस्तार अधिकारी, हनुमानगढ़, सरपंच भूकड़ों के समक्ष अलॉटमेंट के लिये एलान कराया मगर कोई भी काश्तकार इस रकबे को लेने के लिये राजी नहीं हुआ। अतः अलॉटमेंट की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री श्योपतसिंह : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि ५७-५८ से दर्ख्वास्तें आ रही हैं। सारे इलाके के लोगों की तरफ से जो जंगलात लगाया है और उसके सिवाय बाकी जो रकबा है वह उस इलाके के किसानों को दे दिया जाय; लेकिन आज तक नहीं दिया गया इससे कितना नुकसान हुआ ? क्या सरकार अब यह सोचेगी कि पीछे के रकबे को आरजी काश्त के लिये, एक साल के लिये वहां के किसानों को दिया जायेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : बचे हुए रकबे को आरजी काश्त के लिए देने के लिये तहसीलदार, हनुमानगढ़ ने प्रयत्न किया लेकिन काश्तकार उसे लेने के लिए तैयार नहीं थे।

श्री श्योपतसिंह : क्या ये ऑर्डर्स उस वक्त दिये गये जब कि वर्षा का असर खत्म हो चुका था, फसल का टाइम नहीं था ?

श्री दिनेशराय डांगी : क्यों नहीं लिया गया, यह तो वहां के रहने वालों के सोचने की बात है।

श्री श्योपतसिंह : जिस वक्त लोगों ने कहा उस वक्त तो नहीं दिया गया वर्षा का असर खत्म हो चुका और काबिल काश्त नहीं था उस समय ये ऑर्डर्स दिये गये।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अब भी बरसात शुरु होने से पहले जंगलात की खाली जमीन काश्तकारों को आरजी तौर पर देने की महरबानी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह इनके क्षेत्र से बाहर की बात है।

श्री श्योपतसिंह : इनके क्षेत्र के बाहर की बात जरूर है, किन्तु इतनी जमीन खाली पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को लिख सकता है।

श्री श्योपतसिंह : तो मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है गलत है, तहसीलदार को कहा जमीन अलॉट करने के लिए, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा; रेवेन्यू अधिकारी से कहा था।

Revenue Department can take action in this if the land is available.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अब क्या नीति अपनायेंगे, आरजी काश्त के लिये देने के लिए तैयार हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १२ लाख पेड़ लग चुके हैं, यह मंत्री महोदय ने फरमाया। इसमें मैं अतिशयोक्ति समझता हूं। क्या वाकई में १२ लाख पेड़ लग चुके हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : ये पेड़ लग चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह : लगने के बाद वे जल चुके।

श्री दिनेशराय डांगी ; अनकमान्डेड क्षेत्र है; पचास प्रतिशत पेड़ लगाये गये हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सिर्फ बबूल ही बबूल के पेड़ बाकी रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : सारे राजस्थान में चालीस लाख पेड़ लगाये गये हैं। उसमें से १२ लाख इस क्षेत्र में लगे हैं या लगाये जा चुके हैं। क्या ये सब पेड़ मौजूद हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : १२,१८,००० पेड़ लग चुके हैं। ८ एकड़ भूमि और है जहां वृक्षारोपण किया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : जो पेड़ लगाये हैं वे बरबाद तो नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अन-कमान्डेड एरिया था इसलिए पचास प्रतिशत लगे हैं।

श्री श्योपतसिंह : जो पेड़ लगाये जाते हैं उनमें से मोस्टली बरबाद हो जाते हैं और जो पेड़ लगे हैं वे केवल बबूल के ही लगे हैं, इसके सिवाय और नहीं लगे हैं। मंत्री महोदय क्या यह बता सकते हैं कि जो १२ लाख पेड़ लगाये गये हैं उनमें से इस वक्त कितने कायम हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो नेचर पर डिपेन्ड करता है।

श्री श्योपतसिंह : तो फिर आठ लाख रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं, नेचर पर ही छोड़ दीजिये ?

Page No. 28

श्री अध्यक्ष : भगवान् भरोसे है ।

श्री हरदत्तसिंह : जितने भी पेड़ लगाने के आंकड़े आपके सामने हैं, मेरी इस बारे में दरख्वास्त है कि आप इसकी जांच करवायें तो आपको पता लग सकता है कि जो पानी के नाम पर पैसा लिया जाता है उसको अधिकारी लोग खा गये हैं। इस सम्बन्ध में आप जांच करवायें तो पता लग सकता है कि आखिर इतना पैसा लगाते हुए भी वहां पेड़ क्यों नहीं उगते ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : माननीय सदस्य का यह सीरियस चार्ज है कि वहां पेड़ लगे ही नहीं और अधिकारी लोग पैसा खा गये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में विभाग को जानकारी दें तब तो जांच की जा सकती है ।

श्री हरदत्तसिंह : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि ८ लाख रुपया जब वहां खर्च किया गया तो पौधे लगाने में सरकार कितनी कामयाब हुई ? क्या सरकार खुद नहीं सोच सकती कि किस वजह से इतना पैसा लगने के बावजूद भी पेड़ नहीं लगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो अलहदा जानकारी का सवाल है ।

श्री भीखाभाई : एक माननीय सदस्य फरमाते हैं कि उचित देखरेख नहीं होती इसलिये पेड़ नहीं लगते ! एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक दरख्त ही नहीं लगाया गया; ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप केवल इतना बता दें; जानकारी के मुताबिक कितने पेड़ लगाये गये उनमें से कितने मौजूद हैं ?

श्री भीखाभाई : जैसा कि उप-मंत्रीजी ने जवाब दिया पचास प्रतिशत पेड़ लगे हैं अनकमान्डेड एरिया में ।

एक माननीय सदस्य : बाकी क्या डेस्ट्रोय हो गये ?

श्री श्योपतसिंह : जो पेड़ लगाये गये हैं उनमें से कितने मौजूद हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : तो आप जानकारी क्या दे रहे हैं ?

दोनों बातें छोड़ कर केवल आप इतना बतादें कि आपकी जानकारी के मुताबिक कितने प्रतिशत पेड़ पनपे हैं ? अब इससे कम या ज्यादा होंगे तो माननीय सदस्य आपका ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने निवेदन किया कि पचास प्रतिशत लग गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : पचास प्रतिशत लगे हैं, बाकी डेस्ट्राय-हो गये हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं ? आपको तो यह सीधा सा जवाब देना है कि कितने लगाये और आज कितने मौजूद हैं उनमें से ? इसका सीधा सा जवाब आप दे दीजिये। बस ।

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जानकारी प्राप्त होने पर निवेदन कर सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यही तो इतनी देर से जानकारी लेने की बात हो रही है। आप जानकारी दे क्या रहे थे फिर इतनी देर से ?

श्री भीखाभाई : उप-मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया, अध्यक्ष महोदय, वह स्पष्ट है कि इतना रूपया खर्च हुआ है और उसमें १२ लाख १८ हजार दरख्त लग चुके हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : आक और एरेण्ड के कितने पेड़ हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रक्खें। कोई भी प्रश्न पूछें तो संजीदगी से पूछें। आपने बताया साढ़े बारह लाख दरख्त लगे हैं तो ये सभी जर्मिनेथेट हो गये हैं। The House is not clear.

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो उत्तर आया है वह इस प्रकार है कि ८,६३,०००) रु० खर्च हुआ है और इसमें से १२ लाख १८ हजार दरख्त लग चुके हैं। But I do not know what is the survival.

श्री अध्यक्ष : 'लग चुके हैं' का क्या मतलब है ? You should understand the words you use.

'लग चुके हैं' की आखिर कोई परिभाषा भी तो होगी, इसकी परिभाषा भी तो मालूम होनी चाहिए।

श्री भीखाभाई : इतने प्लान्ट लगाये हैं। I have not got the figures as I have just said.

श्री अध्यक्ष : पर उनमें से सर्वाइव कितने हुए हैं ? The whole question is that a large sum of money has been isvested in this. Does the Government feel justified by results that the money has been properly utilised ?

आप इसके बारे में सन्तोष करा दें सदस्यों को।

श्री भीखाभाई : मैंने इसके बारे में निवेदन किया है कि अब कितने दरख्त हैं, इतने हैं कि नहीं, इसकी तो जांच करूंगा। मुख्य प्रश्न यह है कि सारे के सारे पैसे को ऑफिसर लोग खा गये, दरख्त कोई लगाये ही नहीं, तो ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल इतना है कि आठ लाख रुपया जो सरकार ने इस पर खर्च किया उसका कोई उपयोग हुआ या नहीं, वहां दरख्त हैं या नहीं, या लगाये गये और वे सभी समाप्त हो गये; नहीं समाप्त हुए तो आज दिन तक कितने प्रतिशत वहां खड़े हैं जो लगाये गये थे उनमें से ? Is the Government satisfied or not ? If not then enquire into it.

श्री भीखाभाई : That is what I have promised.

श्री अध्यक्ष : Thank you.

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : समय प्रश्न — समाप्त हो गया। जो प्रश्न नहीं लिये जा सके हैं उनके उत्तर आने के बाद में छाप दिये जावेंगे।

Page No. 30

(श्री अध्यक्ष)

[समयाभाव के कारण नहीं पूछे जा सकने वाले प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये]

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न

(१०१। क्यू. बी.) **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर के किन गांवों में कितने काश्तकारों पर, कितनी-कितनी धनराशि तावान के रूप में इस वर्ष काबिल वसूली के है ?

(ख) उपरोक्त काश्तकारों पर किसकी आज्ञा से, किस आधार पर तावान कायम किया गया है ?

(ग) उपरोक्त काश्तकारों में से ऐसे किसने काश्तकार हैं जो सम्वत् २०१२ से पहले के हैं तथा जिन पर मूलतः कानूनी स्थिति में परिवर्तन होने के कारण तावान लगाया ?

(घ) क्या ऐसे काश्तकारों को कानूनी स्थिति में परिवर्तन होने की पूर्व सूचना दे दी गई थी ? अगर नहीं, तो क्या यह न्याय संगत नहीं होगा कि ऐसे काश्तकारों पर कायम की गई तावान की राशि तुरन्त माफ की जाकर काश्तकारों को अलॉटमेन्ट रेगुलराइज़ कराने का मौका दिया जावे ?

(ङ) तावान के सम्बन्ध में बीकानेर डिविज़न के लिए ५२ से ६१ तक जितने भी परिपत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

उत्तर जिलाधीश से प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न

(७६। सी.एम.) **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील लूणकरणसर के भूतपूर्व जागीर एरिया की पैमाइश जिसकी मियाद सं० २००८ से सं० २०२० तक है, में असेसमेंट सर्किल्स निम्न रखे गये थे :—

(१) पाला भूमि (२) बिना पाला भूमि

(३) बंजड़ भूमि

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष रेख हमीरवास, गांव ऊंचाइडा शहर बीछरवास, गांव खिवैरां आदि गांवों के काश्तकारों से बंजड़ रेट के बजाय अधिकतम रेट से लगान वसूल किया गया है ? अगर हां, तो बन्दोबस्त के वक्त मुकर्रर शुदा लगान रेट को जब तक नया बन्दोबस्त न हो जाय तब तक के लिए कैसे बदला जा सकता है ?

उत्तर

तहसील लूणकरणसर के भूतपूर्व जागीर एरिया की पैमाइश हुई, जिसकी मयाद सम्वत् २००८ से २०१२ तक रखी गई। इस

Page No. 31

(श्री भीमसेन)

पैमाइश में निम्नांकित असेसमेन्ट सर्किल्स रखे गये :

१. धोरा I

२. धोरा II

३. वडान

सचिवालय के आदेश दिनांक १३.६.५६ की मन्शा को सही न समझकर बंजड़ के बजाय काश्तकारान से मजरूवा का लगान लिया गया। उक्त आदेश अनधिकृत कृषकों पर ही लागू होता है, अन्य काश्तकारान पर नहीं। अतः इस विषय में सरकार लगान वसूली के औचित्य की जांच करावेगी।

तहसील कोलायत (जिला बीकानेर) क्षेत्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बीकानेर जिले के कोलायत तहसील क्षेत्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर मन्त्री, अकाल सहायता विभाग का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अकाल मन्त्री का भी अकाल है ?

उप-मन्त्रिणी, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो सदन के सामने बीकानेर की कोलायत तहसील में अभावग्रस्त क्षेत्र के सहायता कार्यों में जो पेमेन्ट में देरी हुई उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है, उसके बारे में मैं कुछ सूचना देना चाहूंगी।

बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में जो कार्य चालू थे उनमें से ११ कार्य वहां चालू किये गये थे और वह ११ कार्यों में पिछले साल कुल जिले भर को ८५ हजार की रकम सेंक्शन की गई थी। जिसमें से वहां ८,३००), खर्च किये गये थे और इसके बाद में पिछले महीने की दस तारीख को कलेक्टर, बीकानेर की तरफ से यह जानकारी मिली कि उन्हें और रुपया सेंकशन किया जावे, क्योंकि कार्य पूर्णतया सम्पादित नहीं हो सका था और सूचना के मुताबिक १४--४--६२ को गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन किया गया अमाउन्ट १,५० हजार के करीब है।

इसी १४।४।६२ को बाद में एक बार पुनः २८।४।६२ को २,३० हजार रुपया पुनः राजस्थान सरकार की तरफ से राहत कार्यों के लिये मन्जूर किया गया।

जहां तक माननीय सदस्य की आपत्ति है कि कोलायत तहसील में चालू राहत कार्यों में लगे हुए मजदूरों को यथासमय पेमेन्ट नहीं किया गया उसके बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहूँगी कि ज्योंही सूचना कलेक्टर के यहां से प्राप्त हुई उसके प्राप्त होते ही बराबर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

यहां से सेक्शन जारी की गई। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए कि उन्हीं दिनों में पांच-सात दिन की लगातार छुट्टियां होने के कारण से और साथ ही कोलायत तहसील में जो राहत वगैरह का काम है उसकी सुविधा न होने से कुछ असुविधा हुई और कुछ डिले भी उसके अन्दर हुई। पर मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि वह सब डिले होने के बावजूद भी आज दिन मजदूरों के बारे में जो पेमेन्ट की शिकायत है उनका सबका पेमेन्ट बराबर हो चुका है और अब ऐसी कोई स्थिति वहां पर कायम नहीं है जिसके कारण से इस प्रकार की कोई असुविधायें या परेशानी उनको महसूस हो रही हो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो उन्होंने यह जाहिर किया है कि वहां बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो रही है वह नहीं है और उन सब मजदूरों का पेमेन्ट कर दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रिणी महोदया से मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने जो यह कहा है कि पेमेन्ट में कुछ देरी हुई है, कृपया आप यह बताने का कष्ट करेंगी कि अप्रेल १ से अधिकांश २५ अप्रेल तक जिन्होंने राहत कार्यों पर काम किया उनका पेमेन्ट किस तारीख को दिया गया? क्योंकि सेंक्शन लेने में देर हुई या आपके विभाग ने सेंक्शन कलेक्टर को कन्वे करने में देर की, यह आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब्लम है और ये नये साल में साल के शुरू में अराइज़ हो सकती हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर इसके बादजूद भी जो हजारों मजदूर काम करते हैं और जब राहत कार्य करते हैं तो ये राहत कार्य खोले ही इसीलिए जाते हैं कि वहां पर उनको कुछ राहत पहुंचाई जावे और रुपया, डेढ़ रुपया सवा रुपया जो कुछ उनको दिया जावे वह एक सप्ताह में दे दिया जावे। अगर यह रुपया भी एक सप्ताह में नहीं दिया जाकर २४-२५ दिन तक इन्तजार करना पड़े तो निश्चित रूप से यह भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप कृपा करके यह बतावेंगी कि एक अप्रेल से २५ अप्रेल के बीच में कोई पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया और इसके साथ ही क्या आप इस बात का आश्वासन देने की भी कृपा करेंगी कि भविष्य में प्रति सप्ताह नियमित रूप से यह पेमेन्ट होता रहेगा जब तक कि राहत कार्य चलते हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहती हूं कि जिस तरह मैंने अभी निवेदन किया कि इस पेमेन्ट में जितनी तत्परता और नियमितता होनी चहिये थी वह नहीं हो पाई थी, पर इसके कुछ कारण प्रशासनिक भी रहे और अन्य भी हो सकते हैं और वे पेमेन्ट इस महीने की चार तारीख को हुए हैं और जैसा माननीय सदस्य ने आग्रह किया है मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि आइन्दा इस प्रकार की देरी से जो मजदूरों को पेमेन्ट मिलने से परेशानी होती है उसको नहीं होने दिया जावेगा।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२

(खंडशः विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री अमरसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री अमरसिंह)

इस राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल पर बहुत देर से वाद-विवाद और टीका-टिप्पणी सुनने को मिली है। इसके सम्बन्ध में प्रवर समिति की रिपोर्ट को भी देखा गया। जहां तक कृषि विश्व विद्यालय का सवाल है मैं इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें ग्रामीण लोगों की तरक्की के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होना अत्यन्त आवश्यक है।

लेकिन इसका जो क्लॉज़ ४ है इसमें जो प्रिन्सिपल सीट ऑफ दी यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो प्रस्ताव उदयपुर के लिये आया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।

मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया। या तो यह बहुत जल्दी में तय किया गया या किन्हीं राजनैतिक कारणों से ऐसा तय कर दिया गया है। लेकिन यह नहीं सोचा गया कि न्याय की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीट कहां पर कायम होनी चाहिये।

अगर अध्यक्ष महोदय, इस पर थोड़ा बहुत भी विचार किया जाता तो जोबनेर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता। जोबनेर उपयुक्त स्थान होने के लिए जो कारण हैं उनमें से पहला यह है कि यह राजस्थान के सेन्टर में पड़ता है और राजधानी से बिलकुल नज़दीक में भी है। इसलिए यह सब जगह से समान दूरी पर पड़ता है जब कि उदयपुर एक कोने में पड़ता है और वहां आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है। जोबनेर राजधानी के नजदीक होने से यहां के ऑफिसर्स और विज़िटर्स वगैरह के लिए भी आने जाने के लिए यह सरल जगह है। उदयपुर अगर कोई जायगा तो खास तौर से वहां के लिए विचार करके ही जा सकता है।

दूसरा जो कारण जोबनेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रखने का है वह यह है कि यह जयपुर—अजमेर रोड पर है और रेलवे लाइन के ऊपर भी स्थित है, इसलिए आवागमन के साधन यहां पर अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकते हैं, जब कि उदयपुर एक कट-ऑफ एरिया है और वहां आने-जाने के लिए इतने साधन नहीं हैं जितने कि यहां उपलब्ध हो सकते हैं।

तीसरी बात है वह यह है कि जोबनेर में एग्रीकल्चर कॉलेज आज १२ साल से चल रहा है, जब कि उदयपुर कॉलेज को अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। मालूम नहीं जब जोबनेर का मामला आता है तो इसको उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है। सन् १६५६ में जब एग्रीकल्चर कॉलेज के बनाने का समय आया तो उस समय भी इसको उठा कर उदयपुर ले जाने की बात चली थी और इसके लिए कई मूवमेन्ट्स भी चलाये गये और उसका नतीजा यहां तक हुआ था कि सन् ५७ में आनेवाली उप-मंत्रिणी महोदया को इसी विषय को लेकर हार जाना पड़ा था। इस बार जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला आया है तो जोबनेर को इस बार भी पता नहीं क्यों निग्लेट किया जा रहा है? गंगानगर जिले का एक और जब सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज का होना आवश्यक माना गया है

(श्री अमरसिंह)

जब कि यहां जोबनेर के अन्दर पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहा है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाता। चौथा कारण जो जोबनेर में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी की सीट रखने का है वह यह है कि यहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज के नीचे ५,००० एकड़ का फार्म मौजूद है और १०० कुए भी मौजूद हैं, जब कि उदयपुर में नये सिरे से खर्चा लगाकर ऐसा स्थान बनाना पड़ेगा और वह युनिवर्सिटी शहर के मध्य में स्थित है वहां पर एक बड़े फार्म का मिलना भी मुश्किल है।

पांचवी बात है वह यह है कि यहां पर सब तरह के साधन; जैसे कालासागर की नहरें वगैरह हैं, उदयपुर में ये साधन मिलने मुश्किल हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि यहां पर अन्वेषण वगैरह होता है इसलिए सभी चीजें यहां होनी चाहिए।

इसके अलावा एनीमल हस्बेन्डरी की साइन्स है वह एग्रीकल्चर की खास शाखा है और उदयपुर में सिवाय एक दो नस्ल; जैसे गिर जाति की नस्ल है वह पनप सकती है और यहां पर नागौरी, हरियाणा और दूसरी नस्लें भी पनप सकती हैं और अन्वेषण के लिए आवश्यक है कि ऐसा स्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिये लिया जाये कि सब तरह की नस्लें वहां पनप सकें।

ये सब बातें ऐसी हैं कि जो एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी की सीट स्थापित करने के पहले ध्यान में ली जानी चाहिए थीं; लेकिन नहीं ली गईं और बिल में आज देखते हैं कि उदयपुर में इसकी सीट बनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए दो कारणों के सिवाय और कोई कारण नहीं है कि उदयपुर में इसको बनाया जाये। एक तो कारण यह है कि जोबनेर कॉलेज सबसे पहला कॉलेज है और इसलिए शायद इस स्थान को सबसे बूढ़ा और खबीब समझ कर उदयपुर को चुन लिया गया है और दूसरा कारण जो हो सकता है वह यह है कि उदयपुर मुख्य मन्त्री महोदय की कॉन्स्टीट्यूएन्सी का शहर है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : This had been mentioned in the debate yestérday and the Chairman had made observations that no aspersions should be cast on personal issues.

श्री अमरसिंह : It is not personal, Sir. तो ये कारण हो सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो तारीफ की बात है। अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में कोई काम कराये तो यह तो उल्टे तारीफ की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हजारों दफा रिपीटिशन हुआ है and the House is completely tired of this issue.

श्री अमरसिंह : अगर आप थक गये हैं तो आप बाहर जाकर चाय पी सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाहर तो जनता भेजती है, आपके अधिकार की बात नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : If the Honourable Member feels tired, perhaps a stage will be reached when he will start feeling weary.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I conveyed the sense of the Honourable Members from this side that this has been an oft-repeated issue.

श्री अमरसिंह : इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिल के लिए प्रवर समिति की रही है। जो प्रवर समिति बनाई गई, बड़े अफसोस की बात है कि जयपुर जिले के, खिलाफ पार्टियों के मेम्बरों में से एक को भी नहीं लिया गया और ज्यादातर ऐसे मेम्बर्स लिए गए हैं जो कि बीकानेर डिवीज़न से ताल्लुक रखने वाले थे। इसलिए उन लोगों ने इस सीट को गंगानगर ले जाने की बात शुरू कर दी है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जयपुर के सबसे ज्यादा थे। २१ में से ६ जयपुर के थे।

श्री अमरसिंह : गंगानगर ले जाने के लिए जो चीफ रीज़न्स दिये हैं वे ३ दिये हैं। एक तो यह कि वहां पर नहरें बहुत हैं—राजस्थान केनाल, भाखरा केनाल, गंग नहर वगैरह हैं। इसलिए उनका कहना है कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी की सीट वहां पर होनी चाहिये। लेकिन यह कोई पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि राजस्थान की हर एक तहसीलें ऐसी नहीं हैं कि वहां पर नहरी इलाका हो। राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है, ऐसे इलाके बहुत हैं। इसलिए दूसरे सिंचाई के साधन वहां पर हैं; जैसे तालाब हैं, कुए हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि अन्वेषण के लिए ऐसी जगह ली जाये कि जहां पर ये सब साधन उपलब्ध हों ताकि सब जगह से आने वाले लोग उसकी शिक्षा ले सकें और इसके बारे में ठीक तरह से अन्वेषण भी हो सके।

दूसरा कारण गंगानगर ले जाने के लिए जो बताया वह यह है कि वहां पर बहुत सारे ट्रेक्टर्स का होना बताया गया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान भर में जितने ट्रेक्टर्स हैं उसके आधे गंगानगर में हैं इसलिए वहां इस युनिवर्सिटी की सीट होनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ट्रेक्टर से ही खेती नहीं होती है। बैलों से, ऊंटों से और हाथों के हलों से भी खेती होती है। ऐसी हालत में जोबनेर में जहां ट्रेक्टर्स, बैलों, ऊंटों और हाथों के हलों से खेती होती है वहीं पर इसकी सीट होनी चाहिए। खास तौर से गांवों के उन गरीब लोगों के लिए जो हाथ से खेती करते हैं उनके लिए शिक्षा और अन्वेषण की जरूरत है। और धनवानों के लिए जिनके पास पहले से ही ट्रेक्टर्स हैं उनके लिए कम ध्यान देने को आवश्यकता है।

तीसरा कारण जो वहां पर सीट ले जाने के लिए बताया है वह है सूरतगढ़ में एग्रीकल्चर फार्म होने का। उनका कहना है कि वहां फार्म पहले से ही है तो सीट वहां होनी चाहिए। जब वे खुद ही मानते हैं कि वहां पर एशिया का सबसे बड़ा फार्म है और उसका वहां के लोग पहले ही फायदा उठा रहे हैं तो फिर यह आवश्यक नहीं है कि सभी चीजें वहां पर ले जाकर सेन्ट्रलाइज़ की जायें और दूसरे इलाके के लोग उनसे किसी तरह का फायदा न उठा सकें। इसको देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि प्रवर समिति ने इस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया है और बहुत जल्दी में यह फैसला किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द करके ठीक तरह से विचार करके तब इस पर

(श्री अमरसिंह)

फैसला करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान भर की ग्रामीण जनता का प्रश्न है; इस पर इतनी जल्दी फैसला नहीं होना चाहिए। मुझे इतना ही अर्ज़ करना है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस बिल को आज ही पारित करना है और क्लॉज़-बाई-क्लॉज़ में भी कई अमेन्डमेन्ट्स आये हुए हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल का दिन तो दूसरे काम में लग गया और इस बिल पर बहुत कम समय दे सके हैं। कल का दिन इलेक्शन में लग गया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहस का जवाब देने में समय लग गया। इसके बाद कोई समय नहीं बचा। इसके लिए वैसे दो दिन निर्धारित थे और आज का दिन ही मिला है....

श्री अध्यक्ष : थर्ड स्टेज पर और डिबेट हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : इस पर जो सुझाव देंगे तो शायद मन्त्री महोदय स्वीकार भी कर लेंगे और थर्ड स्टेज पर तो स्वीकार करने की स्टेज भी नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस ११ बजे तक चलती रहेगी। उसके बाद क्लॉज़ बाई क्लॉज़ चलेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान में १० युनीवर्सिटीज़ खोलने का प्रावधान रखा गया है; उनमें से राजस्थान में दो युनीवर्सिटीज़ कायम करने का जो साहस किया गया है वह सराहनीय है। पहली युनीवर्सिटी जोधपुर में खोलने के सम्बन्ध में और दूसरी एग्रीकल्चर युनीवर्सिटी उदयपुर में रखी गई है। इस प्रकार के जो साहसिक कदम राजस्थान सरकार ने उठाये हैं वे वाकई प्रशंसनीय हैं। राजस्थान ने जिस प्रकार से पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के सम्बन्ध में जो कार्य किये हैं वे किसी भी अन्य स्टेट से कम नहीं कहे जा सकते; बल्कि यह बहुत बड़ा साहसिक कदम है।

शिक्षा के माने में राजस्थान सरकार जिस प्रकार से प्रयत्न कर रही है, जिस प्रकार से हर माने में स्टेट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, प्राइमरी एज्युकेशन, सेकन्डरी एज्युकेशन और पोस्ट ग्रेज्युएट सम्बन्धी युनिवर्सिटी एज्युकेशन की तरक्की के लिये जो कदम उठाये हैं उनकी सराहना जितनी की जाय उतनी कम है। मेरा निवेदन यह है कि उदयपुर में जो एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम की जा रही है उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने जो विरोध किया है वह क्षेत्रीय भावनाओं से किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से चाहते हैं कि गंगानगर में इसकी सीट हो, बहुत से चाहते हैं कि जयपुर डिवीजन में हो। इस प्रकार की भावना सिर्फ क्षेत्रीय भावना से प्रभावित होकर यहां प्रदर्शित की जा रही है।

जयपुर के माननीय सदस्य जिन्होंने अभी फरमाया कि जोबनेर में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी होनी चाहिये और कुछ माननीय सदस्यों ने गंगानगर में कायम करने का सुझाव दिया है; उसमें कहां तक तथ्य है? यह काफी छानबीन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के बाद में जो एंग्लो-अमेरिकन कमीशन मुकर्रर हुआ था उसकी रिपोर्ट के माफिक राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया था । तो जहां तक जोधनेर और गंगानगर में खोलने का प्रश्न है, आज राजस्थान में ३ एग्रीकल्चर कॉलेजेज़ चल रहे हैं। एक उदयपुर में चल रहा है, दूसरा अजमेर में प्राइवेट तरीके से चलता है और तीसरा जोधनेर में है। मुकाबले में अजमेर और जोधनेर की स्ट्रेन्थ की जानकारी रखते हैं तो उदयपुर के मुकाबले में आधे से कम संख्या में स्टूडेन्ट्स वहां पर पढ़ते हैं और जो साधन उदयपुर के एग्रील्चर कॉलेज के पास हैं वे साधन इन दोनों के पास नहीं हैं। उदयपुर का ऐसा कॉलेज है जहां एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह के सब तरह के साधन उपलब्ध हैं।

दूसरे स्थानों के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है कि कहीं पर ट्रैक्टर बहुत हैं, कहीं पर सिंचाई के साधन बहुत हैं, कहीं पर बताया साहब कि रेगिस्तान है, कुंए वगैरह हल चलाने की वजह से प्राथमिकता दी जाय; तो ये कोई ऐसे कारण नहीं हैं जिनकी वजह से उदयपुर की सीट चेन्ज की जाय। उदयपुर ऐसा स्थान है जिसके बराबर हिन्दुस्तान भर में दूसरा रमणीक स्थान नहीं हो सकता और एज्युकेशन के बारे में उदयपुर ने इतनी तरक्की की है कि जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। राजस्थान में उदयपुर में एज्युकेशन का वातावरण बढ़ रहा है और....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आपका मतलब यह है कि उदयपुर में शिक्षा का वातावरण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा मतलब यह है कि उदयपुर में शिक्षा की सबसे ज्यादा तरक्की हो रही है। ऐसे स्थान पर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम करें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये और क्षेत्रीय भावना से प्रभावित होकर जो बातें कही जाती हैं वे उपयुक्त नहीं हैं।

साधनों का जहां तक सवाल है, उदयपुर सिंचाई में भी कम नहीं है, खेती-बाड़ी और पैदावार में भी कम नहीं है। तिलहन, कपास वगैरह उदयपुर में कम होते हों और दूसरी जगह ज्यादा होते हों तो जांच करवा सकते हैं कि वहां पर पर-बीघा उपज में और दूसरी जगह पर-बीघा उपज में क्या फर्क है। उदयपुर में जो पैदावार होती है वह दूसरी जगह नहीं हो सकती। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि उदयपुर ऐसा उपयुक्त स्थान है एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिये जहां युनिवर्सिटी बनाई जायेगी तो दिन-ब-दिन ज्यादा तरक्की करेगी। बिल्डिंग वगैरह के बारे में बताया कि नई नई बिल्डिंग्ज़ बनाई जायेंगी जिसमें खर्चा होगा; तो युनिवर्सिटी के लिये तो नये साधन होने चाहिये। बिल्डिंग्ज़ वगैरह वहां पर पहले से उपलब्ध हैं, नये साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए उदयपुर इसके लिये बहुत ही उपयुक्त रहेगा।

खेती-बाड़ी की जो योजना बताई है, अमेरिकन एड से खुलने वाली यह युनिवर्सिटी है। एंग्लो-अमेरिकन कमीशन मुकर्रर हुआ था। उन्होंने राय दी थी, उनकी राय से खुल रहा है तो उन्होंने जांच करके खोला है। दूसरा कोई स्थान उनकी राय में उपयुक्त नहीं था। जहां तक सिंचाई का विषय है उसको बार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बार दोहराया जा रहा है। सभी सदस्य साहबान अपने अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं; वर्ना इसमें तथ्य नहीं है कि दूसरे स्थान पर तब्दील किया जाय।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने डॉक्टर श्रीमाली के पत्र के विचार रखे थे और यह कहा था कि मुख्य मन्त्री जी की इच्छा के अनुकूल यह कार्य किया जा रहा है। यह बिल्कुल तथ्य के विपरीत बात है क्योंकि एंग्लो-अमेरिकन कमीशन के जांच पड़ताल करने के बाद ही यह स्थान उपयुक्त समझा गया और इस वजह से यहां पर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी की सीट कायम करने का सुझाव दिया है।

एक माननीय सदस्य ने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में १,१०० ट्रेक्टर्स होने की वजह का सुझाव दिया कि वहां पर ट्रेक्टर्स ज्यादा हैं जिनसे खेती-बाड़ी अच्छी हो सकती है, फार्म हैं इसलिए वहां सीट होनी चाहिये ; यह कोई

६.२८ म० पू०

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

क्राइटेरिया नहीं है। आज राजस्थान केनाल और दूसरे इतने काम चल रहे हैं जिनकी वजह से बोझा ढोने और सामान इधर उधर ले जाने के लिए ट्रेक्टर्स काम में आते हैं, न कि खेती बाड़ी के लिए। इसलिये यह क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से कहा जाय कि गंगानगर में सीट ले जाई जाय। जहां तक पुराने ढंग से और नये ढंग से कार्य करने का सवाल है, उदयपुर एक ऐसा स्थान है जहां पुराने ढंग से खेती होती है और वहां सीट होगी तो स्टुडेन्ट्स विद्याध्ययन करके बाहर जावेंगे तो नये ढंग से लोगों को सुझाव देंगे और हमारी खेती-बाड़ी को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी और हम ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकेंगे।

दूसरी बात गंगानगर के सदस्य महानुभावों ने बताई कि वहां पर सूरतगढ़ और दूसरे बड़े फार्म्स हैं जिनको बाहर से आने वालों ने भी एप्रीशियेट किया है। लेकिन यह कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सूरतगढ़ और दीगर फार्म वहां पर हैं इसलिए विश्वविद्यालय होना चाहिये। युनिवर्सिटी एक ऐसा इन्स्टीट्युशन है जिसका फार्म से ताल्लुक नहीं है, जितना रिसर्च और पढ़ने वाले लोगों से ताल्लुक होता है। सूरतगढ़ का फार्म और दीगर फार्म्स यहां से भी जाकर आदमी देख सकते हैं। यह कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से गंगानगर में युनिवर्सिटी कायम की जाय।

एक माननीय सदस्य ने बीकानेर के लिए यह निवेदन किया कि वहां पर वेटरनेरी कॉलेज है........

श्री भैरोंसिंह : जवाब तो मिनिस्टर महोदय ही दे देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तो यह बता रहा हूं कि उदयपुर में क्यों होनी चाहिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, जवाब तो देने का जिनको अधिकार है वही देंगे; आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं........

श्री भैरोंसिंह : आपको चिन्ता नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

करनी चाहिये; सुखाड़ियाजी हैं तब तक कहीं नहीं जाने वाली है।

श्री गिरधारीलाल : मैं भी कह सकता हूं। मुझे कहने का अधिकार है। आपको क्या चिन्ता है, आपको किसी की पैरवी करनी है तो बाद में कर सकते हैं।

वेटरनेरी कॉलेज के बारे में बताया कि इससे विशेष लाभ मिलेगा। वेटरनेरी कॉलेज बीकानेर में है। उसका लाभ उदयपुर में भी मिल सकेगा और गंगानगर से जितनी दूर वह है, उतनी ही दूर उदयपुर से भी हो सकता है, कुछ थोड़े बहुत मील का फर्क हो सकता है। इसलिए यह कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गंगानगर में युनिवर्सिटी कायम की जाय।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले विकास कार्य शुरू करने के लिए कॉलेज खोल दिया गया और अब युनिवर्सिटी कायम की गई। तो इस प्रकार की भावना पहले से नजर नहीं आई। यह सिर्फ क्रिटिसिज़्म करने के लिए कह दिया गया है। उदयपुर में यह युनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो बातें दलील में कही गई हैं वे निरर्थक हैं। मुझे यह निवेदन करना है कि उदयपुर ही ऐसा उपयुक्त स्थान है कि जहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम हो गई तो वहां एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में अच्छा वातावरण रहेगा और वहां बाहर के लोग आकर अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे और हमारे राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के मायने में सुविधा और साधन उपलब्ध करने में सहयोग दे सकेंगे। आज आप जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में जहां भी एजूकेशनल एटमोस्फियर रहता है, वहां शिक्षा का ज्यादा असर होता है। बहुत सी ऐसी युनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अफीलियेशन की और दूसरी प्रकार की पढ़ाई होती है। वहां इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा एटमोस्फियर पढ़ाई के सम्बन्ध में नहीं हो सकता है, बनिस्पत उस स्थान के जहां शिक्षा का वातावरण है और एटमोसफियर है। उदयपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर शिक्षा का वातावरण है और वहां पर इस प्रकार की युनिवर्सिटी कायम होगी तो उससे सारे राजस्थान को लाभ होगा और हिन्दुस्तान को भी लाभ होगा। साथ ही हिन्दुस्तान और राजस्थान में एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा काम कर सकेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, जो बहस युनिवर्सिटी की प्रिन्सिपल सीट के सम्बन्ध में चल रही है, मैं उस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं और संक्षेप में मैंने अपने विचारों को सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के डिसेन्ट नोट में भी प्रस्तुत किया है। 'हां' पक्ष के लोगों की दलील है कि प्रिन्सिपल सीट युनिवर्सिटी की उदयपुर में स्थापित रहनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा एतराज उदयपुर में युनिवर्सिटी की सीट को एस्टेब्लिश करने के लिए यह नहीं है कि वह सीट उदयपुर में स्थापित की जा रही है; बल्कि हमारा यह एतराज है कि इस सीट का फैसला बिना किसी एक्सपर्ट कमेटी की राय के किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जितने भी महत्वपूर्ण फैसले किये हैं–हाई कोर्ट के सम्बन्ध में फैसला किया, राजधानी के सम्बन्ध में फैसला किया, मेडिकल कॉलेज जैसी छोटी से छोटी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चीज के बारे में फैसला किया–ये सारे फैसले राज्य सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट करके उसकी राय के अनुसार किये। हाई कोर्ट के सम्बन्ध में जो कमेटी अपोइन्ट की थी, उसकी बात सदन को मालूम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, जो दस लाख का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को खोलने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट की गई थी जिसमें देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ शामिल थे। इसलिए जो डिसेन्ट नोट हमने दिया है, हमारी मन्शा यह नहीं है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में न खुले। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, अगर एक्सपर्ट कमेटी यह कहती है कि उदयपुर ही सबसे उत्तम स्थान है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, तो एक्सपर्ट कमेटी की राय से इत्तफाक करूंगा; लेकिन राज्य सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनायेगी नहीं, एक्सपर्ट कमेटी की राय लेगी नहीं और राजनैतिक डिसीज़न के तौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में खोलने के निर्णय को वह थोपना चाहती है तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करते हैं और हमारा विरोध रेशनल है, साइन्टिफिक ग्राउन्ड पर है।

यह दलील दी जाती है और कहा जाता है कि क्षेत्रीय भावना की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जरा अपने अन्दर झांकिये, आप जरा अपने अन्दर देखिये और इस डिसेन्ट नोट को पढ़िये। इस डिसेन्ट नोट पर गोविन्दगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं, इस डिसेन्ट नोट पर पिलानी से आने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, अलवर और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, गंगानगर और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जबकि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के सदस्यों ने इस डिसेन्ट नोट में मांग की है कि एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी गंगानगर में स्थापित होनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई दलील बाकी रह जाती है इस बात का खंडन करने के लिए कि यह क्षेत्रीय भावना का प्रतीक है। यदि इस डिसेन्ट नोट पर केवल गंगानगर और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होते तो आप कह सकते थे कि यह क्षेत्रीय भावना का प्रतीक है लेकिन जबकि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आये सदस्यों की यह राय है, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आये माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि एक एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट की जाय, तो मैं समझ नहीं पाता कि क्या हिच है एक एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट करने में। यदि सरकार समझती है कि उदयपुर का केस मजबूत है, यदि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि उदयपुर का केस साउन्ड है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय करने का मूल सिद्धान्त है कि justice should not only be done, but it should also seem that justice is being done, यदि आप उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं तो जो एक्सपर्ट कमेटी आप अपोइन्ट करते हैं उनकी राय आपके पक्ष में आती है, इस बात का आपको यकीन है तो उसके बाद आप उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी एस्टेब्लिश करें। लेकिन आप हमारी बात भी सुनें। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों को आप यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अधिकार नहीं देंगे कि वे अपनी राय उस एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखे और क्योंकि आज सरकार के अन्दर उदयपुर का बोलबाला है इसलिए उदयपुर में स्थापित करने का डिसीज़न लेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यह डिसीज़न एक टेम्पोरेरी तौर पर ले सकते हैं आप ब्रूट मेजोरिटी के तौर पर यह करवा सकते हैं, विरोधियों की कमजोरी होने की वजह से हाउस से पास करवा सकते हैं; लेकिन इस डिसीज़न का भयंकर परिणाम होने वाला है। आपने जयपुर से हाईकोर्ट की सीट हटाई उसका परिणाम आपको १९६२ में भुगतना पड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बिना एक्सपर्ट कमेटी को अपोइन्ट किये हुए, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों को अपने अपने क्लेम एक्सपर्ट कमेटी को रिप्रेज़ेन्ट किये बिना, उदयपुर में इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का निर्णय लिया तो आपकी तरफ जो छः माननीय सदस्य कांग्रेस के बैठते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन छः सदस्यों में से एक भी व्यक्ति १९६७ में आपकी पार्टी में जीत कर नहीं आ सकेगा....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप अपनी जमानत बचा लीजिये; दूसरों की कहते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : छः नहीं, ज्यादा आयेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां, एक भी नहीं आये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

बहुत आयें, बहुत ज्यादा आ जायं तो आपको खुश होना चहिये। आपको इतना उतावला नहीं होना चाहिए।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो एक निर्णय है, जो एक एक्सपर्ट कमेटी से होना चाहिए, जैसे हमने बड़े और छोटे मसलों को एक्सपर्ट कमेटी से तय किया है। जैसे आपने जोधपुर यूनीवर्सिटी को कायम करने के पहले खोसला कमेटी को अपोइन्ट किया या और जब उसने जोधपुर को रिकमन्ड किया तब आपने जोधपुर में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने का फैसला लिया। आप किस वजह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट नहीं करना चाहते ?

हमारे मंत्री महोदय ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पर कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एक कमेटी भेजी थी और उसने उदयपुर को विज़ीट किया था और उसने रिकमन्ड किया था कि उदयपुर में विश्वविद्यालय खोल दिया जाय। हमने सिलक्ट कमेटी में उस रिपोर्ट को मांगा और मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमको कोई रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी को अवेलेबल नहीं की गई और कोई रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं रखी गई। इसी तरह एंग्लो-अमेरिकन टीम की बात कही। हमने उस रिपोर्ट को मांगा, परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उनके क्या

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आर्ग्युमेंट्स थे, किस आधार पर एंग्लो-अमेरिकन टीम ने फैसला किया है, इस बात को सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं रखा गया है। अगर आपके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कमेटी की रिपोर्ट है, यदि आपके पास एंग्लो-अमेरिकन टीम की कोई रिपोर्ट है तो क्या वजह है कि उसको आप प्रकाशित नहीं करते और सदन के समक्ष नहीं रखते ? यहां तक कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स को पेरूज़ करने के लिए देते नहीं, छिपाने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को मांगने के बावजूद कहा गया कि रिपोर्ट बहुत थोड़ी है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, उसका मतलब यह है। इस तरह की बात सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स को कह दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में कोई रिपोर्ट है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की कमेटी आई, वह कमेटी उदयपुर में घूमी और उसने उदयपुर को रिकमन्ड कर दिया कि उदयपुर ही प्रोपर प्लेस है। वह कमेटी बीकानेर गई नहीं, कोटा गई नहीं, गंगानगर गई नहीं, जोबनेर को विज़ीट नहीं किया और उदयपुर के फेवर में रिपोर्ट दे दी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं है।

प्रश्न इस बात का नहीं है; जैसे जयपुर डिविज़न से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लोग ज्यादा थे, इसलिए गंगानगर का नाम लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि एग्रीयूकल्चर निवर्सिटी गंगानगर में स्थापित की जाय या उदयपुर में की जाय। प्रश्न यह है कि राजस्थान में ऐसा कौनसा स्थान है, जो इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए उपयुक्त है ? हमारी यह जिद नहीं है कि यह यूनिवर्सिटी गंगानगर में ही स्थापित की जाय। हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी ऐसे किसी स्थान पर स्थापित की जाय, जिसे एक्सपर्ट कमेटी रिकमन्ड करती है। हम नहीं कहते कि यूनिवर्सिटी जोबनेर में हो, हम नहीं कहते कि कोटा में हो, हम नहीं कहते कि गंगानगर में हो लेकिन हमारा आर्ग्युमेंट यह है कि यह फैसला एक एक्सपर्ट कमेटी की राय पर आधारित होना चाहिए और ऐसे मसले में कमेटी न बनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में यह कमेटी घूमेगी, वहां की स्थिति देखेगी और फिर उसके बाद अपनी राय देगी। इस बात को मुख्य मंत्री को मानना चाहिए और हमारी सरकार और 'हां' पक्ष के लोग हैं, उनको रेशनल ग्राउन्ड पर और साइन्टिफिक ग्राउन्ड पर इस बात को कुबूल करना चाहिए। यदि इस बात को नहीं माना जाता है और सिर्फ एंग्लो-अमेरिकन टीम की बात को मानते हैं और यह कहते हैं कि चूंकि ए. ए. टी. ने इसको चूज़ किया है इसलिये इस यूनिवर्सिटी को अगर यहां पर खोला जावेगा तो उससे करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं; क्योंकि उन्होंने इस स्थान को चूज़ कर लिया है और इसलिए हमें यहीं पर कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहिये; इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी फोरिन पॉवर की कमेटी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह हमारी होम पॉलिसी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे और यह कहे कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यहां पर युनिवर्सिटी खोली जावे। यह नहीं हो सकता कि ए. ए. टी. आई और उसने कह दिया। पहली बात तो यह है कि ए. ए. टी. आई ही नहीं और कोई टी. टी. एम. आई थी। उसके लिए राजस्थान सरकार यह कहे कि उसने स्थान चूज़ किया है और वह रुपया देगी, यह दलील नहीं हो सकती। यदि किसी दूसरे स्थान पर भी यह खोली जावेगी तो भी वह तो मदद देगी ; जैसे जोधनेर, कोटा या गंगानगर में यदि खोली जावेगी तो टी. टी. एम. इतनी ही मदद करने के लिये तैयार होगी जितनी कि उदयपुर में खोलने पर मदद करने के लिये विलिंग हो सकती है। इसलिये मैं सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो फैसला किया है वह कोई रेशनल आधार पर नहीं है, कोई रीज़नेबल आधार पर नहीं है। यह फैसला पोलिटिकल, राजनैतिक आधार पर किया है और राजनैतिक फैसला है। इसे सदन पर थोपा जा रहा है। इस सदन में दो युनिवर्सिटीज़ बिल चल रहे हैं। एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का बिल है और उसके बाद में जोधपुर युनिवर्सिटी का बिल आ रहा है।

मैंने अपने भाषण में खोसला, कमेटी का जिक्र किया। खोसला कमेटी ने जोधपुर के अलावा किसी दूसरे स्थान को विज़ीट नहीं किया। जोधपुर के अलावा किसी दूसरे सिटी (City) को विज़ीट नहीं किया, इसके लिए मुझे बड़ी हैरत होती है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह जोधपुर का मामला है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेन्स में यह होना चाहिए कि राजस्थान में दूसरे कौन से स्थान हैं जो उपयुक्त हो सकते हैं। क्या कारण है कि एक सीट के लिए एक ही स्थान को विज़ीट करके उसके लिए अपनी राय दे दी जाती है ? एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी उदयपुर और एज्युकेशन युनिवर्सिटी जोधपुर में। मैं यह कहूँगा कि आज कोई कमेटी बनाते हैं वह सिर्फ जोधपुर की सिच्युएशन को ही क्यों देखती है दूसरे स्थानों की सिचुएशन को क्यों नहीं देखती ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पहले यह फैसला कर लेते हैं कि कहां युनिवर्सिटी कायम करनी है और उसके बाद कमेटी मुकर्रर करते हैं और कमेटी को टर्म ऑफ रेफरेन्स दे देते हैं। इसलिये इस तरह की एक्सपर्ट कमेटी की राय ली जाती है, यह बहुत ही डिफेक्टिव है। इसलिये मैं 'हां' पक्ष के लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई एक्सपर्ट कमेटी तो कायम करें जो इस बात को देखे कि राजस्थान में कौनसा स्थान इसके लिये उपयुक्त है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : टर्म ऑफ रेफरेन्स देने की बात कही। टर्म ऑफ रेफरेन्स में जोधपुर में ही होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि हालां कि हमने उनको यह रेफर नहीं किया था कि नीयर फ्यूचर में क्या प्रोग्राम हो और क्या इसका बेसिस होना चाहिये फिर भी खोसला कमेटी ने बताया है कि जो सीट ऑफ लर्निंग है, लड़कों की संख्या है और उसका रेकॉर्ड जो दिया है उसमें उन्होंने उदयपुर और पिलानी का नाम दिया है जबकि टर्म ऑफ

(श्री परसराम मदेरणा)

रेफ़रेन्स में नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : क्या दोनों बिलों का समय एक ही है या अलग अलग है ।

श्री सभापति : Hon'ble Members will please confine their discussion to the Agricultural University Bill.

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई वाटर टाइट कम्पार्टमेंट तो है नहीं ।

अभी मन्त्री महोदय ने बताई टर्म्स ऑफ रेफरेन्स की बात । उनका जवाब हाउस में स्पष्ट था कि बीकानेर को विज़ीट नहीं किया और पोटेन्शियेलिटी नहीं....

श्री सभापति : it is not relevant.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Sir, it is very much related with that. The Hon'ble Minister has said very pertinant things and, therefore, I have to reply them.

एक माननीय सदस्य : अगर मिनिस्टर ने कोई गल्ती की है तो उसे दुबारा नहीं दोहराया जावे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गंगानगर और दूसरे स्थानों की सूची तो दे दें जिनको आप उपयुक्त स्थान समझते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जितने नामों की सूची देने से पहले आप एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट करने की हिम्मत तो करिये । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जिस तरह से बिहेवियर करते हैं वह उचित नहीं है ।

He should be reprimanded. He must behave properly in the House.

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): The Hon'ble Member must be asked to adhere to the observation of the Chair.

श्री मानिकचन्द सुराणा : He should know that he is not in the Chair.

श्री सभापति : Let us make the decorum of the House.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): In my opinion, Sir, I think, every word that the Hon'ble Member has said is relevant and I should submit that he should not be heckled.

श्री निरंजननाथ आचार्य: The Chair has given observations and it is our solemn duty to adhere to it.

श्री सभापति : Please continue.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि जो कुछ किया गया है और फैसला लिया गया है वह राजनैतिक फैसला है । मैं यह निवेदन करूंगा कि बीकानेर और सांगरिया में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिये वहां सांगरिया के लोगों ने पिछले तीन साल से कोशिश

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की। मगर मैं सदन के सामने इस तथ्य को रखना चाहता हूं कि तीन वर्षों के लगातार प्रयत्न के बावजूद भी कोई इजाजत नहीं दी और पिछले तीन वर्षों में उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले तीन वर्षों में जोबनेर की इम्पोर्टेन्स को कम करेंगे और तीन वर्षों में उदयपुर में आकर यह दलील देंगे कि युनिवर्सिटी वहां खोली जा सकती है जहां कॉलेज हो। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब लोग सांगरिया में लाखों रुपया पब्लिक से इकट्ठा करके खोलने के लिये प्रयत्न तीन सालों से कर रहे हैं और आपने उनको पर्मिशन नहीं दी। अगर तीन वर्षों पहले आप उनको वहां पर कृषि का कॉलेज खोलने की इजाजत दे देते तो उसका भी जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, आज एक क्लेम होता; लेकिन चूंकि सरकार की बागडोर आपके हाथ में है, आपने उनको इजाजत नहीं दी,न आपने मेन्योवर और मेनुपुलेट किया कि अगर सांगरिया में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जावे तो सबसे बड़ा कॉलेज होगा और एग्रीकल्चरल कॉलेज होने से युनिवर्सिटी का क्लेम हो जायेगा। इसलिये किसी प्रकार से सांगरिया में कृषि कॉलेज नहीं खोला जा सका। एक तरफ सरकार के लाखों रुपयों की धन-राशि जो इसमें खर्च होगी वह बचती और दूसरी तरफ लाखों रुपया चन्दा करके लोग कृषि कॉलेज बनाते। उसको खोलने नहीं देते हैं और बाद में यह दलील दी जाती है कि वहां पर पहले कृषि कॉलेज बना हुआ है। यह कहां का न्याय है ? आज तक भी आपकी सरकार की मंशा नहीं है कि संगरिया को परमिशन दे दी जावे। इसको परमिशन देने के लिये बीसियों तरह की रुकावटें आप उपस्थित करते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए शर्म मालूम होती है कि बीकानेर के एक डिप्टी मिनिस्टर पहले भी थे और आज भी हैं;उनके वहां पर(सरकार में)होते हुए भी किसी तरह से उन्होंने संगरिया के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भूतपूर्व गृह मंत्री की जो स्थिति जयपुर में हुई वही की वही आपकी अगले चुनावों में होनेवाली है। अगर वे जायज़ बात पर बोलना नहीं चाहते हैं और अपनी कॉन्स्टीट्एन्सी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is very objectionable and the expression should be withdrawn.

श्री सभापति : The Hon'ble Member should refrain from making such aspersions.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बार बार चैलेंज देते हैं तो आप और मंत्री दोनों वापिस इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लीजिये। फिर आप अपनी जमानत बचा लीजिये।

(अनेक माननीय सदस्य दोनों पक्षों से एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बार बार क्या चैलेंज देते हैं और कहते हैं ?

श्री सभापति : Order ! Order !! Let us not try to detract from the dignity of the House.

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य हाउस के डेकोरम का पूरा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। यह तो बिल्कुल खराब बात है जिस तरह का आप व्यवहार करते हैं।

Yes please, continue with your speech.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी राज्य सरकार को जहां एक करोड़ रुपया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में खर्च करना हो और दूसरी जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने में केवल १० लाख खर्च करने हैं तो यह दलील संगरिया में बाधित नहीं होनी चाहिये। यू. पी. में रूद्रपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई। यू. पी. में ३५ एग्रीकल्चर कॉलेजेज़ हैं, रूद्रपुर में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था; इसके बावजूद भी यू. पी. सरकार ने फैसला किया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रूद्रपुर में कायम करनी है। तो राज्य सरकार की दलील है वह भ्रामक है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहीं कायम की जा सकती है जहां पर कि एग्रीकल्चर कॉलेज हो। जहां एक करोड़ की योजना बन चुकी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट है कि एक करोड़ रुपया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर खर्च करना चाहते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस जगह खर्च किया जाय जहां पर कि खर्च करने के लिये एक्सपर्ट्स कमेटी सिफारिश करे। 'हां' पक्ष के लोग यदि उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने के पक्ष में हैं तो मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी–एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी–कायम करने का हामी हूं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. There is a term being used by the Hon'ble Member- 'हां पक्ष के लोग'; it is a term which is very flexible. It sometimes become 'Noes' and sometimes 'Ayes'. This term should not be used.

श्री मानिकचन्द सुराणा : All right, Sir, now I will use.'सरकारी पक्ष के लोग'। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकारी पक्ष के लोग उदयपुर के पक्ष में हैं तो मैं निश्चित रूप से गंगानगर के पक्ष में हूं। उदयपुर और गंगानगर की बात को छोड़ा जाय, जोधपुर और कोटा की बात को छोड़ा जाय, सारा हाउस एक फैसला करे; हमें एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय के आधार पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करनी है। इसको हम सदन के सभी सदस्य स्वीकार करेंगे चाहे वह निर्णय हमारे खिलाफ जाय। हम एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय का समर्थन करेंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भावना काम करती है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में होनी चाहिये। मैं समझता हूँ, हमारे मुख्य मंत्री एक बहुत बड़ी एम्पायर अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं; उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी एक है। वे यह चाहते हैं उनके बाद में यह कहा जाय कि ये काम उदयपुर से आनेवाले चीफ मिनिस्टर ने उदयपुर में किये। वे चाहते हैं कि उदयपुर के जितने भी कार्य हैं वे उनके कार्यकाल में पूरे हो जायं....

श्री सभापति : We need not draw such inferences.

श्री मानिकचन्द सुराणा : It is a clear cut charge against the Chief Minister that he wants to leave such an empire, he wants to build up such a sort of...

श्री सभापति : Order please ! Such charges should not be made. आप अपनी बात कहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I have every right to level charges against the Chief Minister...

श्री सभापति : You should, Please, not challenge the Chair's Ruling.

श्री मानिकचन्द सुराणा : All right, Sir, इसलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो प्रवृत्ति बन रही है कोई शोभनीय प्रवृत्ति नहीं है। जो मुख्य मंत्री हैं उन्हें राजस्थान के हर हिस्से को राजस्थान का हिस्सा समझ कर समान व्यवहार करना चाहिये। हम सरकारी पक्ष के हर माननीय सदस्य को कहना चाहते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी जिस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ले उस स्थान के लिये हम विरोधी पक्ष के लोग भी सपोर्ट करेंगे। इसमें क्षेत्रीय भावना का प्रश्न नहीं है। जो स्थान सबसे अधिक योग्य और उपयुक्त है इसके लिये वहीं कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिये; हम यह चाहते हैं। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर बहुत जोर देते हुए कि यह यूनिवर्सिटी उसी स्थान पर स्थापित की जानी चाहिये जहां के लिये राजस्थान सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट्स कमेटी सिफारिश करे, उस कमेटी में हिन्दुस्तान भर के एग्रीकल्चर साइन्स के एक्सपर्ट्स हों उनसे गठित की जाय।

क्लॉज़ ४ में प्रिन्सिपल सीट उदयपुर में रखने का है। इस क्लॉज को हटा देना चाहिये। यह क्लॉज़ रहता है तो सरकारी पक्ष में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन पर यह चार्ज होगा विरोधी पक्ष की ओर से कि उन्होंने मुख्य मंत्री को खुश करने के लिये इस क्लॉज़ को रखा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : विरोधी पक्ष में केवल आपकी पार्टी ही कहती है या सब शामिल हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी व्हिप यूज़ नहीं करे तो निश्चित रूप से सरकारी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, it is Congress party and it should not be dragged on the floor of the House.

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! You are repeating your arguments.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I repeat and I submit that the question of establishment of the Agriculture University should be taken np afresh, because it is not based on an expert's opinion and I demand that an Expert Committee should be appointed for deciding its seat and the Rajasthan Government should include the Edu-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

cational experts and Scientists of Indian fame.

That is my submission.

श्री सभापति : श्री मथुरेशबिहारी !

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सभापति महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल के ऊपर....

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir, जितने माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में थे वे ही बोल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे उनको भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने एतराज किया इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि मैं उस सिलेक्ट कमेटी का सदस्य होने के नाते ही इस बिल पर स्पष्टीकरण करते हुए इसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

एक माननीय सदस्य : लोकेशन के लिए नहीं।

श्री सभापति : सिलेक्ट कमेटी में जो नोट ऑफ डिसेन्ट देते है वे ही बोल सकते हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सिलेक्ट कमेटी के सदस्य स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है, मैं समर्थन करने खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति : नियम यह है कि जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है वे ही बोल सकते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : They have the right, Sir, to speak in favour.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Sir, The Hon'ble Member has not given any note of dissent If he wishes to strengthen it or supplement his views he is entitled to do so.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Yes, Sir, he has a right to support.

श्री सभापति : Yes, Shri Mathuresh Behari !

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सभापति महोदय, इस बिल के ऊपर जिस वक्त यह सदन में प्रस्तुत हुआ तब भी इसके ऊपर काफी वाद-विवाद होकर यह सिलेक्ट कमेटी के लिए रेफर हुआ था। जिस समय इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए वाद-विवाद हुआ और आज के वाद-विवाद के जो ग्राउन्ड्स हैं उनके अन्दर मुझे बहुत कम अन्तर दिखाई देता है। इन वाद-विवादों में जो केन्द्रित भावना है वही इस दलील के अन्दर और ग्राउन्ड्स के अन्दर प्रतीत होता है। प्रश्न और दलील यह दी जाती है कि बीकानेर में या जोधनेर में इस युनिवर्सिटी की स्थापना न की जाकर उदयपुर में की जा रही है वह सही नहीं है। मेरे विचार से ये दलीलें कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर इस सदन में प्रेषित की जा रही हैं। मैं सदन के समक्ष

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

रखूं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भी काफी वाद-विवाद हुआ और उस समय जो एक एक्सपर्ट कमेटी राजस्थान सरकार की ओर से और जिसमें सेन्टर के भी महानुभाव थे उनकी एक रिपोर्ट भी पढ़ कर हमको सुनाई थी। उसमें जो पोइन्ट ऑफ रेफरेन्स था उसके सम्बन्ध में जो ओपीनियन थी उसमें यह एक प्रश्न था और बहुत सी कन्डीशन्स में से एक कन्डीशन यह थी कि जहां कॉलेज हो वहां ही यूनिवर्सिटी बनाई जाय। वहां की उपयोगिता, रिसर्च के साधन बिल्डिंग्ज़ और क्लाइमेट को देख कर उस पर निर्णय लेने के लिए ओपीनियन दी गई, और उस कमेटी द्वारा उदयपुर के लिये राय दी गई, जिसको मन्जूर करते हुए यह बिल सदन में पेश किया गया।

मैं मानता हूं कि बीकानेर डिविज़न में कृषि के लिए सूरतगढ़ वगैरह जगह के अन्दर मैकेनाइज़्ड फार्म्स हैं। लेकिन मैकेनाइज़्ड फार्म्स होना और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध होना ही युनिवर्सिटी कायम करने के लिए काफी कारण नहीं हैं। जो होम साइन्स के लिए सुविधायें हैं, क्लाइमेटिक कन्डीशन्स हैं, बिल्डिंग्ज़ के लिए उपलब्धता है उसको ध्यान में रखा गया है और यह आवश्यक भी है। बीकानेर के अन्दर, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर वहां पर एक कृषि के लिए कॉलेज हो जाता जिसके लिए बहुत मांग थी किन्तु कॉलेज नहीं बनाया; नहीं तो वहां पर यूनिवर्सिटी हो जाती। इस दलील का मतलब वे भी यही समझे हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज होना आवश्यक है और इसीलिए उनके डिविज़न का क्लेम माना नहीं गया। तो कृषि यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक यह है कि पहले वहां कॉलेज हो! यहां पर मिसाल डिसेन्टिंग नोट में और बहस के दौरान में सदन में रुद्रपुर की रखी गई है। मैं अर्ज करूं कि रुद्रपुर में यू० पी० गवर्नमेन्ट ने यह देख कर कि कृषि कॉलेज अनेक हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, सदन में जिस प्रकार बहस हो रही है और माननीय सदस्य भी जिस प्रकार से बोल रहे हैं मैं समझता हूं इस बिल के जो उद्देश्य हैं उसके विपरीत है। यूनिवर्सिटी उदयपुर या उसके बाहर होनी चाहिये, उसके सम्बन्ध में एक पर्टीकुलर क्लॉज़ है और उस सम्बन्ध में यदि कोई विरोध हो तो उसके लिए अमेन्डमेन्ट लाकर उसका विरोध किया जा सकता है। जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी खोलने का उसके लिए सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी पर बहस होनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, I differ from the Hon'ble Member. This has been the practice being followed and every Member has been liberally treated so far as this issue is concerned regarding the seat of the Agricultural University. Almost all these debates are being made and he is entitled to say in view of the liberal attitude that the Chair has taken, Sir.

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि एटीट्यूड का सवाल नहीं है। रूल्स

(श्री भैरोंसिंह)

स्पष्ट हैं। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं। उन पर जनरल डिबेट होती है। यदि किसी पर्टीकुलर क्लॉज़ को लेकर डिबेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अमेन्डमेन्ट पेश कर दें और उसको जहां केन्द्रित करना चाहें करें। यदि जनरल डिबेट होती है तो वह पर्टीकुलर सेक्शन के लिए नहीं हो सकती है, किन्तु ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के लिए ही हो सकती है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि माननीय सदस्य, जिनका अनुभव काफी है और उनकी इस बात के लिए कई रूलिंग्ज़ भी होंगी, का यह कहना कि पर्टीकुलर क्लॉज़ होते हुए भी जनरल बहस हो सकती है और की जा सकती है; यह उन्हीं को शोभा दे सकता है अन्य को नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई आधारों में से एक आधार है। यह बिल के अन्तर्गत ही है। This is one of the issues which the Hon'ble Member is heckling.

श्री भैरोंसिंह : This is not the object of the Bill.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले भी उठ सकता था, लेकिन जानबूझ कर इस वक्त उठाया गया है। जो चर्चा शुरू हो गई है उसको होने देना चाहिये और रोकना नहीं चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं आपका ध्यान ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स की ओर दिलाऊं कि उदयपुर में यूनिवर्सिटी करने की बात इसमें शामिल है; मैं ध्यान दिलाऊं। इसलिए माननीय सदस्य का जो कॉन्टेशन है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स पर ही बातचीत की जाय तो उदयपुर उसके अन्तर्गत आता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास जो कॉपी है उसमें केवल लिखा है :

"A Bill to establish and incorporate an Agricultural University for the development of agriculture and for the benefit of the rural people of the State of Rajasthan. . . ."

श्री लक्ष्मणसिंह : Sir, may the Hon'ble Member be allowed to proceed ?

श्री सभापति : Yes proceed.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तो मैं आपके सामने रुद्रपुर की बात पेश कर रहा था। रुद्रपुर की जो मिसाल दी गई है उसके क्या सर्कमस्टान्सेज़ थे ? उसके सर्कमस्टान्सेज़ ये थे कि सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में सैन्टर चाहता था कि पूरे भारतवर्ष के अन्दर एक कृषि यूनिवर्सिटी कायम की जाय और उसको कायम करने के लिए सेन्टर की ओर से रकम दी गई थी और सेन्टर की ओर से रुद्रपुर के अन्दर उसी सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर यू. पी. गवर्नमेन्ट की कन्सल्टेशन से वह यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। लेकिन इस मिसाल के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह नहीं भूलना चाहिये कि जब कोई कमेटी बनाई जाय और उसमें पोइन्ट ऑफ रेफरेन्स दी जाय और पोइन्ट ऑफ रेफरेन्स में कन्डीशन प्रेस-

Page No. 51

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

क्राइब हो कि यूनिवर्सिटी वहां कायम की जायेगी कि जहां पर कॉलेज हो, रुद्रपुर में सन् १९५६ में यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और उसके बाद राजस्थान में कमेटी का रेफरेन्स किया है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, कमेटी बनाई गई थी तो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स था। तो यह कमेटी किसने अपोइन्ट की थी ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यद्यपि इस पर प्रकाश सरकारी पक्ष की ओर से डाला जायेगा लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जैसा हमारे सामने प्रकाश डाला गया है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि सेन्टर के कोई एक्सपर्ट महानुभाव थे जो राजस्थान में आये और उन्होंने यहां पर इस बात को डिस्कस किया था और उसमें चार-पांच पोइन्ट्स ऑफ रेफरेन्स थे। उसमें पहला पोइन्ट ऑफ रेफरेन्स यह था कि जहां पर कृषि का कॉलेज हो वहां पर यह यूनिवर्सिटी कायम की जाय। जब पोइन्ट ऑफ रेफरेन्स दे दिया और पहले की मिसाल में कोई पोइन्ट ऑफ रेफरेन्स न हो और कोई चीज़ कायम की गई न हो तो भी मैं कहूँगा कि यह दलील कोई वजन नहीं रखती है।

रुद्रपुर की मिसाल के आधार पर केवल कॉलेज न होने के कारण युनिवर्सिटी नहीं हो सकती, यह दलील वजन नहीं रखती। यहां के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वह सदन के सामने सुनाई गई, उससे साफ जाहिर होता है। इसी तरह से दूसरा कारण इस युनिवर्सिटी की सीट के लिये जैसा कि आपके सामने कहा गया जोबनेर के लिये रखा गया था। जोबनेर और उदयपुर में युनिवर्सिटी रखने की जो भावना है उसमें यह है कि एक अच्छी चीज युनिवर्सिटी जैसी वहां भी हो तो कोई बुराई नहीं। इन दोनों जगहों का कम्पेरिज़न किया जाय। आज जहां कायम हो रही है कौनसा स्थान इसके लिये उपयुक्त है, यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी। किस कारण कॉलेज बीकानेर में नहीं किया, वहां की मांग होने के बावजूद नहीं किया और आज कॉलेज न होने के कारण वह पिछड़ गया। वहां कॉलेज नहीं हो पाया ? वैसी हालत में यह बिल जो आया है उसको हम पीछे नहीं डाल सकते।

इसी तरह से शिक्षा निपुण जो थे उन्होंने जोबनेर के अन्दर एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की। उसको तरक्की मिलनी चाहिये, उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आज वहां की स्थिति क्या इस प्रकार की है जिससे वहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी खोली जा सके ? फार्म्स के लिये कहा गया। वहां की सारी जमीन खारे की जमीन है। ऐसी जगह पर इस प्रकार की चीज की स्थापना कर रिसर्च की जाय उदयपुर की क्लाइमेटिक कन्डीशन को रिसर्च के लिये काम में लिया जाय, इसी तरह से वहां की एकोमोडेशन को देखा जाय। मण्डी की बिल्डिंग में चलती थी उसको इम्प्रूव करने के लिये कोशिश की गई। स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण किया गया, काफी प्रयास के बावजूद भी वह इस स्तर पर नहीं आ सका; चाहे उसमें सरकार की अवहेलना ही क्यों न हो, वहां युनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकी। यह अच्छी चीज है; जोबनेर में भी हो और बीकानेर में भी।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन इस समय वस्तु स्थिति क्या है, इस बात पर हम लोगों ने विचार किया है। सिलेक्ट कमेटी में विचार होकर एक्सपर्ट कमेटी की जो राय थी वह भी हमारे सामने आई। उसके बावजूद भी यह कहा जाय कि इसके लिये फिर से एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया जाय, मैं समझता हूँ अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इस पर विचार हो चुका है। मैं समझता हूं इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आगे अगर जोबनेर और बीकानेर के अन्दर कॉलेजेज़ इम्प्रूव करें; बिल्डिंग, जमीन और वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन इम्प्रूव हो तो भविष्य में दूसरी युनिवर्सिटी वहां क्यों नहीं कायम की जा सकती।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस बिल के क्लॉज़ २६ के ऊपर बहुत विचार किया। क्लॉज़ २६ के तहत में जो प्रोवीज़न था वह मेन्डेटरी प्रोवीज़न था उससे सेन्ट्रलाइज़ हो जाता था उदयपुर के अन्दर। जितने भी रिसर्च इन्स्टीट्यूशन्स हैं, चाहे गवर्नमेन्ट के हों, चाहे दूसरों के उनमें ट्रान्सफर हो जायेगा रिसर्च के लिये युनियर्सिटी में। इस पर वाद-विवाद होकर इसको अमेन्ड करके रखा गया जिससे ओटोमेटिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हैड क्वार्टर पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च का कार्य चलता है जिससे प्रत्येक जिले को फायदा होता है वे अपने आप युनीवर्सिटी में केन्द्रित न हो जायं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपार्टमेन्टल लेवल पर कन्टीन्यू रहेंगे। वे उस वक्त तक ट्रान्सफर नहीं होंगे जब तक बोर्ड या वाइस चान्सलर स्टेट गवर्नमेन्ट को ट्रान्सफर करने के लिये रिकमन्डेशन न करके ऑर्डर्स नहीं दे देते। यह आशंका थी इस युनिवर्सिटी के कायम हो जाने से। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो रिसर्च होता है, कॉलेजेज़ के अन्दर रिसर्च के काम होते है वे युनिवर्सिटी में आ जायेंगे, यह दफा २६ के अमेन्डमेन्ट के बाद खत्म हो जाती है।

हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है; एसोसियेटेड डीन के पॉवर अ डीन के मातहत होने का प्रावधान था उसका हमने विरोध किया और एसोसियेट डीन के इस तरह के पॉवर्स रखे कि वाइस चान्सलर के साथ काम करने का उसको अधिकार रहेगा। इस तरह से जोबनेर कॉलेज में हो या बीकानेर कॉलेज में हो उसके अधिकारों में किसी प्रकार की हानि हो, यह मौजूदा सूरत में नहीं। वह इन्डिपेन्डेन्ट काम कर सकता है। वह इन्स्टीट्यूशन को तरक्की दे सकता है, उसके तहत में रिसर्च का काम भी ले सकते हैं।

इसके साथ साथ सदन के सामने मैं यह भी अर्ज कर दूं, यह बिल जो संशोधित रूप में सिलेक्ट कमेटी द्वारा आया है वह इस बात का प्रमाण है प्रत्येक सेक्शन में शुरू से आखिर तक हरेक सेक्शन पर वाद-विवाद करके अमेन्डमेन्ट्स लाकर के करीब करीब हर सेक्शन के अन्दर जो कम्पोज़ीशन ऑफ बोर्ड है उस पर विचार किया है। उसमें हमने इस बात के लिये प्रयत्न किया है; डायरेक्टली स्टेट ओन्ड नहीं, एक्सपर्ट्स पंचायत समिति के उसमें आयें उसी तरह से होम साइन्स, विमेन, बैंक्स ऑक्ज़ीलरी बैंक्स की तरफ से आये, इन सब बातों का प्रावधान रखा है। टैक्निकल आदमी पहुंचें और वह बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

के रूप में कार्य करे, इस बात का प्रावधान किया है और उसको सरकार ने मन्जूर किया है। आज जिस तरह से संशोधित बिल सदन के सामने आया है उन सब आशंकाओं को दूर करने का काफी प्रयास किया गया है दफा २६ और १६ में।

इसी तरह एसोसियेट डीन के लिये जोबनेर के लिये जो आशंका थी उसको दूर किया है। मैं अर्ज करूंगा कि जो संशोधन आपके सामने आया है, आज की स्थिति में जो परिस्थिति है उसके अनुसार उस स्तर के कॉलेज इस वक्त तक के लिये कायम नहीं, इस स्तर के कालेज जोबनेर और बीकानेर के नही हैं। इसलिये मौजूदा बिल में जो सीट रखी गई है उसी स्थान पर यह सीट रखी जाय, यही मेरा निवेदन है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : ११ बजे के बाद इस पर जवाब होगा। अतः माननीय सदस्य सात सात मिनिट से अधिक न बोलें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ११ बजे तक नहीं चल सकता।

श्री सभापति : ११ बजे के बाद क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन होगा।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन के लिये दो दिन का समय रखा है। कल भी इस पर बहस होने वाली थी, परन्तु दूसरे काम में समय लग गया, अतः आज इसके लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : कल भी चार महानुभाव उधर से ही बोले थे आज तो हमें समय मिलना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : यह १०० पेज का बिल ही आपकी तरफ से बोल रहा है।

श्री सभापति : केवल सात मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : एक ही क्षेत्र के आदमी इस बारे में बोले हैं दूसरों को भी बोलने दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार की क्षेत्रीय भावना को बन्द किया जाय।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२ आज से एक महीने पहले हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ था। उस समय माननीय सदस्यों की यह राय थी कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उसका मैंने भी समर्थन किया। उस समय यह आशा थी कि सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द होने के बाद इस बिल पर बहुत अधिक बहस मुबाहसा नहीं होगा। इस पर सिलेक्ट कमेटी का निर्माण किया गया। २१ सदस्यों की सिलेक्ट कमेटी में १० तो सरकारी पक्ष के और ११ विरोधी पक्ष के सदस्य उसमें लिये गये....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह गलत है, उधर के १३ थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Wrong statement is being made.

श्री जयकृष्ण शर्मा : No, no. This is right.

I chellange it. Mine is the right statement.

जिसमें उदयपुर डिविज़न के ५, जोधपुर के ४, जयपुर के ६, बीकानेर डिविज़न के २ और कोटा का १ सदस्य थे। अब इन २१ में से ५ ने डिसेन्ट नोट दिया और उन्होंने भी इस बात पर दिया कि सीट कहां होनी चाहिये।

जब पहली बार इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की बात आई तब भी इसी सीट की बात सामने आई थी और अब भी वही सीट का सवाल है। दो माह अगर जनमत के लिये भी इसे भेज दिया जावे तब भी यह सवाल रहेगा, क्योंकि हरेक माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र से प्रभावित हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम राजस्थान का और साथ ही देश का विकास करना चाहते हैं तो इस क्षेत्रीय भावना से हमें ऊपर उठना होगा और २६ रियासतों के एक होने के बाद जहां हमें नजदीक आना चाहिए था वहां हम दूर दूर जा रहे हैं। इससे क्या होता है; हमारा विकास जो है उसकी गति रुक जाती है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे निष्पक्ष रूप से सोचें। ऐसा नहीं कि जैसे एक माननीय सदस्य जो बीकानेर से आते हैं उन्होंने इस बात को रखा; जैसे कहावत है कि 'पंचों का हुक्म सिर माथे पर'; परनाला तो वहीं गिरेगा जहां गिरता है। ठीक है, विरोध करें वे, उनको हक है।

अब दूसरी तरफ से कहा गया कि उदयपुर ही क्यों जरूरी है। मैं थोड़े से में बतलाने की कोशिश करूंगा कि उदयपुर हर प्रकार से दूसरे डिविज़नों से आगे है। रेन फाल को देखें तो बीकानेर और राजस्थान के कई दूसरे हिस्सों से बड़ा ज्यादा है। पोपुलेशन का मुद्दा भी आप देखें, तीसरा उदयपुर जोधपुर और दूसरे हिस्सों से नजदीक भी पड़ता है। वहां एग्रीकल्चर कॉलेज सुलभ हो सकता है। इसमें एक्सपर्टों की राय ली गई। बहुत से कहते हैं कि यह एक्सपर्टों की राय नहीं हैं, दूसरे एक्सपर्ट लगाये जावें। पर मैं समझता हूं, फिर भी आपको सन्तोष नहीं होगा क्योंकि प्रवर समिति में भेजते समय भी यह दलील थी कि अगर इसको सौंप दिया गया तो सब हल हो जावेगा मामला, पर यह हुआ नहीं। आज भी वही हाल है। तो केवल कुछ राजनैतिक मामलों को लेते हुये ये बातें चलेंगी। प्रवर समिति में वे बातें पेश कर सकते थे, उनको हक था। तो यह सवाल इस तरह से राजनैतिक दृष्टिकोण से हल होना कठिन है। इसके लिये हमें सोचना होगा कि हमें देश को और हमारे प्रदेश की तरक्की करनी है। हमारा देश व प्रदेश कृषि प्रधान है। इसके लिये हमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। तो इस दृष्टि से इस मसले को देखें और रिसर्च, सिंचाई के साधन; इन सब बातों की तरफ गौर करें जिससे अधिक से अधिक उपज हमारे यहां बढ़ सके। तो इन सारे मसलों को पूरा करने की क्षमता उदयपुर में है। सब बातों को देखते हुए अधिक बातें उसके पक्ष में हैं।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

छोटे मोटे आंकड़े आपके भी पक्ष में हो सकते हैं, दूसरे लोगों के हक में भी हो सकते हैं। मैं भी अपने जिस जिले से आया हूँ और गर्व अनुभव करता हूँ कि जिस जिले से मैं आया हूं उस जिले की पैदावार वहां सिंचाई के कम साधन होते हुए भी सबसे अधिक हैं और इस तरह उस जिले के बारे में मैं भी कह सकता हूं कि मेरे यहां विश्व विद्यालय कृषि का होना चाहिये। इस तरह यहां तो १७६ एम. एल. ए. हैं सभी १७६ जगह चाहेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि संकीर्णता के दायरे से दूर होकर हमें इस पर सोचना चाहिये। इस दृष्टि से मेरा मत उदयपुर के पक्ष में है। वहां यह विश्व विद्यालय जल्दी से जल्दी खुलना चाहिये। जनमत जानने के लिये भेजने का प्रस्ताव रचनात्मक नहीं है, विध्वंसात्मक है। इसमें देरी करना उचित नहीं है। इससे हमारे विकास की गति रुकेगी। अगर विकास की गति आप रोकना चाहते हैं तो आपकी मरजी है। परन्तु यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये उदयपुर में सीट होनी चाहिये। इसको जल्दी से जल्दी पास किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल, जिस पर इस सदन में चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात तो सही है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी होनी चाहिये। इसकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार यह यूनिवर्सिटी राजस्थान में कब से काम करना शुरु करे; इसके लिये भी हम सबको उत्सुकता है जानने की।

लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस वातावरण के अन्दर इस बिल के ऊपर बहस की जा रही है उसका परिणाम एक तो निश्चित रूप से निकलता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहां होनी है वहां होगी। लेकिन जिन क्षेत्रीय भावनाओं को उठा कर हम इस बिल पर चर्चा करना चाहते हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से गम्भीर निकलेंगे।

सभापति महोदय, पिछले दिनों में हाई कोर्ट के मसले को लेकर जयपुर, जोधपुर के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब इस यूनिवर्सिटी के मसले को लेकर बीकानेर और उदयपुर डिविज़न के बीच एक इस प्रकार की स्थिति पैदा होने की सम्भावना है और उस सम्भावना को अगर सामने रख कर चलें तो जिस इमोशनल इन्टीग्रेशन ऑफ राजस्थान की बातें माननीय मुख्य मन्त्रीजी कहते रहते हैं उस पर थोड़ा सा भी विचार करते और माननीय सदस्यों की जो एक प्रकार की ह्यूमन वीकनेस है जिसको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता उसको एडजस्ट करने की थोड़ी बहुत भी चिन्ता वे करते तो यह स्थिति शायद पैदा नहीं होती।

इसका एक यह भी प्रकार हो सकता था कि जहां यूनिवर्सिटी खोली जावे उस सम्बन्ध में बाद में चर्चा की जावे और इसके लिये एक्सपर्ट ओपीनियन ले ली जावे जिसमें जितने मसले उठाये जावें उन सब मसलों से इस मुद्दे को देखा जावे। इनमें से किन्हीं मसलों पर नाराज हो सकते है कुछ माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य, पर फैक्ट्स भी कुछ अस्तित्व रखते हैं, कुछ महत्व रखते हैं। उन फैक्ट्स को और उसके महत्व को इग्नोर करने में और डिनाई करने में भी परेशानी होती उन सदस्यों को।

यह कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की सीट उदयपुर में होनी चाहिये। इसके भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं; पर साथ ही गंगानगर का प्रश्न उठाया जावे तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जोबनेर को भी टालमटोल की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कुछ फैक्टर्स तो हैं जो उदयपुर, गंगानगर और जोबनेर के पक्ष में हैं। पर आज यदि क्षेत्रीय भावनाओं से इनकी वेल्यूएशन करने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से एक दुश्मनी के वातावरण का निर्माण इन जगहों में सरकार के द्वारा करने और उसे जनता में लाने की चेष्टा होगी।

इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर सदन में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले में धीरे धीरे राजस्थान में राजस्थान के एक इमोशनल इन्टीग्रेशन के स्थान पर क्षेत्रीय दुर्भावना को लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारे को अवोइड करने के लिए आवश्यक है कि इस बिल को पास करने में हमारा चाहे एक महीने का समय और लग जाये लेकिन यूनिवर्सिटी जिस स्थान पर खोलना चाहते हैं उसके लिए सारे फैक्ट्स एण्ड फिगर्स और वे भी कनविन्सिंग फैक्ट्स एण्ड फिगर्स के आधार पर उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीट को तय करके चलें तो उसमें विशेष नुकसान होने वाला नहीं है। हम उदयपुर के लिए निर्णय ले सकते हैं, गंगानगर के लिए निर्णय ले सकते हैं लेकिन आज लोगों के दिमाग में एक चीज है कि यह यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में खोली जा रही है उसके पीछे चाहे फैक्ट्स हों, चाहे हिस्टोरिकल बैक ग्राउन्ड हो, चाहे उस स्थान की इम्पोर्टेन्स हो लेकिन जो लोगों के दिमाग में एक चीज है कि उसके पीछे राजनीति ज्यादा वर्क कर रही है उस राजनीति के फैक्टर को अवोइड करने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रोबलम्स को मीट करने के लिए हम एक्सपर्ट्स के आधार पर इस सारी स्थिति को संभालने की चेष्टा करें। लेकिन यहां तो बदकिस्मती ऐसी है कि उस फैक्टर को बिल्कुल अवोइड करके चला गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सवाल है मैं यह मान कर चलता हूं कि यह बिल बड़े तकाजे में लाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि यदि इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वर्क करना शुरू नहीं किया तो राजस्थान का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो रिसर्च वर्क है या जो एग्रीकल्चर एजूकेशन है वह सारी की सारी समाप्त हो जायेगी। ऐसा लग रहा है जैसे यह एमर्जेन्सी बिल है और इसको बहुत जल्दी पास करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण यह है कि यह जैसा महत्वपूर्ण आइटम है उसके ऊपर समय की चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें सारी लूप होल्स को सामने रखकर उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन बिल जल्दी में पेश किया गया, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्दी में पेश की गई और अब इसको पास कराने का जिस प्रकार से तकाजा किया जा रहा है मैं समझता हूँ कि इस बिल के साथ,

(श्री भैरोंसिंह)

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ और जिस क्षेत्र में यह यूनिवर्सिटी खुल रही है उस क्षेत्र के साथ और जिन लोगों को इससे फायदा होने वाला है उनके साथ जबरदस्त अन्याय करेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह मान सकता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के और प्रान्त हैं, उनमें जितने भी इस प्रकार के ऑटोनोमस इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा इन्डिपेन्डेन्स हैं। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि बाकी के यूनिवर्सिटी बिल जिस शक्ल में हिन्दुस्तान और दूसरी जगह पेश हुए हैं और राजस्थान में जो बिल पेश हुआ है इन दोनों का एक तुलनात्मक स्टेटमेन्ट तैयार करें तो ऐसा लगता है कि इसमें नाममात्र की ऑटोनोमी है। इसका जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल बनाया है उसको देखें तो ऐसा लगता है कि उसमें सारे गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसमें जो कॉन्स्टीट्यूशन एण्ड कम्पोज़ीशन ऑफ बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल है इसमें डेवलपमेंट कमीश्नर, फाइनेन्स सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी, एक रिप्रेज़ेन्टेटिव राजस्थान बोर्ड ऑफ दी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, एक रजिस्टर्ड ग्रेजुएट और एक फैकल्टी ऑफ साइन्स का रिप्रेज़ेन्टेटिव है। इसी प्रकार से पंचायत समिति के दो मेम्बर्स, इन्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के; ये सारे के सारे रिप्रेज़ेन्टेटिव लिए गए है। इन सब में से एक-दो को छोड़कर सब स्टेट नोमीनीज़ हैं। सब स्टेट की सर्विस में हैं और इनके हाथों में सारी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का कंट्रोल दिया जाना यह साबित करता है कि जितनी इंडिपेंडेंस आप इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं वह नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि प्राइमरी स्टेज के अन्दर जिस प्रकार की इन्डिपेन्डेन्स इस एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी को एक्सर्साइज़ करनी चाहिये हम समझते हैं कि उसके अन्दर कई गलतियां हो सकती हैं। यदि सरकार का दृष्टिकोण यही है तो फिर सरकार को स्पष्ट रूप से आना चाहिए और यह कहना चाहिये कि हम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इसका सारा ढांचा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बनाना चाहते हैं इस प्राइमरी स्टेज पर और बाद में इसको देखेंगे कि इसको किस प्रकार से ऑटोनोमी देनी है। उसके ऊपर बाद में विचार किया जायेगा। लेकिन एक ओर तो आप इसको ओटोनोमस बोर्ड बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ले लेते हैं तो मैं यह मान कर चलूंगा कि इस इन्स्टीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कन्ट्रोल है जिसकी किसी प्रकार से भी आवश्यकता नहीं है। इस कन्ट्रोल बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया जायेगा उसको सरकार की सिफारिश पर ही चांसलर नियुक्त करेगा। ऐसी हालत में जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है मंत्री महोदय शायद इसके लिए इन्कार करेंगे कि इसका चेयरमैन भी राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बनाने वाले हैं। ऐसी हालत में जो इस कन्ट्रोल बोर्ड का चेयरमैन होगा सारा बोर्ड गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स से कॉन्स्टीट्यूटेड

(श्री भैरोंसिंह)

होगा और उसके बाद में किसी प्रकार की इन्डिपेन्डेन्स नहीं रहेगी ।

इसके अलावा एक खतरा और भी मैं इसके अन्दर देख कर चलता हूँ और वह यह है कि राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट इस यूनिवर्सिटी बिल के पास होने के बाद में अपने आप में समाप्त होता है । हो सकता है कि हम बजट के अन्दर उतनी ही राशि रखें, उतने ही ऑफिसर्स रखें; लेकिन इससे जितने भी ऑफिसर्स हैं वे इस एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के सबोर्डिनेट हो जाते हैं । वह चाहे रिसर्च का काम हो या कोई भी काम हो लेकिन सारा डिपार्टमेन्ट एक तरह से एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का सबोर्डिनेट हो जाता है । ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का एक फंक्शन है और उसके बाद में युनिवर्सिटी का एजूकेशनल फंक्शन अलग है । एक का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको भी हम एक डुप्लीकेट ऑथोरिटी के नीचे रखना चाहते हैं ।

तो जिस एग्रीकल्चर यूनियर्सिटी से हम राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्ट्स का भला करना चाहते हैं उससे भला नहीं होगा । ऐसी हालत में जिन रूरल मासेज़ के लिए हम यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे हैं उसका भला नहीं कर पायेंगे । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राजस्थान के अन्दर रिसर्च करें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ायें और इसके लिए मेरी ऐसी मान्यता है कि रिसर्च के पोइन्ट के ऊपर भी जिस प्रकार की व्यवस्था है उसको किसी भी रूप में डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन जिस समय अमुक युनिवर्सिटी बन जायेगी उस समय अपने आप में एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट खत्म हो जायेगा, उसके सारे फंक्शन्स इसमें चले जायेंगे । यहां तक ही नहीं, बल्कि पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर जितने भी होंगे जिनको एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जायेगी उसकी सारी रेस्पोन्सिबिलिटी भी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी पर होगी । इसका मतलब यह हुआ कि जो गवर्नमेन्ट के फंक्शन्स हैं वे यूनिवर्सिटी को करने पड़ेंगे । मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें इसलिए रखी हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर काम करते रहें । पढ़ाई के संबंध में हम नाममात्र की ऑटोनोमी वाइस चान्सलर के नाम पर दे दें और एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है वह बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के हाथ में दे दें और मिनिस्टर का काम भी चलता रहे । इससे बोर्ड को तो कोई परिणाम नहीं भुगतना होगा लेकिन जिन रूरल मासेज़ का अपलिफ्टमेन्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बनिस्बत इसके कि हम सारे क्षेत्रीय भावनाओं में जाकर इस मामले के ऊपर दुर्भावना पैदा करने की कोशिश करें इसकी स्थिति को देखें और स्थिति देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन रूरल मासेज़ के लिए आप सारी बातें कर रहे है उनको क्या लाभ होने वाला है ।

जोधनेर के लिए कहा गया तो उसको तो इस तरह भी खुश किया जा सकता है कि वहां पर पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज़ खोल दी जायें । गंगानगर के लिए कहा गया तो गंगानगर में नया एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिया जाये लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

सारे मसले पर मैं ऐसा समझता हूं कि सब मसले पर विचार करके हमें थोड़ा ज्यादा समय मिलना चाहिये। जहां तक वाइस चान्सलर की नियुक्ति का सवाल आता है इसमें कुछ प्राव-धान रखे हैं कि इस इस प्रकार से वाइस-चान्सलर की नियुक्ति की जायेगी। लेकिन प्रारम्भ में जो नियुक्ति की जायेगी वह गवर्न-मेन्ट करेगी और मैं इसके लिए भी आपत्ति करता हूँ कि गवर्नमेन्ट किसी भी व्यक्ति को नोमीनेट करे। मेरी आपत्ति विशेष नहीं है लेकिन गवर्नमेन्ट के एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक पॉलिटिकल एचीवमेन्ट होने के नाते इस प्रकार के ऑटोनोमस बोर्ड के अन्दर जितने भी चेयरमैन हों, वाइस चान्सलर हों ये अपोइन्टमेन्ट्स गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते। लेकिन यहां पर गवर्नमेन्ट ने इस अधिकार को अपने हाथ में लिया है कि वाइस चान्सलर गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार से युनिवर्सिटी की जितनी भी सर्वि-सेज हैं उनके बारे में भी इसमें जिस प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं वे क्लियर-कट नहीं हैं। राजस्थान की कई सर्विसेज़ एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी में ट्रान्सफर की जायेंगी। अब उनकी कन्डीशन्स क्या होंगी ?

इसमें यह सही है कि एक क्लाज़ हमने रखा है उनकी सर्विसेज़ को प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था करेंगे। मतलब, जो सर्विसेज़ उनकी हुई हैं उनका बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा ? उनके प्रमोशन, अपोइन्टमेन्ट आदि मसलों को एक्ट में लाकर चल सकते हैं, वहां यह सारा मसला युनिवर्सिटी के कंट्रोल बोर्ड पर छोड़ दिया है। यह उन सर्विसेज़ के लिये अन्याय होगा। बाकी सर्विसेज़ युनिवर्सिटी के अंडर में रहती हैं उनमें से किसी को निकालना, किसी को रखना और किसी को दंड देना, यह सब यूनिवर्सिटी कर सकती है। उनको रीज़नेबल ऑपोर्चुनिटी दी जायेगी। एक्ट में जब "Reasonable opportunity' शब्द लाते हैं तो what is that reasonable opportunity; इसका इन्टरप्रिटेशन हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रूप से कर रखा है। यहां पर युनिवर्सिटी किसी अफसर को किसी प्रकार से निकालना चाहती है ; तो नाम मात्र की reasonable opportunity के नाम पर उसको हटाया जा सकता है। इन सब मामलों को लेकर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

One minute more. राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाइये; लेकिन राजस्थान के इमोशनल इन्टीग्रेशन के लिये, मुझे कोई उदयपुर से प्रेजुडिसेज़ नहीं हैं और न गंगा-नगर से सद्भाव है। इस बात से मेरा मतलब नहीं है लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की साइन्स को डेवलप करने जा रहे हैं लेकिन इस रूप में विचार लें कि उपयुक्त स्थान कौन सा है। लेकिन सरकार की तरफ से यदि प्रोत्साहन मिला तो मेम्बर्स किसी भी रूप में बैठ कर किसी भी तरह की बात कहें लेकिन इसका परिणाम बुरा होगा। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हाईकोर्ट के मसले को लेकर जय-पुर और जोधपुर के लीडर्स में दो राय न हो,

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन जोधपुर को एक्सप्लोइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जयपुर को इस मसले को लेकर एक्सप्लोइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के प्रश्न को लेकर क्षेत्रीय भावना के आधार पर जा रहे हैं तो यह राजस्थान के हित में नहीं होगा। यह इमोशनल इन्टीग्रेशन में बाधक होगा। इस स्थिति को दबाने के लिये राजस्थान के हित में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिये। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि इसको जल्दी में पास नहीं किया जाय। कई लूपहोल्स इसमें हैं। समय इतना नहीं है, नहीं तो एक एक सेक्शन को लेकर समझाऊं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट से इसको कम्पेयर किया जाय तो यह नाममात्र की यूनिवर्सिटी बनेगी। राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सरकार इस पर हावी होगे। इस प्रकार का यह कानून होगा कि यूनिवर्सिटी के फंकशन्स खत्म होंगे। हम रूरल पोपुलेशन का भला करना चाहते हैं तो हम इसको राइटली इम्पलीमेन्ट नहीं करेंगे। इस बिल पर दुबारा विचार करने की दृष्टि से कृषि मंत्रीजी मजूर करें तो इसको पोस्टपोन किया जाय और बैठ कर सद्भावना से इस पर विचार किया जाय।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : माननीय सभापतीजी, एक महीने के बाद ओरिजिनली जो राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल सदन में पेश हुआ था और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हुआ वह सिलेक्ट कमेटी में से गुजरता हुआ आज सदन के सामने उपस्थित है, जिसमें दो नोट ऑफ डिसेन्ट हैं। उनमें से एक पर चार माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और एक पर एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं। स्पेसिफिकली एक क्लॉज ४ की ओर इंगित करता है और एक नोट ऑफ डिसेन्ट सेक्शन १६ और ४ की ओर संकेत करता है।

यदि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को सारी को देखा जाय तो सिलेक्ट कमेटी ने, प्रतीत होता है, काफी मेहनत की है और कई स्थानों पर काफी परिवर्तन किये हैं और काफी स्थानों पर सिलेक्ट कमेटी मूलभूत परिवर्तन लाने में असफल रही। जिस आवाज को सदन में उठाया गया था एक माह पहले और जो उस समय सदन का मुख्य निशाना था कि इस युनिवर्सिटी को ऑटोनोमस नहीं बनाया है, नौकरशाही का बोलबाला है। एकेडेमिक यूनिवर्सिटी न होकर अपने अधिकार क्षेत्र को नोकरशाही क्षेत्र में ले जाती है और वह इस पर हावी है। इसमें मौलिक रूप से परिवर्तन सिलेक्ट कमेटी नहीं कर पाई है।

सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि यह बड़े सोभाग्य का विषय है कि आज राजस्थान में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कोई भी ऐसी टेक्टिक्स जो डिले करनेवाली हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मेरी हार्दिक कामना है इस भावना को लेकर कि राजस्थान में कृषि शिक्षा एक आवश्यक शिक्षा है। जब कि राजस्थान में २-३ करोड़ एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई केनाल्स से होने जा रही है, जब कि राजस्थान विकास की योजनाओं में अग्रसर हो रहा है, जब कि

Page No. 61

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करोड़ों रुपयों की मशीनरी राजस्थान में आई है और बड़े बड़े कृषि फार्म्स का निर्माण होने जा रहा है, जब कि यह सौभाग्य है कि एशिया का सबसे बड़े फार्म का निर्माण हो गया है, ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं चाहता कि इस युनिवर्सिटी बिल में एक मिनट या एक क्षण की भी देरी की जाय। यह एक आवश्यक चीज है, तुरन्त लानी चाहिये। और मैं जानता हूं जब हम पोस्टपोन करने की बात करते हैं, पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने की बात करते हैं या दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसको एक साल पीछे ढकेलने की बात करते है। क्योंकि सैशन जुलाई से आरम्भ होगा और दो माह में इसे पास नहीं कर सके तो यह एक वर्ष पीछे चला जायेगा। इस दशा में भी मैं सहमत नहीं होऊंगा। लेकिन मैं बड़ी आजीजी के साथ अर्ज करना चाहूँगा सदन के सामने कि सबसे पहली जो चीज अखरनेवाली थी वह स्टेटमेंन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इस बात की घोषणा थी कि यह उदयपुर में खुल रही है। मैं क्षेत्रीय भावना से प्रेरित नहीं हूं, मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि निश्चित रूप से यह गंगानगर में ही हो सकती है। कोटा में, जोबनेर में या किसी जगह बना दें लेकिन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एड रीज़न्स में उदयपुर का नाम रखना निश्चित रूप से क्षेत्रीय भावना की ओर संकेत है।

सभापति महोदय, यदि यूनिवर्सिटी निर्माण का प्रश्न है तो सच्चे माने में यह है कि युनिवर्सिटी किस स्थान पर हो। स्टडी की ओर जाते हैं तो एनिमल साइन्स, वेटरनरी साइन्स भी एग्रीकल्चर में हैं और इसके अलावा अदर साइन्सेज़ में एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग, टैक्नोलोजी, फार्म कंपोस्ट, फार्म इकॉनोमी आदि आ सकते हैं। विविध साइन्सेज़ में एग्रोनोमी कंपोस्ट, सॉल्ट कंपोस्ट आदि आ सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वे अदर साइन्सेज़ में इन्क्ल्युडेड हैं। ऐसी दशा में हमारे लिए आवश्यक था कि एक एक्सपर्ट्स की कमेटी हो, ऐसे लोगों की कमेटी हो जो इस साइन्स के मालिक हैं, जानकार है, इन साइन्सेज़ के एक्सपर्ट्स हैं। वे इस बारे में निश्चय करते, उनकी रिपोर्ट होती, उनके सेमिनार होते, वेरियस डिस्ट्रक्ट्स में केम्प लगते, राजस्थान की भिन्न भिन्न प्रकार की सोइल को एग्ज़ामिन करते, कंडीशन्स को देखते और तब अपनी राय कायम करते। जब राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं तो लक्ष्य यह रखते हैं कि मुख्य लक्ष्य इन्क्रीज़ ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देकर प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है। तो इस परिस्थिति में राजस्थान की सारी परिस्थितियों की स्टडी करने की चेष्टा होनी चाहिये। राजस्थान का कौनसा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें इस प्रकार का एक्सपेरिमेन्ट कर सकते हैं धान के सिलसिले में, सीरियल्स के सिलसिले में और पल्सेज़ के सिलसिले में और दूसरी चीजों के सिलसिले में? ऐसी परिस्थिति किस स्थान पर उपलब्ध होती है जहां इस प्रकार के एक्सपेरिमेन्ट हो सकें?

इस यूनिवर्सिटी बिल पर ध्यान दिया जाय तो जहां रिसर्च की बात कही है प्रथम बिल में राजस्थान के सारे केन्द्रों और फार्मों को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यूनिवर्सिटी के अंडर में करने की बात थी। लेकिन सिलेक्ट किमेटी ने विचार किया तो इस प्रावधान को रख दिया कि जिस किसी फार्म और रिसर्च स्टेशन को उचित समझेंगे उनको यूनिवर्सिटी अपने अंतर्गत ले लेगी।

(११.० म. पू.)

मैं यूनिवर्सिटी के रिसर्च वर्क और डिपार्टमेंटल रिसर्च वर्क को एक भिन्न कार्य समझता हूं। यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क में एकेडेमिक स्फियर अधिक होता है और डिपार्टमेंटल रिसर्च वर्क में प्रेक्टिकल स्फियर अधिक होता है। लेकिन डिपार्टमेंटल रिसर्च वर्क और यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क में कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है। अगर इस रूप में इस चीज को लिया जाता है तो बहुत स्वस्थ बात होगी कि यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क और डिपार्टमेंटल रिसर्च वर्क का कोऑर्डिनेशन हो। जहां तक इस बात को लेते है कि रिसर्च लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी की हो तो यह सुन्दर बात है। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेन्टल रिसर्च वर्क से हो तो कार्य आगे अग्रसर हो सकता है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि बहुत अच्छा हो कि एक टैक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इस बात की कायम की जाय। इसमें इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की सहायता ली जाय और अगर हम इतने उलझ गये हैं उदयपुर और बीकानेर की भावना में तो हम भारत सरकार को इस बात का निमन्त्रण दे सकते हैं और इस बात में सहायता ले सकते हैं कि वह अपनी एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट कर दे, जो हमारे छब्बीस जिलों की सर्वे करे और देखे कि कौनसा स्थान उपयुक्त हो सकता है। वह किस स्थान को पसन्द करेगी, उसकी मैं घोषणा कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूं कि राजस्थान को ही नहीं; सारे भारतवर्ष को अपनी दृष्टि में रख कर इस मसले को कोई एक्सपर्ट कमेटी तय करना चाहे तो गंगानगर से सुन्दर स्थान कोई नहीं हो सकता। आज आप क्षेत्रीय भावना की बात कर इस बात को टालना चाहते हैं तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आगे आने वाली संतति है, हमारे आगे आने वाले लोग हैं वे आपको अच्छी दृष्टि से देखनेवाले नहीं हैं क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक भयंकर अन्याय करेंगे। यह वह स्थान है जहां एक करोड एकड़ जमीन इर्रिगेशन प्रोजेक्ट,से सिंचित होती है, यह वह स्थान है जहां सबसे बड़ा इर्रिगेशन का प्रोजेक्ट है। वहां पुराना गंग कैनाल प्रोजेक्ट है, वहां राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट से जमीन सिंचित होगी। उसमें ८६ लाख एकड़ भूमि आने वाली है। यह वह स्थान है जहां हर प्रकार का सोइल है, जिसे सोइल एनेलिसिस द्वारा घोषित कर दिया है, जहां मोडल मशीनरी है, जहां एशिया से लोग आते है रिसर्च वर्क करने को। वहां अपने यहां के विद्यार्थियों को रिसर्च वर्क से क्षेत्रीय भावना के आधार पर और इस भावना के आधार पर महरूम रखें तो मैं चैलेंज के रूप में सरकारी बैंचों के सामने एक प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ कि वे भारतवर्ष की एक्सपर्ट कमेटी बुलायें और उसके द्वारा कोई दूसरा स्थान तय हो जाय तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं और अगर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ऐसा नहीं होता है तो ट्रेज़री बैंच के लोग इस्तीफा दे दें। मैं अर्ज करूं कि गंगानगर का जहां तक प्रश्न है, केवल राजस्थान की दृष्टि से नहीं, सारे भारतवर्ष की दृष्टि से अगर एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट गंगानगर के अन्दर एस्टेब्लिश की जाय तो सारे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को लाभ होगा।

अब एक अन्तिम रूप से बात कह दूं कि गंगानगर के लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के अन्दर अपने एरिया से लाखों रुपया दे दें, इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में पत्थर ढोने के लिए तैयार हैं, सीमेंट के बोरे उठाने के लिये तैयार हैं, अगर आप वहां यूनिवर्सिटी का निर्माण कराने के लिए तैयार हों।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अब थक गये हैं, साहब, कब तक बहस चलेगी ?

श्री सभापति : साढ़े ग्यारह।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपका भाषण राजस्थानी भाषा में होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : सभापति महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्रश्न, जिको आपके सामने आयो है, जिको बिल आपके सामने आयो है, वीं के सम्बन्ध में मैं भी निवेदन कर सूं कि ओ जिको मुद्दो टाल्यो जा रह्यो है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी की बात तय की जा रही है, उदयपुर में कॉलेज है, पहले सूं एग्रीकल्चर कॉलेज है, ईं वास्ते बठै यूनिवर्सिटी बणनी चाहिजे और बठै संगरिया और गंगानगर में कॉलेज नहीं है, ईं वास्ते बठै यूनिवर्सिटी की बात उत्पन्न न होवे। तो मैं आपके सामने या बात कहूं कि यो कॉलेज जिको बणायो, ईं ने कित्ता दिन हो गया और कुण बणायो ? हरएक बात के मायने बीकानेर डिविजन और गंगानगर की बात न टालने की हरएक चीज रखी जावे और यूनिवर्सिटी जिको आज मुद्दो है, बीं कालेज के मसले ने लेकर टाली जावे है। यो बहुत बड़ो अन्याय है, यो बहुत बड़ो सौतेलो व्यवहार म्हां लोगों के साथ है। आज हर तरह सूं गंगानगर जिको है, बीं में यूनिवर्सिटी बणाणी चाहिजे आप विशेषज्ञां की राय ले लेवो। आज राजस्थान की स्थिति ने देखतां हुआं गंगानगर बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। आज हाउस में जिका लोगां की मेजोरिटी है बे मनमाने तरीका सूं हरएक बात ने मेजोरिटी के हिसाब सूं थोपणी चावे हैं। लेकिन शिक्षा जिसी बात में ईं ढंग सूं अन्याय नहीं होणो चाहिजे। यो सोचणो चाहिजे, आज वे बहुमत में है, काल दूसरा आ सके है।

दूसरी बात, मैं आपके सामने रखूं हूं ; वा आ बात है के आज सरकारी पक्ष का लोग है, जांकी सरकार चल रही है, वे ईं बात को राजस्थान में बीजारोपण करे है, वे ईं बात को विष फैलावे है के राजस्थान में जगह जगह प्रांतीयता की भावना आवे। वे लोग ईं बात के वास्ते जनता ने मजबूर करे है कि जगह जगह या मांग करी जावे। यदि क्षेत्रीय भावना फैल गई तो राजस्थान का

Page No. 64

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

टुकडा टुकडा हो जासी। बींकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पर है। आज जिको राजस्थान बणवायो है तो जगह जगह का लोग आ भावना लेकर आवेगा कि जींकी आज मेजोरिटी है वा जोधपुर सूं सांठगांठ कर ली है और जठे माइनोरिटी है बी इलाका में जायज़ काम नहीं हो सके है। पण आज लोगों को क्षेत्रीय भावना उभाड़ी गई तो वीं की सारी की सारी जिम्मेदारी जो राजकर्ता है, बीं के ऊपर होवेगी। ईं ढंग सूं जो चीज है उण पर विचार करणो चाहिजे और शिक्षा के वास्ते जगह है वा जगह जो स्थान उपयुक्त होवे बठै ही कायम होणो चाहिजे। तो गंगानगर ईं काम के वास्ते बिल्कुल उपयुक्त है गंगा नगर में ही यूनिवर्सिटी को सारो को सारो काम होणो चाहिजे। एग्रीकल्चर के वास्ते गंगानगर उपयुक्त है, आ बात मैं आपके सामने रखूं। अब आप देखो जिका जिका काम में, यूनिवर्सिटी रो जिको काम है, वीं के मांयने भी मैं दो महीणां सू बराबर देखतो आयो हूं कि आज प्रान्तीयता की भावना, क्षेत्रीय भावना सूं राज रो काम चाल रह्यो है। वीं में निष्पक्षता को काम है नहीं। बठै आज मेजोरिटी जीमें हाथ उठा देवे है, वीं माफिक आज निर्णय ले लेवे। ईं ढंग की भावना है। जिका म्हारा साथी वकालत कर रह्या है मैं चैलेंज के साथ कहूँ हूं के यूनिवर्सिटी को मामलो बहुत छोटो नहीं है; बहुत बड़ो है। जठै वीं चीज की उपयुक्तता है बठे ही बणणी चाहिजे और ईं के वास्ते म्हारा साथी एम. एल. एज़. हैं, जो आज सरकार के साथ में है और अपोज़ीशन में बैठ्या है वां ने आज जीं ढंग सूं हाई कोर्ट को आंदोलन चलायो वीं ढंग सूं ईं वास्ते आन्दोलन चलाणो चाहिजे। और म्हारा दो साथी राजस्थान राज्य के मांयने डिप्टी मिनिस्टर बैठ्या है वां को पहलो कर्तव्य है, वां ने ईं मांग ने लेकर सरकार सूं त्याग पत्र देणो चाहिजे। वे बीकानेर का प्रतिनिधि है, वां को पहलो कर्तव्य हो जावे....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सारे राजस्थान के हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राजस्थान के प्रतिनिधि हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : राजस्थान के प्रतिनिधि हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपने मेहनतानो मिल्यों है वकालत करण रो। मैं समझूं आप वकालत उदयपुर की कर रह्या हो, वीं में आपको हिस्सो सुरक्षित है। सुखाड़िया साहब आपने ऊंचो स्थान देवेगा ....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको भी मौका मिलेगा, आप वकालत करते आये तो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं निवेदन किया कि जो अन्याय होवे है वीं अन्याय ने मिटावा में जो म्हारा साथी सरकार के साथ में है वे म्हांरो साथ देवेगा और अगर आ बात हठधर्मी कहावे तो एक्सपर्ट कमेटी ने आ बात सौंपणी चाहिजे। वा जिको निर्णय दे देवे वीं बात ने मानण में कोइने कोई भी दिक्कत आवे नहीं। तो सारी की सारी बात एक ही है। मेजोरिटी आपके कने है, वीं मेजोरिटी सूं

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

अन्याय ना करो, न्याय सूं चालो। अगर यूं काम होवे तो आपकी इत्ती सी मेजोरिटी जीं में एक--आध वोट को फर्क है, ईं ढंग सूं आदमियां की भावना ने उभारो हो तो ज्यादा दिन टिकणेवाली नहीं है। तो जिको यूनिवर्सिटी को मसलो है, वीं पर आप गम्भीरता सूं विचार करो और जो उदयपुर और जोधपुर रो गठ-बन्धन है, वीं ने तोड़ो और जठे जठे डिवीज़नल चीजां है, उण डिवीनल चीजां रे बारे में सोच विचार कर निर्णय देवोगा तो राजस्थान रो भलो और राज्य रो भलो करोगा। ई के सिवाय कुछ कहणो नहीं। मैं यो निवेदन करूं हूं के ईं हठधर्मी ने छोड़ कर ईं मांग पर पुनः विचार करोगा और एक्सपर्ट कमेटी ने ईं बात ने दे र राजस्थान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति उठणवाली है वीं ने समझदारी के साथ ठीक तरह जांच करायने रोकोगा। आखिर विचार से ठीक करसी तो ठीक काम है, नहीं तो मैं समझूं हूं के जल्दी से जल्दी आन्दोलन करनो होगो।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, उदयपुर को लेकर जो वाद-विवाद कल से चल रहा है उसे सुन कर मुझे अफसोस हुआ। कोई यह कहता हैं कि यदि उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोला गया तो आन्दोलन करना पड़ेगा, कोई कहता है कि एक राजनैतिक आधार पर यह खोला जा रहा है। मैं इस सारे विषय के बारे में नहीं जाता। हो सकता है कि कोई राजनैतिक आधार पर कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर में खोला गया हो लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव पेश हुआ उसमें भी राजनैतिक आधार है। अगर राजनैतिक आधार इसमें नहीं होता तो जो प्रस्ताव एक बार सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हुआ और जो निर्णय एक बहुमत से लिया गया; २१ सदस्य थे उनमें से १६ सदस्य इस पक्ष में थे कि जो एक्सपर्ट कमेटी इन्डिया गवर्नमेंट द्वारा कायम की गई और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोलने का फैसला दिया वह सही था।

अब कहा यह जाता है कि जो कमेटी बनी और उसने निर्णय लिया उसमें केवल उदयपुर का ही क्यों निर्णय लिया और वह राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा नहीं बनाई गई थी। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार से, भारत सरकार की तरफ से जो कमेटी बनी उसकी इम्पोर्टेन्स कम नहीं है। उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है....

एक माननीय सदस्य : On a point of information, Sir, जो कमेटी बनी उसका क्या नाम था, वह बता दें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कमेटी का कोई अस्तित्व था नहीं, डिसेन्ट नोट में कहा गया है।

श्री विजयसिंह झाला : जो डिसेन्ट नोट दिया गया है उसमें कहा गया है : "In reply to a question put by one Hon'ble Member of the House it was replied by the Government that a Committee appointed by the Government of India went into the question of the suitability of a place for the establishment of Rajasthan Agricul-

(श्री विजयसिंह झाला)

tural University and recommended Udaipur for such a venture." यह जो डिसेन्ट नोट दिया गया है उसमें स्पष्ट है कि जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री ने दिया उससे मानते हैं कि कोई एक्सपर्ट कमेटी थी। हो सकता है कि उसका नाम ए. डी. ए. कमेटी हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं निवेदन करूंगा कि जो डिसेन्ट नोट के सम्बन्ध में सूचना दे रहे हैं वह गलत है। आपने डिसेन्ट नोट का नीचे का हिस्सा नहीं पढ़ा है। "All this was said orally and no report was actually shown." आप नीचे का हिस्सा पढ़ कर सुनाते तो मालूम होता। इसलिये आप गलत तथ्य को तोड़-मरोड़ कर मिसलीड करने का प्रयास न करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : मिसलीड करने का प्रश्न नहीं है, आप जिस कमेटी का नाम लेते हैं ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : There is no such Anglo Indian Committee. हो सकता है कि वही कमेटी ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी प्रिविलेज का दुरुपयोग न करें। सदन को गलत इन्फॉर्मेशन न दें।

श्री विजयसिंह झाला : मैं इसको एक्सपर्ट कमेटी मानता हूं। मुझे इसको एक्सपर्ट कमेटी मानने से नहीं रोका जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : आप कृपया यह तो बतावें कि कौन लोग उस कमेटी में हैं ?

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री विजयसिंह झाला : इसकी जानकारी आप सम्बन्धित मंत्री से करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सम्बन्धित मंत्री से ....

एक माननीय सदस्य : आपको जो कुछ कहना था वह दिया और बोलने का मौका होगा तो दिया जावेगा।

श्री विजयसिंह झाला : यह कहा जाता है कि चूंकि कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह कमेटी राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त नहीं थी। इसलिये उसने जो उदयपुर सीट का सिलेक्शन किया है वह उपयुक्त नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अगर बीकानेर के लिये वह कमेटी फैसला कर देती तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस बात का विरोध करता अगर कोई इस फैसले का विरोध करता कि जो फैसला एक कमेटी द्वारा कर दिया गया है उसका विरोध किया जाए; चाहे वह कमेटी सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा नियुक्त नहीं की गई हो।

इसके बाद पांच व्यक्तियों द्वारा इसमें डिसेन्ट नोट दिये गये हैं। इसमें पांच बातें ऐसी हैं जिनमें बताया कि वे बातें ऐसी हैं जो बीकानेर में हैं और उदयपुर में नहीं हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय के लिये जरूरी हैं। मैं पांचों बातों का क्लेरिफिकेशन सदन में रखना चाहता हूं।

Page No. 67

(श्री विजयसिंह झाला)

सबसे पहली बात कही गई है कि बीकानेर में बड़ी बड़ी नहरें हैं इसलिये वहां सिंचित जमीन ज्यादा है। मेरी समझ में यही आता है कि उदयपुर की भौगोलिक परिस्थिति जो है उसकी जानकारी उनको नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बीकानेर में सिवाय मिट्टी उड़ने के कुछ नहीं है।

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री विजयसिंह झाला : गंगानगर को ले लीजिये। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह बताया है वे उदयपुर की भौगोलिक स्थिति से पूर्णतया परिचित नहीं हैं इस लिये उन्होंने सारी बातें बताई हैं। जहां तक नहरों का प्रश्न है, गंगानगर में नहरें बनाई जा रही हैं और बनाई जावेंगी लेकिन उदयपुर में सिंचाई के साधनों की भगवान की देन है। भगवान ने इस प्रकार की भूमि वहां दी है और नहरों के साधन भी वहां पर पहले से उपलब्ध हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी विशेषता उदयपुर के लिये बताऊंगा....

श्री सभापति : Please cut your speech very short.

श्री विजयसिंह झाला : मैं खास खास बातें हैं उनको तो दो मिनट में कह दूंगा; not more than five minutes.

श्री सभापति : Two minutes only.

श्री विजयसिंह झाला : पांच मिनट में सारा समाप्त कर दूंगा। Some time was wasted by the Hon'ble Members. So I must get that time.

श्री सभापति : You are again wasting it.

श्री विजयसिंह झाला : इन्टरप्शन में समय जाता है वह तो मुझे दिया जावेगा। इसके बाद मैं एक बात यह कहूंगा कि ५०० बीघा जमीन भी खेती करने के योग्य नहीं मिल सकती। मेरी समझ में यह बात गलत है। वे वहां की स्थिति से परिचित नहीं हैं क्योंकि उदयपुर के पूर्व में मैदान है और पश्चिम में पहाड़ हैं। वहां पर दोनों तरह की जमीन मौजूद है, जबकि गंगानगर में एक ही तरह की जमीन है। यह भी कहा गया कि वहां पर सब प्रकार की क्रोप्स नहीं होती हैं और बीकानेर में सब प्रकार की क्रोप्स होती हैं। मेरी समझ में यह बात है कि बीकानेर में गिनती की जावे और गंगानगर के बारे में जानकारी की जावे तो मालूम होगा कि उदयपुर में गंगानगर से ज्यादा क्रोप्स पैदा होती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके बाद में यह कहा गया है कि वह शहर के बीच में बसा हुआ है और यह स्थिति उपयुक्त स्थिति नहीं है। मेरे ख्याल से यह बात भी सही नहीं है क्योंकि कम से कम दो मील का क्षेत्र ऐसा घिरा है और इसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। सदन के सामने गलत बात कही जावे—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट।

(श्री विजयसिंह झाला)

इसके बाद, मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर पोलिटिकल सफरर भी रहा है....

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री विजयसिंह झाला : आज के युग में पोलिटिकल सफरर को कुछ बेनीफिट और प्रिफरेन्स मिलते हैं।....

श्री सभापति : Order please!

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आप पोली-टिकल सफरर की बात कहते हैं....

श्री सभापति :Order please!

श्री विजयसिंह झाला : सारे इतिहास को देखें, उदयपुर के पहले के इतिहास को देखें तो राजस्थान या भारतवर्ष में ही नहीं भारे संसार के इतिहास में उदयपुर ही एक ऐसा पोलिटिकल सफरर रहा है कि उसका इतिहास बताता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की प्रान्तीय भावनाओं को, क्षेत्रीय भावनाओं को छोड़ें और उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है उसमें सहायता दें। मैं आशा करता हूं कि इसके इतिहास को देखते हुए, उसकी परिस्थितियों को देखते हुए इस पर सोचेंगे और हमारी रिक्वेस्ट को आप स्वीकार करेंगे।

(श्रीमती नगेन्द्रबाला एवं अन्य मान-नीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री केदारनाथ!

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : लेडीज़ को प्रिफरेंस दिया जाय।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : हम लोग आदिवासी हैं हमको भी इस पर बोलने का मौका दीजिये।

श्री सभापति : Order! Order please!!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : बीकानेर के सभी बोल चुके हैं साहब!

श्री सभापति : Order! Order!! Shri Kedar Nath.

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने उदयपुर के विकास की कहानी को इस रूप में समाप्त किया कि आज तक उदयपुर पोलिटिकल सफरर रहा है।

(श्री नाथूराम बागीडोरा व पास में बैठे माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

श्री सभापति : You should not challenge the ruling of the Chair. It is not proper please. It was my decision to allow him to speak. You are protesting against It. is not proper.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपके लिये नहीं कहा।

श्री केदारनाथ : जिन लोगों को उदय-पुर को १६३६ में देखने का मौका मिला उसी उदयपुर को उन्हें फिर ४६ में देखने का मौका मिला, इसके बाद जिन माननीय सदस्यों ने....

श्री विजयसिंह झाला : On a point of Order, Sir, मैंने ४५ के बाद से नहीं कहा। मैंने तो यह कहा है कि इसके सारे इतिहास को देख लिया जाय, राजस्थान का इतिहास है उसको देख लिया जाय, हिन्दुस्तान का इतिहास है उसको देख लिया जाय, उदयपुर पोलिटिकल सफरर रहा है।

श्री केदारनाथ : और इसके बाद जिन माननीय सदस्यों ने ५०-५१ में देखा अब वे ६१-६२ में उसे देखें, तो उसके सारे विकास की कहानी को यह कह कर रखना कि वह पोलिटिकली सफरर रहा है, ठीक नहीं। मैं तो कहूंगा कि पोलिटिकली सेचुरेटेड है। A new Udai- pur has emerged at the cost of neglected regions of Rajasthan and Ganganagar is the most neglected region of Rajasthan.

इसके लिये गंगानगर का जो क्लेम है उसके लिये मेरे दोस्तों ने आर्ग्युमेंट्स दिये, उन आर्ग्युमेंट्स को रिफ्यूट किया गया "Ineffectual angel beating his illuminous wings in vain" गंगानगर के लोग निरन्तर अपनी मांग को रखते रहे, पंख फड़फड़ाते रहे पर गंगानगर की लेजिटिमेट डिमान्ड को राजस्थान सरकार ने आज तक नहीं माना, इस बात को कह कर कि हम राजस्थान की नेशनल प्रोग्रेस को इम्पीड करते हैं। यह गलत चीज है। आज तक राजस्थान में जितने भी सवाल हुए, राजधानी का सवाल आया, हाईकोर्ट का सवाल आया, डिपार्टमेंट्स के रखने का सवाल आया और भी सवाल आये तो बीकानेर के साथ जो रवैया बरता गया उससे बीकानेर में कभी रिज़ेंटमेंट का सवाल पैदा नहीं हुआ, कोई टेरीटोरियल लोयल्टीज़ का सवाल वहां पर पैदा नहीं हुआ। गंगानगर का इलाका एक ऐसा इलाका है जो पंजाब से ज्यादा मिला हुआ है। इस इलाके में ५० फी सदी लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। वहां पंजाब के लोगों का नारा था कि यदि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हमारे इलाके में मर्ज हो जाय तो हम इस इलाके में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देंगे, ये ये लैंड रिफॉर्म्स देंगे, ये ये रेमुनरेशन्स देंगे। उस वक्त गंगानगर के लोगों ने मोरल और कल्चर का परिचय दिया। सरकार वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, वहां के लोग वॉलेन्टियर्स बन कर गये पंजाब में और उस मूवमेंट को फेल किया तो उस इलाके के लिए कह दें कि टेरिटोरियल प्रेज्युडिस की भावना पैदा हो गई है, उदयपुर से चिड़ है, यह जो कहा गलत है। उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट को पढ़ा तो कुछ भूल गये। गंगानगर को निग्लेक्ट किया, इस कॉन्टेस्ट में वे नोट पढ़ें तो पता चलेगा कि कोई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने पेश नहीं की गई। हाउस में पूछा तो ऑनरेबल मिनिस्टर चुप रहे। इसे पोलिटिकल मेनुपुलेशन कहें तो उचित नहीं। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि इसके पीछे कहानी यह थी कि यदि तीन--चार साल पहले गंगानगर इलाके में एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट किया जाता तो उस इलाके की हालत को देखते हुए, लोकल जीनियस जहां एग्रीकल्चर इकॉनोमी से पैदा हुई है, उस इलाके की लेजिटिमेट डिमान्ड होती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये। पर हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हुई? कौनसी डिफिकल्टीज़ पेश हुईं? इलाके की तरफ से लगातार यह मांग की जाती रही, तीस चालीस लाख रुपया वहां की पब्लिक से इकट्ठा किया और संगरिया में इन्स्टीट्यूशन

(श्री केदारनाथ)

कायम किया, डेपुटेशन्स आते रहे गवर्नमेंट के पास; पर यह लेजिटिमेट डिमान्ड गंगानगर इलाके की पूरी नहीं हुई। उदयपुर में कितने इन्स्टीट्यूशन्स रन कर रहे हैं, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं हैं। वहां कितना पैसा वहां के लोगों ने इकट्ठा किया? जितने इन्स्टीट्यूशन्स हमारे यहां रन कर रहे हैं उनके लिए वहां की पब्लिक ने पैसा इकट्ठा किया।....

श्री विजयसिंह झाला : On a point of information, Sir, माननीय सदस्य ने पूछा कि उदयपुर में कितना पैसा जनता द्वारा दिया गया, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर एक गरीब इलाका है, आपके यहां पर पैसे वाले हैं। तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जहां पैसे वाले हैं वहीं पर काम किया जाय और जहां गरीब लोग बसते हैं वहां पर कोई काम नहीं किया जाय? क्या आप इस आधार पर काम चाहते हैं?

श्री केदारनाथ : तो गंगानगर की बात को इस तरह टाल देना उचित नहीं। हमारी डिमान्ड प्राइमरी डिमान्ड है और बिल्कुल उचित मांग है। जिस वख्त भाखरा प्रोजेक्ट बना तब से इसके लिए हमारी मांग है। राजस्थान केनाल से सिंचाई का एरिया बढ़ा, हमारी यह मांग बढ़ी हुई है। तो इसे यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि यह गंगानगर की अलग मांग है। गंगानगर इन्टरनेशनल इम्पोर्टेन्स का इलाका है, ३९ लाख एकड़ भूमि वहां इर्रिगेट होती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ईल्ड वह देता है। जहां कृषि का विशाल क्षेत्र हो, स्कोप हो उस मात्र कृषि प्रधान इलाके में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रन नहीं करेंगे तो क्या ललित कलाओं से कृषि यूनिवर्सिटी रन करेंगे? जहां सोइंग, ग्रेसिंग, रीपिंग है वहां एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है सोइल की प्रॉब्लम्स, क्रॉप्स की प्रोब्लम्स जहां हों, कल्टीवेशन जहां होता हो उनके टच में रहें, यह रिसर्च का मतलब है ताकि वहां प्रोडक्शन बढ़े, रिसर्च में रिसर्च करने वालों की नॉलेज बढ़े, वहां कोहेशन पैदा हो। अगर उदयपुर जैसी जगह एग्रीकल्चरल रिसर्च हो तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सकता, वहां एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज नहीं है।........

श्री विजयसिंह झाला : क्या उदयपुर में खेती नहीं होती है जो माननीय सदस्य ने कहा कि वहां एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज नहीं है?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आप को चिन्ता करने की क्या जरुरत है........

श्री केदारनाथ : हमारे गंगानगर में सब तरह की कृषि की उपज होती है, उदयपुर में नहीं। उदयपुर में एक तरह की केटल ब्रीड है, हमारे यहां सब तरह की है और यह ही कल्टीवेटर्स की प्राब्लेम है। जो स्टुडेन्ट्स जावेंगे कल्टीवेटर्स को देखेंगे काम करते हुए ताइन्स्पायर करेंगे। रिसर्च में कामयाबी होगी। आप समय....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

की तरफ देख रहे हैं। मैं ये अन्तिम शब्द इस सम्बन्ध में कह देना चाहूंगा कि जिन बीकानेर के लोगों ने राजस्थान के इमोशनल इन्टीग्रेशन में, राजस्थान के एकीकरण में

(श्री केदारनाथ)

और राजस्थान के स्थायित्व में जो शानदार भाग अदा किया है, किसी प्रकार का कोई राजस्थान के एकीकरण में और इमोशनल इन्टीग्रेशन में टेन्शन पैदा नहीं होने दिया है उनकी यह मांग नहर के पानी के साथ जुड़ी हुई है, उनकी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है, फाइटिंग मोरल कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। बीकानेर की प्रान्तीय भावना है। आज उदयपुर के लोग राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी हैं, राजस्थान सरकार पर हावी हैं। यदि यहां राजस्थान का इमोशनल इन्टीग्रेशन चाहते हैं, राजस्थान का एकीकरण चाहते हैं तो उनकी अपनी मांग को पूरा कर देना चाहिये और चीफ मिनिस्टर को भी उदारता बतानी चाहिये कि यह बात होते हुए भी हमने बीकानेर को यह चीज़ दे दी है और अपनी मांग को छोड़ दिया है। यदि राजस्थान का विकास और भला चाहते हैं तो हमारी मांग को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी की तरफ से जवाब होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में विश्व विद्यालय के सिलसिले में जो विचारार्थ लिये जाने का मोशन था उसके बारे में माननीय सदस्यों ने बहस की। बहस के दौरान में इस सदन में खास तोर पर बीकानेर के इलाके से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह राजनैतिक दृष्टिकोण से फैसला किया जा रहा है....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : बीकानेर के लोग ही नहीं हैं, और भी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए यह दृष्टिकोण न रखते हुए वह विश्व विद्यालय बीकानेर के गंगानगर में या संगरिया में बनाया जाय। कुछ ने गंगानगर के विषय में और कुछ ने सांगरिया के बारे में बातें कहीं। इसके अलावा सदन के और भी माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान में यह दिखाने की कोशिश की कि जैसे यहां सारा का सारा राजनैतिक दृष्टिकोण से ही किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये उन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है जिससे इस विश्वविद्यालय का हैडक्वार्टर उदयपुर में बनाया जा रहा है; इसके पीछे एक बड़ी भूमिका है....

श्री श्योपतसिंह : मन से कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मन कहिये, रेकॉर्ड कहिये....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जवाब मिले वह रेकॉर्ड के साथ मिले।

श्री नाथूराम मिर्धा : पेशेन्स तो रखिये। नहीं सुनना है तो कुछ नहीं कहूंगा। सारी रेकॉर्ड की बात कहूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पढ़ कर सुनायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पढ़ कर सुनाऊंगा।

मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर का विश्वविद्यालय कहां खोला जावे।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सन् १६५४ में हमारे देश हिन्दुस्तान में एक कमीशन बैठा था युनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में डा० राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में यह देखने के लिए कि आज–कल हिन्दुस्तान के विश्व विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा चल रही है और उनमें किस प्रकार की और बातों पर पूरा जोर देने की आवश्यकता है। उस एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट के सिल-सिले में यह भी बात कही गई कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और देश की खेती-बाड़ी के अन्दर देश के जो हालात हैं वे ये हैं किइस देश की ८० फी सदी जन--संख्या जमीन पर खेती का काम करने पर भी इतना अन्न उत्पादन नहीं कर पाती कि उनको खाने के लिए पूरा अन्न मिल सके। खेती बाड़ी के विभाग के जरिये जो काम--काज हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, एजुकेशन के बारे में और उसका जो एक्सटेन्शन प्रोग्राम है, उनमें एक प्रकार का समन्वय होना चाहिये जिससे उनके जरिये फील्ड में जाकर काम करने के तरीके ऐसे मिले जुले हों जिससे देश का कृषि उत्पादन, जिसके लिए हमारे देश की सरकार पहली, पंच वर्षीय, द्वितीय पंच वर्षीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना और आगे आने वाली योजनाओं के जरिये जोर देना चाहती है कि देश में खाद्य का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इस बात को ध्यान में रख कर देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दें जो यूनिवर्सिटी शिक्षा के साथ साथ में रिसर्च पर ज्यादा जोर देकर फील्ड में ले जाकर एक्सटेन्शन के मार्फत ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पादन करने में योग दे सकें। जब यह प्रश्न सामने आया तो एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री ने एक इंडो-अमेरिकन टीम का गठन किया। उसने सारे देश के हालात पर विचार किया और एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट पर देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यह फैसला लिया कि देश में एग्रीकल्चर का विश्व विद्यालय कायम होना चाहिये। वहां से स्टेट गवर्नमेन्ट्स को लिखा कि देश में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का यह पेटर्न है, इस प्रकार का पैटर्न सोचते हैं, यह देश के अलग अलग स्टेट्स को उन्होंने भेजा और यह भी कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक इस प्रकार का विश्व विद्या-लय हमारे देश में कायम करना चाहते हैं जो कृषि विश्व विद्यालय हो। उन्होंने अपनी राय स्टेट्स को भेजी। यू. पी सरकार के एक प्रोफेसर ने, यू. पी. में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, एक ब्ल्यु प्रिन्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजा। उस पर कृषि मन्त्रालय में विचारविमर्श हुआ, प्लानिंग कमीशन में विचारविमर्श हुआ और अन्त में यह तय हुआ कि कुछ मोडिफिकेशन्स के साथ रुद्रपुर में युनिवर्सिटी कायम की जाय। यह पैटर्न था। रुद्रपुर की युनिवर्सिटी कायम हुई तो ५६–६० में दूसरी इंडो अमेरिकन टीम का गठन किया गया और फिर सुझाव मांगा गया कि यह युनिवर्सिटी रूद्रपुर में कायम की जा रही है वह उस प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेगी जिस प्रकार ये युनिवर्सिटीज़ अमेरिका में काम करती हैं जिसमें एक ही कंपास होता है, जिसमें सब चीजों को एक ही जगह केन्द्रित किया जाता है और फ़ील्ड में एक्स-टेन्शन सर्विसेज़, युनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का काम और अन्य शिक्षा का काम भी हो।

Page No. 73

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस प्रकार अमेरिकन एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनी हुई हैं, उनको ध्यान में देखते हुए अगर हिन्दुस्तान में इस प्रकार की युनिवर्सिटी कायम कर सकें जो ज्यादा से ज्यादा एक ही कम्पास में शिक्षा की सारी दूसरी चीजें हैं उनको एक जगह केन्द्रित कर सकें तो इस प्रकार की युनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में बनेंगी तो ज्यादा लाभदायक हो सकेगा। उस दूसरी इंडो-अमेरिकन टीम ने भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की और खास कर तीन-चार मुद्दों पर जोर दिया। हिन्दुस्तान एक गरीब देश है और इसके साधन सीमित हैं। इसलिए सीमित साधनों में ज्यादा से ज्यादा अच्छी संस्थायें बन सकें, इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये और वह युनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस स्टेटस की हो और मुख्यतया वहां पर कायम करने की कोशिश की जाय जहां पर इस प्रकार की ऑलरेडी एक जगह पर काम करती हों और जिनमें कम से कम पैसा लगा कर इन संस्थाओं को आगे विकसित कर सकें और पूरे रूप में एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बन सके। जब उन्होंने यह सिफारिश एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को की तो दूसरी रिकमन्डेशन हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स को भेजी। अलग अलग स्टेट्स ने उस पर विचारना शुरू किया कि हम भी इस पैटर्न पर जिसमें अमुक प्रकार की सहायता हमारे देश की केन्द्रीय सरकार, प्लानिंग कमीशन का जो पैटर्न है उसके रूप से आने वाली है तीसरी योजना में, इनके लिये केन्द्र में कुछ धन राशि का प्रावधान तीसरी योजना में है, उस पर सोचें।

अब सीट के बारे में जब सवाल आया तो उसके बारे में सेकन्ड इन्डो–अमेरिकन टीम की रिकमन्डेशन्स की बेसिस पर यह निर्णय किया गया कि विश्व विद्यालय किस जगह कायम करें। इस पर जैसा कि मैंने कहा इसका ऑटोनोमस स्टेटस होना चाहिये ; उसका क्या पैटर्न हो, उसके बारे में अमेरिकन कन्सल्टेन्ट से राय ली गई। इस बारे में माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि इसी बेसिस पर अमेरिका के आई.ई.ओ. के प्रेज़ीडेन्ट हिन्दुस्तान में आये थे। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का निर्माण किस प्रकार से हो, वे इस बारे में देश की अलग अलग स्टेट्स में गये। सभी स्टेट्स का उन्होंने दौरा किया। हमारे राजस्थान का भी दौरा किया, क्योंकि हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर कॉलेज दो जगहों पर थे। उनको देखा और अपनी रिपोर्ट में इस बात का निर्णय दिया....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): राजस्थान का और भी हिस्सा दिखाया गया क्या उन्हें ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : सिर्फ उदयपुरवाले ही साथ होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या वे गंगानगर भी गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार को जो लिखा है उसकी कॉपी हमारी स्टेट को भी भेजी है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पैसा वैसा का वैसा पड़ा जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे का वैसा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पढ़ता हूँ "Conditions in Rajasthan are quite different from those of Punjab. The greatest potential of an autonomous Agricultural University appears to lie in Udaipur in its College of Agriculture."

श्री मोहनलाल सारस्वत : उनको उदयपुर ही दिखाया गया होगा।

श्री सभापति : No interruptions please. Let him continue.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले जैसा निवेदन किया दूसरी इन्डो–अमेरिकन टीम जो भारत में आई जिसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, जिसको प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार ने स्वीकार किया उसमें यह बात लिखी थी कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी जो कायम की जाय वह इन्हीं जगहों पर कायम हो जहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज हो और इन्स्टीट्यूशन्स जो एक कम्पास में एग्ज़िस्ट करती हो वहीं पर यूनिवर्सिटी के लिये खर्चा किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी भी रिकमन्डेशन थी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उस फैसले का जिक्र कर रहा हूं जिस आधार पर यह यूनिवर्सिटी कायम करने का निर्णय लिया गया। जहां पर होम साइन्स इन्स्टीट्यूशन्स हों, लेब्रोरेटरी, रिसर्च इन्स्टीट्यूट की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स जहां एग्ज़िस्ट करती हो वहां पर युनिवर्सिटी कायम हो....

श्री मुरलीधर व्यास : वेटरनेरी कॉलेज तो बीकानेर में भी था सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था....

श्री सभापति : आप माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिये। उसके बाद आपको कुछ कहना हो तो कहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्डो अमेरिकन सेकन्ड टीम की रिकमन्डेशन के बाद जिसके अन्दर इस प्रकार का क्राइटेरिया ले डाउन था, उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान कोई हो सकता था तो वह उदयपुर था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या अपने प्रान्त में और कोई जगह नहीं थी क्या !

श्री नाथूराम मिर्धा : गंगानगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीट बनाने के बारे में दलील दी गई। गंगानगर में गंगनहर है, भाखरा नहर आई है, राजस्थान केनाल की नहर आ रही है, ट्रेक्टर्स का नम्बर भी बहुत ज्यादा है। सूरतगढ़ में बहुत बड़ा फार्म है, इसलिये जहां पर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बननी चाहिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एशिया के लोग भी रिसर्च करने आते हैं, यह भी कहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस प्रकार की हालत गंगानगर इलाके की है इस प्रकार की हालत हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के जिलों की भी हो सकती है; लेकिन एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिये इन्डो अमेरिकन टीम ने....

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने जिस रिपोर्ट को पढ़ा है वह रिपोर्ट सदन की टेबल पर आनी चाहिए ताकि दूसरे सदस्य भी उसे देख सकें ।

श्री सभापति : पहले मंत्री महोदय बोल लें उसके बाद आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं, सभापति महोदय, यह अर्ज कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट मंत्री महोदय ने पढ़ी है वह सदन की मेज पर आनी चाहिये, ऐसा निर्देश आपकी तरफ से होना चाहिये ।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : ताकि हम भी उसको देख सकें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस प्रकार से किस पृष्ठ भूमि में हमारे यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करने के बारे में यह सारा का सारा सिलसिला शुरु हुआ, क्या क्राइटेरिया था, उस आधार पर उदयपुर में होम साइन्स एग्ज़िस्ट करता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We want these two documents on the Table. One document is this report and the other where this decision is given that fundamentally an Agriculture College is needed for a University.

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes, I will put.

श्री मोहनलाल सारस्वत : बीकानेर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है वही व्यवहार आप अब भी करने जा रहे हो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था उदयपुर के सिवाय कोई स्थान उपयुक्त नहीं हो सकता था । उदयपुर में एक कृषि कॉलेज १६५४ में खोला गया जिस पर करीब एक करोड़ रुपया खर्च हुआ । अच्छा होस्टल बना हुआ है, अच्छा कॉलेज बना हुआ है, डेरी बनी हुई है, पॉलट्री फार्म्स बने हुए हैं । उस कॉलेज के साथ में जितनी भी जरुरत की चीजें हैं, राजस्थान की बेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी भी है.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is a wrong information.

श्री सभापति : Order please ! No interruptions.

श्री नाथूराम मिर्धा : होम साइन्स के लिए कॉलेज उदयपुर में ऑलरेडी विद्यमान है । इतनी सब बातें ऑलरेडी उदयपुर में मौजूद हैं जिन पर करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके सामने ७० करोड़ की मशीनरी कुछ नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखें तो हमारे पास जो सीमित साधन हैं उन सीमित साधनों के जरिये नये नये इन्स्टीट्यूशन्स राजस्थान के किसी भी कौने में खोलने में असमर्थ रहते हैं । यूनिवर्सिटी के निर्माण में हमें करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है । गंगानगर के लिये कहा जाता है कि वहां के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहता है। उपेक्षा का दृष्टिकोण होता तो करोड़ों रुपया वहां प्रोजेक्ट्स के नाम पर खर्च नहीं किया जाता।

श्री मोहनलाल सारस्वत : गंगानगर के लिए राजस्थान सरकार ने क्या करवाया, यह तो बतलाइये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान केनाल पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वह भारत सरकार का हो रहा है।

श्री सभापति : यह तरीका अच्छा नहीं। There should not be interruptions like this.

श्री नाथूराम मिर्धा : आज माननीय सदस्य बहुत जोर जोर से वकालात कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये। माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम कन्धों पर खड़े हो-हो कर गंगानगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना कर रहेंगे। मैं उनको पिछली बात याद दिलाऊं। बीकानेर के लोगों ने वादा किया था कि हम दस लाख रुपया बीकानेर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए राजस्थान सरकार को मदद के रुप में देंगे, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : बिल्कुल झूठ है। स्वयं कुम्भारामजी और सुखाड़ियाजी कलकत्ते गये और वहां से बीकानेर के सेठों से दस लाख रुपया इकट्टा करके लाये है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी पैसा नहीं दिया गया।........

श्री मुरलीधर व्यास : दस लाख रुपया दिया है। यह तो बड़ी बुरी बात है। रुपया उनके पास है, फिर भी कहते हैं कि नहीं आया; क्या वे खा गये ? गलत बात क्यों करते हैं ? दस लाख रुपया लाये हैं, मुझे खुद मुख्य मंत्री जी ने कहा है। गलत बात क्यों कहते हैं ? रुपया लेकर वह भी हजम कर लें, और यहां कहते हैं एक पैसा नहीं लिया।

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस तरीके से बात करेंगे तो हम भी करेंगे, थोड़ा सा तो दिमाग अपना ठिकाने रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : ठिकाने तो दिमाग आपका नहीं है। पैसा लिया और कह दिया कि नहीं लिया और फिर वही जवाब आप दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारा तो दिमाग ठिकाने नहीं रहा, आपका ठिकाने लग रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : कलकत्ता में जाकर सुखाड़ियाजी ने और कुम्भारामजी ने बीकानेर की जनता से रुपया जमा किया। रसीदें उसकी मौजूद हैं। फिर आप कहते हैं, पैसा नही लिया। गलत बात आप सदन में कहते हैं।

श्री सभापति : Order please ! Order !! No interruption please.

श्री नाथूराम मिर्धा : एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा जमा नहीं किया।

श्री मुरलीधर व्यास : पैसा नहीं आया तो कौन खा गया ? वे खा गये।

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : व्यासजी बिल्कुल गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं त्यागपत्र दे दूंगा सदन से, अगर मेरी बात को गलत साबित कर दें तो। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो त्यागपत्र दे दूंगा इस मामले पर। अगर पैसा लाये हों और मंत्री महोदय का कथन गलत साबित हो तो वे त्यागपत्र दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप दिन में बीस दफा त्यागपत्र देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं लिख कर देता हूँ, आप भी लिख कर दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! Order !!

Shri Murlidhar Vyas ! Order please !! इस तरह से आपस में बातचीत करना अच्छा नहीं है। इस तरह से तो कोई भी बात तय नहीं हो सकती है। आप हाउस का डेकोरम मेन्टेन करिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, यह गलत सूचना सदन में दे रहे हैं। अगर पैसा इस नाम से नहीं लाये हों मुख्य मंत्री तो मैं सदन में त्यागपत्र देने के लिये तैयार हूँ, अगर वे गलत कहते हैं तो वे त्यागपत्र दे दें।

श्री सभापति : आप शान्त रहिये। अभी इससे कोई फैसला नहीं हो सकता है। (मंत्री महोदय से) आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य जोरों से कह रहे थे कि पैसा देने को तैयार हैं, पर पैसा कहीं से आता नहीं है इसलिये कह रहा हूँ। वे दस लाख देंगे तब भी चलेगा, नहीं देंगे तब भी हम जो करना चाहते हैं उस को रोकेंगे नहीं। अस्पताल खोलना था, नहीं दिया तब भी खोल दिया, मैडिकल कॉलेज खोलना था, नहीं दिया पैसा तब भी खोल दिया।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): उदयपुर में मैडिकल कॉलेज के लिये कितना दिया, यह भी आप थोड़ा बता दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो इस तरह से यह उपदेश भी देते जावें कि रीजनेलिज़म (regionalism) के दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिये और दूसरी तरफ आप सोचते भी इसी तरह से जाते हैं। आज आवश्कता इस बात की है कि राजस्थान का समग्र विकास हो और इसी दृष्टिकोण से राजस्थान की सरकार काम करती है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कथनी और करनी में सरकार के बहुत अन्तर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया कि आपस में बैठ कर बंटवारा कर लिया; एक यूनिवर्सिटी जोधपुर में कर ली और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में रख ली। तो ऐसा ही चश्मा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लगा.कर जो देखते हैं वे ऐसा सोचते हैं । कहा गया गठबन्धन हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जो फैसला किया गया है वह अलग मैरिट्स पर किया गया है । एक कमेटी जो इस राजस्थान के कई इलाकों में दौरा कर चुकी है, सब देख चुकी है, छानबीन कर चुकी है और छानबीन करने के बाद जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर सरकार ने यह फैसला किया है । इसके बारे में कल जब कि सदन में इस पर विचार किया जावेगा तो और चर्चा की जावेगी; सारे फैक्ट्स बताये जावेंगे ।

मैं निवेदन करूं कि वैटरनेरी कॉलेज बीकानेर में खुला । तब भी हमने इस टैरिटोरियेलिज्म की बात को ध्यान में नहीं रखा। पर मैरिट्स हमने देखे तो खोल दिया । पशुधन के लिये और इलाके भी हो सकते थे । तो वहां पर हमने अधिक मैरिट्स देख कर कॉलेज खोला और वह राजस्थान का ही नहीं हिन्दुस्तान का वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज है । इसके बाद में मैडिकल कॉलेज बना है । आगे कभी एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया नहीं जावेगा, या बनना ही नहीं चाहिये वहां, मैं ऐसा नहीं कहता । हम चाहते हैं राजस्थान में और बनें, बनेंगे; विश्व विद्यालय बने, बनेंगे । सांगरिया के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज बनाना चाहते हैं । यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिखकर उन्होंने दिया है । कॉलेज के लिये वे फार्म देने को तैयार हैं । पैसा इक्ट्ठा करके भी देने को तैयार हैं, वे यूनिवर्सिटी के लिये भी कहते हैं । अब वहां पर कोई इन्सपेक्शन जाकर करे, सारी स्थितियों का अवलोकन करे , अपनी रिपोर्ट को रखे और वह अगर कहे कि एग्रीकल्चर कॉलेज बना सकते हैं तो जरूर बनाया जावे । अब यह विश्वविद्यालय का काम है कि वह इन सारी परिस्थितियों को जो कॉलेज के बनाने से पहले पूरी होनी चाहिये, देखे । अगर सारी बातों की पूर्ति होती है तो ठीक । अगर नहीं पूर्ति होती है तो कब तक उनको पूरा करवाया जावे, वह सब यूनिवर्सिटी के सामने मसला पेश हो । एग्रीकल्चर कॉलेज अगर बन सकता है तो जरूर बने; नहीं बने, ऐसा दृष्टिकोण लेकर सरकार चलना नही चाहती । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में अभी बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है । और अधिक कॉलेज बनेंगे और अधिक विश्वविद्यालय बनेंगे, इन्जीनियरिंग के कॉलेज बनेंगे, मेडिकल के बनेंगे । हम चाहते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्जीनियर, डॉक्टर और एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हमारे यहां बने ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर इतने आग्युमेन्ट्स आपके हैं तो एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर करने का हमारा चैलेन्ज आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; आप बैठ जाइये न । राजस्थान की ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की एक्सपर्ट कमेटी, इण्डो अमेरिकन टीम ने सारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है । अब और अलग कमेटी बैठाना धन का दुरुपयोग होगा । और सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी उदयपुर में बन जावेगी तो क्या गंगानगर और बीकानेर के दूरस्थ अथवा अन्य जगहों के देहाती क्षेत्र के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लोगों को तरक्की करने, वहां भरती होने और ज्ञान हासिल करने की सहूलियत नहीं होगी ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यहां तो सवाल पक्षपात का है । वहां पर तो व्यवस्थाएं ही नहीं हैं कि जिससे रिसर्च वर्क हो सके ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस ओर बैठने वाले उप-मन्त्री को सम्बोधित करते हुए यह कहा गया कि वे इसके सपोर्ट में कुछ करें, नहीं तो वे अपने क्षेत्र में समाप्त हो जावेंगे, अगर बीकानेर की बात नहीं की उन्होंने । तो इस प्रकार की बहस और दलीलों से जो जनतान्त्रिक परम्परा हम कायम करना चाहते हैं राजस्थान में, समय समय पर ऐसी बातों से उसे ठेस लगती है । हमें ऐसी बातों को रोकना चाहिये ।

कहा गया कि इस मसले को राजनैतिक दृष्टिकोण से हल किया जा रहा है, यह सारा काम गठबन्धन से हो रहा है । पर मैं निवेदन कर दूं कि हमारे सीमित साधन हैं और उन सीमित साधनों से हम किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लाभ राजस्थान के लोगों की प्रगति करने में उठा सकते हैं उसका ध्यान रख कर उन संस्थाओं की मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान काम कराने का है । यह हमारा दृष्टिकोण है और इसी दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है । इस दृष्टिकोण से उदयपुर के सिवाय और दूसरा उपयुक्त स्थान, जो क्राइटेरिया ले डाउन किया है, कन्सीडरेशन में आता नहीं और स्टेट के प्रेसीडेन्ट ने जो बात कही, जो पत्र भारत सरकार को लिखा और उसकी जो कॉपी हमें भेजी उसकी रिलेवेन्ट लाइनें पढ़ कर मैंने सुनाई थीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह पूरा पढ़ कर सुना दीजियेगा न, कोई गवर्नमेन्ट का डॉक्युमेंट तो नहीं है । यह मंत्री महोदय ने पहले भी कहा था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बार बार बीच में टोकते हैं । अब की बार आप खड़े होंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा । इस तरह से आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी अबकी बार आपको नहीं बोलने दूंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कैसे कह दिया आपने कि बोलने नहीं दूंगा ? क्या अधिकार है आपको मुझे नहीं बोलने देने का ? सभापति महोदय, मैं इन शब्दों पर ऐतराज करता हूँ । ये शब्द उनको वापिस लेने चाहिये । मंत्री महोदय मंत्री के पद पर आज बन गये हैं तो कोई बड़े भारी बादशाह बन गये, ऐसा गुमान हो गया है क्या उनको ? वे अपने इन शब्दों को वापिस लें ।

श्री सभापति : नहीं बोलने देना....

Order please ! Order !!

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बीच बीच में टोकेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा । जब आप बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला था ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके हाथ में है क्या नहीं बोलने देने को ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! Ordear !!

(व्यवधान)

Order please ! Ordr !!

श्री मुरलीधर व्यास : आपको अधिकार क्या है नहीं बोलने देने का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि आपने बार बार मुझे टोका।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको क्या अधिकार है यह कहने का ? मंत्री महोदय वापिस लें अपने इन शब्दों को। आप क्या हैसियत रखते हैं ? मेरा अधिकार है, संसदीय अधिकार है यहां बोलने का और बराबर बोलूंगा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले ?

श्री सभापति: Order please ! order !!

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा आप इन्टरप्शन करते हैं, मैं भी वैसे करूंगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह सदन का अपमान है।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, इस तरह के शब्दों को वापिस लिवाया जाना चाहिये।

श्री सभापति : जब जब मैं आपको बंद करने के लिये अर्ज करूं तो आप नहीं मानें तो यह भी आपकी ओर से सदन का अपमान है और साथ ही मंत्री महोदय से भी उम्मीद करूंगा कि बोलने देना या नहीं देना, यह काम वे मुझ पर छोड़ दें। आपस में आप इस तरह से न उलझें। आप आगे जारी रखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी यह मंशा नहीं थी। पर जैसे आपके टोकने पर भी वे बार बार टोकने के लिए खड़े होते हैं ! इतने सदन के सदस्य बोले, मैं एक बार भी टोकने के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो उनको शान्ति से मुझको भी सुनना चाहिये, मैंने भी उनको सुना है। अब मेरा बोलना उनके पसन्द आये न आये, यह उनकी मर्जी है।

श्री सभापति : please continue.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस लोकेशन के मुद्दे पर जो चर्चा हुई उसमें न राजनैतिक दृष्टिकोण है न चीफ मिनिस्टर का कोई पर्सनल इन्टरेस्ट है। राजस्थान के समग्र हित को और इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आज की परिस्थितियों में, सिवाय उदयपुर के, विश्वविद्यालय के उपयुक्त दूसरी जगह नहीं हो सकती थी।

(१२.० मध्यान्ह)

इसीलिए इसको यह रूप दिया गया है। अब यह कहा गया कि इसमें जल्दी नहीं की जाये। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की हर स्टेट इस दौड़ में लगी हुई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उनके यहां सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने। राजस्थान भी उनमें से एक है। अगर हम जल्दी से पास करके उसमें रुपया मांगने की पोज़ीशन में खड़े नहीं हो पाते हैं तो हमारे यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने में कई दिनों की डिले हो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकती है। इसलिए हमने शुरू में यह सोचा भी था कि ऑर्डिनेन्स के रूप में भी यह कानून बनाया जाये; पर उस समय चुनाव आ रहे थे और नया सदन बनने वाला था इसलिए सदन के सामने ही इसको रखना उचित समझा गया। यही कानून अब माननीय सदस्यों के सामने पेश है। मैं सभापति महोदय, आपकी मारफत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने में ढिले नहीं करनी चाहिये। इसलिए जो मोशन इसके बारे में आया है कि इसको वापिस प्रवर समिति में रेफर किया जाये या यह कहा जाये कि इसको जल्दी में पास कराया जा रहा है वह तो उस समय देखेंगे जिस समय कि हम अलग अलग क्लाज़ेज़ पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्यों ने दो–तीन क्लाज़ेज़ के बारे में कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल कैसे बने, उसके अन्दर क्या हो; उसके बारे में कुछ मुद्दे उठाये थे। इसके बारे में तो जब बिल क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिसकस होगा उस समय कहूंगा। जैसी माननीय सदस्य को शंका है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेसीडेन्ट हैं वह नोमीनेट हो जायगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर का प्रावधान नहीं रखा है वह तो इस प्रकार रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश के ऊपर चान्सलर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को नियुक्त करेगा। तो यह तो स्टेट गवर्नमेंट के नोमीनेशन के ऊपर होगा। तो इससे तो मिनिस्टर पहले ही आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं। उनकी रिकमन्डेशन से ही चेयरमैन बनेगा इसलिए यह शंका करना कि यह यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस नहीं होगी मैं शुरू में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं हम 'ऑटोनोमस-ऑटोनोमस' के झगड़े में ऐसी आफत तो खड़ी न कर लें कि यह इतनी ऑटोनोमस हो जाये कि स्टेट गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट के कोई काम अच्छी तरह से न चल सकें और न हम हमारा कन्ट्रोल रख सकें। इस लिये ही जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में रखे गये हैं उनमें ज्यादा तौर से सरकारी अधिकारी रखे हैं। यह यूनिवर्सिटी का परमानेन्ट फेज़ हो, ऐसी बात नहीं है। किसी भी समय यह अमेन्ड किया जा सकता है और जिस समय यूनिवर्सिटी अपना रूप धारण कर लेगी तो फिर किस प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता होगी वह सदन उसके ऊपर विचार कर सकता है और किसी भी समय उन क्लज़ेज़ में परिवर्तन किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सभापति महोदय,मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी से विचार में लेकर पास करने की कृपा करें ताकि राजस्थान का केस कहीं डिफॉल्ट में न रह जाये। यही आपसे प्रार्थना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of information, Sir, the disputed documents have become a mystry before the House. They should be placed on the Table of the House so that the House may know the real position as to whether the recommendation about Udaipur has actually been made by an expert committee or not.

श्री सभापति : इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : The documents that you have referred to should be laid on the Table of the House.

श्री सभापति : Would you like to produce the documents before the House ?.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इसके लिए एतराज नहीं है । मैंने निवेदन किया कि वह सिफारिश सारे देश के लिए है, अकेले राजस्थान के लिए नहीं है । सेकन्ड इन्डो अमेरिकन टीम ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कायम करने के सिलसिले में कुछ क्राइटेरियन और कुछ बातें ले-डाउन की हैं वह सारे हिन्दुस्तान के लिए हैं। वह राजस्थान के लिए अकेले के लिए नहीं है । उनकी सिफारिश मेज पर रखने में एतराज नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन सिफारिशों में पर्टीकुलरली उदयपुर में इसकी सीट रखने का क्राइटेरिया फिक्स होता हो, ऐसी रिकमन्डेशन तो नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस नतीजे पर स्टेट गवर्नमेंट पहुंची है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार और ओहियो स्टेट के प्रेसीडेन्ट आये उन्होंने सारे हिन्दुस्तान का भ्रमण किया और वे राजस्थान में भी आये थे....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, वे डाकुमेन्ट्स सिर्फ टेबल पर रखा दिये जायें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओहियो के प्रेसीडेन्ट का क्या क्राइटेरिया है, वह पहले सदन के सामने आ जाये....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कहीं भाग कर नहीं जायेगा। मेरी फाइल में है। आप उसको खुद पढ़ लीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्ज यह है कि हमने उसको देखने की काफी कोशिश की, लेकिन उन कीमती डॉकुमेंट्स के कहीं दर्शन नहीं हुए।

श्री सभापति: मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे यहां रख देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके दर्शन तो करा दिये जायें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस डॉक्युमेंट के पुनीत दर्शन होने चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी करवा कर यहां मेज पर रख दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा आश्वासन तो एक महीने पहले भी मिला था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री अमरसिंह (दूदू) : यह इन्डो-अमेरिकन टीम कहां घूमी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हिन्दुस्तान के अन्दर कई इलाकों में गई और राजस्थान में भी आई थी और उसने कुछ क्राइटेरिया सारे हिन्दुस्तान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे आई ट्रेन गये, आई एयर गये या कैसे गये ?

श्री सभापति : Order ! Order please !!

आप (श्री मुरलीधर व्यास से) अपना संशोधन वापिस लेते हैं या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं दो मिनट में ही कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : पहले से ही कैसे ले सकता हूं ? मेरा तो राइट ऑफ रिप्लाई है !

श्री सभापति : कोई राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है। If you want to press your motion I will put it to vote.

श्री मुरलीधर व्यास : पहले डॉक्युमेन्ट देख लें। मेरा एक ही मतभेद था कि यह सारा गलत है और सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने भी यही कहा कि हमने डॉकुमेंट नहीं देखे; अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जैसा कि अभी मन्त्री महोदय के विचारों से मालूम पड़ा है परन्तु बाद में जब पूछा गया तो अभी यह बतला दिया कि यह तो हिन्दुस्तान व्यापी बात है और उसके अन्तर्गत यह उदयपुर का फैसला हुआ है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह दुबारा भाषण शुरू हो गया क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! वे कागजात जो मंत्री महोदय ने कह दिया है नकल करवा कर यहां पर रख दिये जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : कब रख दिये जायेंगे ?

श्री सभापति: जल्दी से जल्दी रख दिये जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो चाहता हूं कि अभी टेबल पर रख दिये जायें, ताकि मैं देख लूं और आपके आदेश इतने ही होने चाहिए कि उसके दर्शन हो जायें और वह आपके जरिये ही हो सकते हैं। बाद में कॉपी बंटती रहनी चाहिए....

श्री सभापति : रिलेवेन्ट पोर्शन पढ़ कर सुना दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : हैडिंग पढ़ कर सुनाया है, नीचे का नहीं पढ़ा।

श्री सभापति : एक सेन्टेन्स भी पढ़ कर सुनाया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्डो-अमेरिकन टीम ने सिफारिश की थी और ओहियो स्टेट के प्रेसिडेन्ट ने क्या लिखा उसका एक्सट्रेक्ट तो बता दिया और उनकी सिफारिश की साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी करवा कर सदन की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मेज पर रख देंगे। उसको चाहे फिर आप महीने भर अध्ययन करें।

श्री मुरलीधर व्यास : हम तो अभी देखना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा नम्र निवेदन है कि उसके दर्शन तो करा दिये जायें।

श्री सभापति : You press your motion ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो अपना प्रस्ताव उसी प्रकार से रखना चाहता हूं कि पब्लिक ओपीनियन के लिए जाना चाहिए। सारे डॉकुमेन्ट्स हैं ही नहीं। सारा गलत बयान है, इसलिए मैं तो इस सारे को गलत समझता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री मुरलीधर व्यास : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति : 'ना' पक्ष जीता।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मुरलीधर व्यास : सब चाहते हैं कि डॉकुमेन्ट्स रखे जायें, वह आप नहीं रख रहे हैं।

श्री सभापति : अब प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ को, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचारार्थ लिया जाये ?

श्री मुरलीधर व्यास : सिलेक्ट कमेटी का तो प्रस्ताव रह ही गया जो उन्होंने दिया ....

श्री सभापति : It was not moved.

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो हाउस में आया ही नहीं।

श्री सभापति : वह मूव ही नहीं किया है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्व–विद्यालय विधेयक, १९६२ को, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २ और ३ को स्वीकार किये जावें ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्लॉज़ बाई क्लॉज़, कल के लिये रखा गया था कि कल होगा....

श्री सभापति : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ही

(श्री सभापति)

ले रहे हैं। इन क्लॉज़ेज़ पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): When tho question is being put...

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा संशोधन था वह आयेगा या नहीं ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खंड २ और ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खंड ४

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Before the Hon'ble Member starts his debate I would like to make a submission. The arguments which have been advanced during the course of the consideration of the Bill should not be allowed to be advanced at this stage, otherwise it will be repetition of the same arguments.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : He will repeat again and again.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : He has no right to say that he will repeat it.

श्री सभापति : रिपीटिशन नहीं हो तो अच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास : संशोधन इस प्रकार है : "शब्द 'उदयपुर' के स्थान पर शब्द 'गंगानगर' प्रस्थापित किया जाय।"

माननीय सभापतिजी, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह सीट के संबंध में है और वह यह संशोधन है कि कृषि विश्वविद्यालय की सीट है वह उदयपुर के स्थान पर गंगानगर में रखी जाय। यह जो संशोधन रखा है इस संबंध में जहां तक मैं समझता हूं काफी बहस हो चुकी है और इसमें बहुत से ऐसे बुनियादी पोइन्ट्स भी सदन के सामने, सभी माननीय सदस्यों के सामने आ चुके हैं; फिर भी क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जिसमें यदि इसका क्रम लगाया जाय, सीमा लगाई जाय तो ऐसे २५ पोइन्ट्स रखे जायं और वे जांच करें तो मालूम होगा कि २५ में से एक भी पोइन्ट ऐसा नहीं होगा जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में न हो। मैं इन २५ पोइन्ट्स को भाषण के रूप में नहीं, बल्कि विचार के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीट के संबंध में जो भी निर्णय एक निर्णायक तरीके से होना

(१२.१५ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिये था वह निर्णय यदि, जैसा कि हमारी सरकार, केन्द्रीय सरकार चाहती और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जो प्रावधान इसमें रखा है उसमें यूनिवर्सिटी के लिये कौन कौन से तथ्य आवश्यक हैं क्योंकि हमारे पास दूसरे डॉक्युमेन्ट्स नहीं हैं, उसमें जितने भी तथ्य रखे गये हैं, एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिये क्या क्या चीजें होनी चाहिये, केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग की जो बात है, आप उदयपुर को चाहे हर तरीके से मिलाने की कोशिश करिये तो पता चलेगा कि इस मामले में उदयपुर विश्वविद्यालय की सीट के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है ! क्योंकि जो केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री हैं, जिनका स्टेटमेन्ट हमारे सामने मौजूद है, उन कृषि मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में एक समय बात कही थी तो बतलाया था कि गंगानगर ही उपयुक्त स्थान है । कुछ बातें भी कही थीं मैं अधिक नहीं कहना चाहता । वे तो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं; राजस्थान के कृषि मंत्री और बातें कहते हैं । हो सकता है कुछ भिन्नता हो । लेकिन इसमें पोइन्ट्स हैं । सबसे बड़ा पोइन्ट यह है कि गंगानगर का इलाका हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा इलाका है । यह वह इलाका है जिसमें सबसे अधिक नहरें हैं । हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वे भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं और इस कारण भी गंगानगर का स्थान सबसे बड़ा है ।

तीसरी बात यह आती है कि एशिया की सबसे बड़ी नहर निकलती है वह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, राजस्थान नहर और जो पानी इसमें बहेगा वह जैसलमेर में जायेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी नहर और राजस्थान की तीन-चौथाई धरती उसके द्वारा सिंचित होगी, जिसका विकास आगे होने वाला है। योजनाबद्ध तरीके से आगे काम होनेवाला है, उसका लाभ राजस्थान की तीन-चौथाई धरती को मिलना चाहिये; जब कि इस धरती में कोई आदमी नहीं है । आज जैसलमेर का इलाका १६ हजार वर्ग मील का इलाका है । राजस्थान का एक बड़ा इलाका है जहां पानी जानेवाला है । वहां की आबादी कम है । नये साधनों से नहर के जरिये लाभ मिलेगा तो जो शिक्षा यूनिवर्सिटी के जरिये मिलनी चाहिये, यदि गलती से इसकी सीट उदयपुर कर दी तो सारी योजना का लाभ आगे के २० सालों में देना चाहते हैं उनसे वंचित कर देंगे और जो मूलभूत लक्ष्य है; जैसा कि मंत्रीजी ने बताया था, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, जो रिपोर्ट थी एक्सपर्ट्स कमेटी की, और बातें कही गई थीं, क्योंकि हमारा उत्पादन बड़ा नहीं है इसलिये यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और वहां शिक्षा प्राप्त करके स्पोट पर जाकर गांवों तक उसका लाभ दे सकते हैं, मंत्रीजी ने अभी कहा था । मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा क्या उस लक्ष्य से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कृषि कॉलेज बन रहे हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि स्पोट पर जाकर शिक्षा देना चाहते हैं तो कौन से क्षेत्र में देना चाहते हैं ? यदि पास में हो तो उसके पास बीकानेर जिले के बोर्डर के पास जैसलमेर है उसमें दे सकते हैं लेकिन जैसा आपने कहा उसके विपरीत आचरण हो रहा है । आपके स्वयं के शब्दों में जिस आधार पर हो रहा है उससे

Page No. 87

(श्री मुरलीधर व्यास)

वंचित रह रहे हैं । एक ओर कृषि की आवश्यकता है, पानी की धरती माता को आवश्यकता है उस आधार पर भी आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र बता दीजिये जो इस मामले में गंगानगर से आगे हो ?

दूसरा, आपने स्वयं कहा कि कृषि के साथ साथ पशु विज्ञान वेटरिनेरी साइन्स है उसका सम्बन्ध है । दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ साथ चलनेवाले हैं । ऐसी हालत में गंगानगर में स्वयं ही वहां पर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा वेटरनेरी कॉलेज आप ही के शब्दों में मौजूद है ।

तीसरी बात, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चाहिये डेरीज की दृष्टि से दूध, घी के लिए स्थान। कौनसा उपयुक्त है ? उनका परस्पर संबंध जो चाहिये । आज हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र दूध, घी का, पशुओं का वह इलाका जैसलमेर और बीकानेर का है, दूसरा कोई इलाका इसके मुकाबले में नहीं है । जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र के दृष्टिकोण से वह क्षेत्र मौजूद है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसा कारण है कि आप उसके लिये उदयपुर के इलाके को लेते हैं ।

तीसरी बात, यह कि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद मानते हैं, यहां मौजूद है और दूसरा फार्म फिर खोला जा रहा है । वैल मेकेनाइज्ड फार्म है । वहां जाकर छात्र देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े फार्म्स की आवश्यकता यूनिवर्सिटी के लिए होती है, जैसा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हमारी प्लानिंग में भी कहा गया है कि हमारे देश में जो पुराने ढर्रे के आधार पर कृषि चली आ रही है उसको बदलने के लिए कृषि विश्व विद्यालय की आवश्यकता है । उसके लिए वह एकमात्र स्थान ही उपयुक्त है । यह फार्म दुनिया का सबसे बड़ा फार्म है । दुनिया में कोई भी सोचनेवाला हो, उसको पूछा जाय कि एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए कौनसा स्थान उपयुक्त है, तो वह कहेगा कि अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखा जाय तो गंगानगर का इलाका फर्स्ट आयेगा, यह पीछे रहनेवाला नहीं है । आप राजस्थान की बात करते हैं, हिन्दुस्तान के दृष्टिकोण से भी देखें और हिन्दुस्तान के लिए यूनिवर्सिटी कायम करने की बात आती है और उसके लिए हिन्दुस्तान की एक्सपर्ट कमेटी जांच करती है तो जो स्थिति आज गंगानगर में मौजूद है, वह उदयपुर में कतई मौजूद नहीं है । परन्तु आप....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, वही के वही आर्ग्युमेंट्स दे रहे हैं जो जनरल डिबेट के अन्दर दिये जा चुके हैं । अगर अमेंडमेंट के बारे में बीस-पच्चीस मिनट भाषण होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगी । मेरे ख्याल से समय की कमी को देखते हुए डिबेट को कंट्रोल किया जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो बात पहले कही जा चुकी है वह रिपीट न करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह जनरल बात थी, यह स्थान के बारे में है कि उदयपुर को

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेते हैं, गंगानगर को क्यों नहीं लेते हैं। इसकी तुलना कर रहा हूं, दूसरी बात कुछ नहीं कह रहा हूं। तो तीसरी बात....

एक माननीय सदस्य : चौथी बात।

श्री मुरलीधर व्यास : तीसरी से मतलब आगे की बात। वैसे तो सातवीं आठवीं हो गई। मुझे पच्चीस बातें रखनी हैं।

तो यह बात है कि कृषि के दृष्टिकोण से आप सारे राजस्थान के इलाके में घूमिये तो राजस्थान के हर जिले में घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि कृषि से सम्बन्धित वहां का जीवन बन गया है। आज गंगानगर का इलाका है, सिवाय कृषि के उसका सम्बन्ध और कोई दूसरे धन्धे से नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में चले जाइये, वहां के हर व्यक्ति का जीवन कृषि से सम्बन्धित जीवन है और उनका सारा धन कृषि के सिवाय दूसरे काम में नहीं आता है। वहां का हर व्यक्ति कृषि के काम में लगता है। इस तरह आप उदयपुर में चले जाइये और गंगानगर में चले जाइये, आपको मालूम पड़ेगा कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए गंगानगर के अलावा दूसरा इलाका नहीं है।

तीसरे, आज साधन और औजारों का सवाल है। उसके साथ ही दूसरे साधनों का सवाल है जो आधुनिक तरीके के औजार इस्तेमाल होते हैं। मैंने कल कहा था और आज भी कहता हूं कि राजस्थान में २,००२ ट्रेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें से १,००२ ट्रेक्टर्स गंगानगर जिले में इस्तेमाल होते हैं; जबकि उदयपुर में सिर्फ ४५ ट्रेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं।

दूसरे, यहां जो एक बात आई थी, मन्त्री महोदय ने कहा था, उसका थोड़ा उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी संस्थायें होनी आवश्यक हैं। उससे सम्बन्धित संस्थायें, मन्त्री महोदय अगर बता दें कि एग्रीकल्चर से सम्बन्धित संस्थायें कौन सी हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने गिनाई थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : वे संस्थायें एक ओर जो वहां को लेते हैं उसी के साथ आप गंगानगर की देख लीजिये। आपको पता लगेगा कि वहां भी सम्बन्धित संस्थायें चलती हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने गिनाई थीं, उनमें से एक भी गंगानगर में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : गंगानगर में एक नहीं है ? वेटरनेरी कॉलेज उससे सम्बन्धित नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर में है।

श्री मुरलीधर व्यास : गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हो। हम नहीं कह रहे हैं कि गंगानगर का इलाका हो; हम यह नहीं कहते कि गंगानगर शहर में खोलिये। आप गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर और कहीं ठीक समझते हों वहां रखिये। हम कहते हैं अलवर में रखिये, आप गंगानगर में रखिये। आस-पास रखिये।

तीसरी बात, खुद सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : गंगानगर के अलावा कोटा चली जाय तो क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : कहीं के लिए हो, कोटा के लिए हो तो मैं पहला आदमी होऊंगा। परन्तु हमारे मन्त्री जी मानने के लिए तैयार हों। यह यूनिवर्सिटी अलवर में चली जाय, और कहीं आप ले जायं, मन्त्रीजी नागौर ले जायं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप एक दफा कह दें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं चाहता हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा : नागौर चली जायगी तो आप एक्सपर्ट कमेटी की बात नहीं कहेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : नागौर में मतभेद हो तो खाचारियावास भेज दो।

श्री मुरलीधर व्यास : एक्सपर्ट कमेटी को भेज दो और पता लगा लो। इसमें कुछ नहीं है, यह तो पता लग जायेगा....

श्री नाथूराम मिर्धा : एक बात को सौ दफा कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : वहां फर्टीलाइज़र फैक्ट्री है और फार्म लगने वाला है। वह स्थान ही उपयुक्त है। फिर अधिकांश छात्र पढ़ने जाते हैं, छात्र दूर दूर जाकर पढ़ने जायेंगे तो गरीब किसानों को पढ़ाने में मुश्किल होगी....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या उदयपुर के लड़के गंगानगर में जायेंगे और ऐसे प्रान्त में जो पैसा देने वाला है, जो दस लाख दे सकता है ? वहां के लड़कों को हमारे यहां आने में क्या दिक्कत होगी ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ कि आधुनिक तरीके से कृषि के विकास के लिए यूनिवर्सिटी होती, जहां आधुनिक तरीके से विकास के साधन मौजूद हैं वहां लड़के पढ़ कर जायेंगे तो काम करेंगे। जहां एक-दो बीघा जमीन हो वहां लड़के पढ़ कर जायेंगे तो क्या सिर फोड़ेंगे ?....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपने एक दो बीघा में सिर फोड़ने की बात कही....

श्री मुरलीधर व्यास : जमीन एक-दो बीघा से ज्यादा आती नहीं है तो सिर फोड़ेंगे....

(व्यवधान)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो दो-चार बीघा में खेती कर रहे हैं वे क्या सिर फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : सिर फोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : इस प्रकार के शब्द एक जगह के बारे में कहें....

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा मतलब यह है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिर फोड़ने का मतलब क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा मतलब है कि वे वहां जायेंगे तो इतनी जमीन मिलेगी....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इतनी जमीन तो हिन्दुस्तान भर में है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह व्यंगात्मक भाषा नहीं है। 'सिर फोड़ने का मतलब' यह होता है कि जमीन है, उसमें नुकसान होगा और....

श्री विजयसिंह झाला : यह दूसरे क्षेत्र की जमीन है, उसके लिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : 'सिर फोड़ना' अनपार्लियामेन्ट्री है।

एक माननीय सदस्य : जहां हजारों बीघा जमीन है, वे एक-दो बीघा के लिए सीखने जायेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह कोई अनपार्लियामेंन्ट्री नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यह लफ़्ज़ अनपार्लियामेन्ट्री हो। फिर भी इससे किसी को दुःख होता है, तो मुझे कोई हर्ज नही है....

श्री सभापति : आप जल्दी से भाषण समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : तो हनुमानगढ़ के अन्दर फर्टीलाइज़र फैक्ट्री खुल रही है। उसमें सरकार का करोड़ों रुपया लग जायेगा। वह किसी पब्लिक सेक्टर में होगा, या प्राइवेट सेक्टर में होगा, यह विचारने वाली बात है।

इसके अतिरिक्त जैसी मंत्री महोदय ने एक बात यह कही अभी इस दरम्यान में कि इसके सम्बन्ध में उदयपुर के अन्दर दूसरे सारे साधन मौजूद हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज है और पैसा लगा हुआ है, इस कारण से हमें वहीं पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करनी है। एकमात्र उनका आधार है कि वहां इस प्रकार की चीज़ है। इसके सम्बन्ध में जैसा सबसे पहले कहा गया है; आज जो पैसे का सवाल है उसके सम्बन्ध में भी जैसा केशवानन्दजी, जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, ने यूनिवर्सिटी को लिख कर दिया है कि अगर वहां एग्रीकल्चर कालेज कायम करना चाहते हैं तो उसके वास्ते १० लाख रुपया जमा करके वहां देने के लिए तैयार हैं, तो....

श्री सभापति : यह बात पहले कह चुके हैं, वही रिपीट कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया....

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूरा रिपीटीशन हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समझ में नहीं आये तो चारा क्या है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक ही बात बार बार कह रहे हैं।

श्री सभापति : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अलावा जो अर्थ-शास्त्र होता है वह अर्थ शास्त्र कृषि के आधार पर चलता है। उसका सारा ढांचा इस आधार पर चलता है। आज गंगानगर का इलाका है, यह ऐसा इलाका है जहां कि अर्थ

(श्री मुरलीधर व्यास)

व्यवस्था कृषि पर आधारित है। आप इस वैज्ञानिक तथ्य को अलग नहीं डाल सकते । जिस क्षेत्र का आर्थिक ढांचा कृषि पर आधारित हो, जिसके लोग कृषक हों, जिसका सारा काम कृषि पर चलता हो, वह इलाका कृषि यूनिवर्सिटी के उपयुक्त नहीं है, ऐसी बात कह दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी अन्याय है। यह एक वैज्ञानिक पोइन्ट है जो वहां का आर्थिक ढांचा है वह कृषि के आधार पर चल-रहा है, इसलिए गंगानगर इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है ।

मैं इन सारे कारणों को फिर दोहराना नहीं चाहता और जो खास करके मेरा अमेन्डमेंट है वह यह है कि सीट का जो सवाल है उसके बारे में सीट के लिये उदयपुर की जगह गंगानगर होना चाहिये, यह मेरा संशोधन है। माननीय मंत्री भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गंगानगर के बारे में भी कमेटी दो महीनों में निर्णय कर सकती है । मैं यह कहूंगा कि जो स्थान उदयपुर का रखा गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए वह उपयुक्त स्थान नहीं है। यह केवल राजनैतिक उद्देश्यों से रखा गया है। यह सरकार की उपेक्षा नीति है और इससे देश को नुकसान होगा। कुछ लोग राजनैतिक सौदेबाजी से निर्णय लेते हैं। अगर वे इस तरह से करते हैं और हमारी सरकार करती है तो देश के साथ में बड़ा भारी धोखे का काम करते हैं और यह कोई स्वागत की बात नहीं है। आखिर यह शिक्षा की बात है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह तो शिक्षा की बात है इसमें किसी को....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : श्री गोकुलप्रसादजी ! आपका काम तो हो गया आपको बोलने की क्या जरूरत है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ ४ पर है कि उदयपुर के स्थान पर इस मसले को तय करने के लिये ये शब्द रख दिये जावें।

"In this clause in place of the word 'Udaipur' substitute the following :—

'such place as may be decided by the Government on the recommendation of an expert Committee especially constituted for this purpose'.

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर कि कहां यह विश्वविद्यालय हो, गवर्नमेंट की तरफ से उदयपुर का नाम सजेस्ट किया गया है और इस पर गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे हैं। कुछ विचार कोटा के बारे में भी रखे गये हैं। मेरा यह ख्याल है कि इनका महत्व न केवल इतना ही है कि कृषि विश्वविद्यालय की सीट कहां हो लेकिन इसका महत्व इस बात से है कि राजस्थान स्टेट में जो कितने ही राज्यों से मिल कर बना है, जिसकी बहबूदी हम सब लोग चाहते हैं तो इसमें इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है और वास्तविक रूप से कॉन्ट्रोवर्सी है और जैसे कि मुख्तलिफ विचार इस सदन में रखे जा रहे हैं उसके पीछे वजह भी है, दलीलें भी हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि दलीलें नहीं हैं। तो हम ऐसे प्रश्न को तय करने के लिए कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रास्ता निकालें जिससे हमारे राजस्थान के लोगों में इस प्रकार का विश्वास पैदा हो सके कि हमारे लीडर्स इन प्रश्नों को किसी रेशनल बेसिस पर तय करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि जिस प्रकार से राजस्थान में इस किस्म के प्रश्न को तय करने का प्रयत्न किया जाता है, उसमें यह आउट लुक और यह तरीका निकालना कि हमारी सरकार की ओर से कम प्रयत्न है और यही कारण है कि इस सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न पार्टीज़ में सरकार की नीतियों की आलोचना होती है।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया गया है, जो माननीय कृषि मंत्री महोदय ने अपने स्पीच में तथ्य रखे है उनसे यह बात तो साबित हुई कि सारे हिन्दुस्तान के स्तर पर हमारे यहां भी किसी प्रकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम हो। उसको कायम करने का क्या आधार है ? इस प्रकार है कि यहां पर इन्डो अमेरिकन पार्टी ने इस तरह का सर्वे करके कोई बेसिस रखा। लेकिन वह बेसिस सही तौर से किस जगह लागू होता है ? क्या उदयपुर ही सब तरह से उनको पूरा करता है या कोई और स्थान भी उसकी पूर्ति करता है ? इस बात को तय करने के लिए ऐसी कोई निष्पक्ष कमेटी नहीं बनाई गई जिसके बारे में राजस्थान क्षेत्र के दूसरे लोग भी महसूस कर सकें कि आखिर जो यह सेन्टर रखा है वह उचित है या नहीं। इस बात के लिए गवर्नमेन्ट को पहले सोचना चाहिये और अब भी कम्प्लीटली सोचे तो इस बात को महसूस करेंगे कि दूसरे लोग चाहे वे गंगानगर के साथी हो या दूसरी जगह के लोग हों उनको रीज़नेबल ग्राउन्ड इस प्रकार की ग्रीवान्सेज को रखने के हैं कि पर्टीकुलर जगह के लिये गवर्नमेन्ट ने निर्णय लिया है, इसका कोई आधार नहीं है जिससे सब लोग सेटिस्फाइ हो सकें। इसलिए जो भावना कृषि मंत्री ने बताई कि राजस्थान सरकार की यह इच्छा है कि राजस्थान में हम इस तरह का कदम उठावें कि भावनात्मक एकता पैदा हो सके, तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर जो एटीट्यूड सरकार की तरफ से बताया जा रहा है वह दूसरों की अवहेलना का तरीका है और आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। एक मिशन सजेस्ट करें जिससे उदयपुर का मामला खत्म नहीं हो जाता है और इससे दूसरे स्थानों की इम्पोर्टेन्स खत्म नहीं होती। मगर आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और लोगों में कन्ट्रोवर्सीज आप चाहते हों कि नहीं रहे और लोग आपकी आलोचना न करें तो आप भी इससे बच जायेंगे और मामला भी हल हो जावेगा। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है वह उचित है और यही कहना चाहता हूँ कि आप सीट के लिये कोई स्थान फिक्स न करें। आप गंगानगर या उदयपुर या कोई एक्स, वाई, जेड मुकर्रर न करें। इस मामले को एक एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें। आप एक्ट पास कर लीजिये क्योंकि आपको प्रिलीमिनरी काम करना होगा। इसलिये इतने समय में आपका काम भी पूरा हो जावेगा और उधर एक्सपर्ट कमेटी दो-तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे सकती है। इसलिये इस कृषि विश्वविद्यालय के काम में देरी भी नहीं होगी। यह मामला अगले सत्र में आ सकता है और रीज़नेबल तरीके से यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मसला हल हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि हमें राजस्थान की पब्लिक के सामने नया दृष्टिकोण रखना चाहिये और क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर मसले को तय करना चाहिये। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो जुबान से कहने से यह नहीं होता। माननीय सदस्य जो पक्ष में बोले हैं उन्होंने भी कहा है और माननीय सदस्य जिन्होंने विपक्ष में बोला है उन्होंने भी कहा है, लेकिन जब तक वास्तविक तरीका आप नहीं अपनावेंगे तब तक कुछ नहीं होगा और वास्तविक तरीका अपनावेंगे तो किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा; जिससे सबकी शंकाओं का समाधान हो सके। जब तक क्षेत्र विशेष से आप आगे नहीं बढ़ेंगे कोई काम नहीं होगा और मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ता बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन रखा है वे पर्टीकुलर जगह के लिये कृषि कॉलेज खोलने की जिद्द नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि उनकी जिद्द गंगानगर के लिये नहीं है। उन्हें इस बात से भी इन्कारी नहीं है कि गंगानगर से आने वाले दूसरे सदस्य ने कहा कि अगर कोई ड्यूली कोन्स्टीयूटेड कमेटी उदयपुर के बारे में भी अपना फैसला कर दे तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मुझे समझ में नहीं आता कि एक्सपर्ट कमेटी क्यों नहीं बनाई जाए, इसके बनाने में काम भी डिले नहीं होगा और हम यह चाहते हैं कि काम डिले नहीं होना चाहिये और दूसरी स्टेट हमसे आगे बढ़ जावें और हम पीछे रह जावें। इसीलिये हमने दूसरी सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात का विरोध किया, आप इस पर विचार करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे और सरकार भी इस सोबर एमेन्डमेंट को स्वीकार करेगी।

श्री सभापति : माननीय कृषि मंत्री।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४ के बारे में दो अमेन्डमेंट्स बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे कि उदयपुर की जगह गंगानगर सीट रखी जावे और यह दलील दी कि वहां पर नहरें ज्यादा हैं, एनिमल हस्बेन्ड्री का ऑफिस है; आदि। मैंने उनको मेरी बहस के दौरान में जो क्राइटेरिया बताया था कि इस यूनिवर्सिटी के जो पहलू हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, होम साइन्स का कॉलेज है, वेटरनेरी का सेन्टर है, वे सारी सहूलियतें उदयपुर में होती हैं, गंगानगर में उपलब्ध नहीं हैं। मैंने कहा कि बीकानेर में वेटरनेरी कॉलेज बना है। बहुत बार उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी दूसरी जगह सीट हो जावे मगर उदयपुर में नहीं हो ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैंने यह नहीं कहा कि उदयपुर में नहीं हो ....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने 'गंगानगर' का लिखा है। इसलिये उसका उत्तर दे रहा हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कृषि मंत्री की हैसियत से कहते हैं कि गंगानगर उसके लिये उपयुक्त नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ये शब्द नहीं कहे, ये शब्द कहे कि कहीं भी बन जावे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने नागौर तक की बात तो कह दी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से वे कह रहे थे कि कहीं ले जाओ। बीकानेर ले जाओ, नागौर ले जाओ, पर उदयपुर में तो ले जाना अन्याय है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मैंने नहीं कहा, जो कुछ मैंने कहा प्रोसीडिंग्स में मौजूद है, देख लिया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बिल्कुल गलत बात क्यों कहते हैं ?

श्री सभापति : आप पहले सुन लीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : The Hon'ble Minister should not make such wrong statement to bomboozle the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो क्राइटेरिया जिसके नीचे सेकन्ड इन्डो अमरिकन टीम ने उदयपुर के लिए सजेस्ट किया, जिसके लिये सरकार इतना खर्चा कर चुकी है, उस जगह नहीं करके दूसरी जगह नहीं किया जा सकता, क्योंकि नई जगह करेंगे तो मदद सीमित साधनों में दी जायेगी, पैसा हमारे पास नहीं है, नई जगह पैसा एक दम ज्यादा खर्च करना पड़ेगा । जो क्राइटेरिया निश्चित किया है उसको देखते हुए उदयपुर ही इसके लिए ठीक स्थान है । इस समस्या को लटका कर छोड़ देना उचित नहीं होगा ।

अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिल तो पास कर दिया जाय पर सीट का तब तक तय नहीं किया जाय जब तक कि एक्सपर्ट्स की कमेटी मुकर्रर करके उसी स्थान के बारे में राय न जान ली जाय । मेरा निवेदन है कि कमेटी कैसे ही आदमियों की बना दीजिये उदयपुर की ही बात फिट होगी, जो आवश्यक बातें कृषि विश्वविद्यालय के लिए हैं वे उदयपुर ही फुलफिल करता है । इसलिए न तो कमेटी के लिए छोड़ना वाजिब है और न भविष्य के लिए सर्च में रखना ठीक है । इसलिये यह उदयपुर में ही बने क्योंकि उदयपुर में इसके लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं वे सब मौजूद हैं, जिनकी गिनती मैं करा चुका हूं । इसलिए उदयपुर में ही रखना आवश्यक है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स मांगे गये थे वे आपने नहीं रखे ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय ने कहा न कि वे हाउस की टेबल पर रख देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओरीजिनल लैटर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, ओरीजिनल तस्वीर में ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि बिल तो पास कर दिया जाय पर सीट कहां रखी जाय, यह तब ही डिसाइड किया जाय जब कि एक्सपर्ट्स कमेटी जांच करके स्थान के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। यह मेरे संशोधन से बड़ा संशोधन है। मेरे संशोधन में बीकानेर, उदयपुर का सवाल है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। जो संशोधन इन्होंने रखा है वह ठीक है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सारे डॉक्युमेंट्स मौजूद हैं तो एक्सपर्ट्स कमेटी की जरूरत नहीं। ५ आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय जो इन सारे डॉक्युमेंट्स को देख ले और निर्णय कर दे कि वाकई में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहां रखना उचित है। जो अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसके फेवर में मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मुरलीधर व्यास को उनका संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने खण्ड ४ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री सभापति : क्या डिविज़न क्लेम करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Yes. Sir.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Unnecessarily they want to waste the time of the House.

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Sir, I would advise my Hon'ble friends not to press for a division. Only a voice vote will do.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Sorry, we cannot agree to your advice at present.

श्री मोतीलाल : There are only 5 persons and they are claiming division, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : Order please! I will again put the question.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैं इसे पेश नहीं करता।

खण्ड ५ से १८

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ५ से १८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ से १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १९

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, इस बिल का क्लॉज़ १९ कोन्स्टीट्यूशन और कम्पोज़िशन ऑफ बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्यों ने इस क्लॉज़ में देखा होगा कि जो सिलेक्टकमेटी द्वारा संशोधित बिल आया है कुछ परिवर्तन थोड़ा बहुत शब्दों का जरूर किया है लेकिन मौलिक तरीके से जिस प्रकार से सरकारी लोगों को इस बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में स्थान दिया गया है और जो इसका तरीका है वह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। पांच इसके अन्दर ऑफिसर्स हैं जो एक्स-ऑफिशियो इसके मेम्बर्स होंगे। चुने हुए सिर्फ तीन रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ रखे हुए हैं और बाकी नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं जिनको कि गवर्नमेन्ट नोमिनेट करेगी और इस तरीके से बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल इसमें सजेस्ट किया गया है वह एक तरह का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सब-विभाग होगा। तो मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे इस प्रकार से हैं कि इसका पार्ट ३ है जिसमें चुने हुए मेम्बर्स लेने हैं इसमें जो राजस्थान में ग्रेजुएट्स की संख्या है उनकी संख्या एक के बजाय पांच होनी चाहिये; ऐसा मैंने संशोधन रखा है।

"One registered graduate of the University including graduates of the various colleges which have been incorporated in the University."

इसमें एक की जगह पांच रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स चुने जायं, ऐसा मेरा संशोधन है।

दूसरा जो थर्ड पार्ट है इसमें जो सब क्लॉज़ (३) है, तीन आदमी चुने हुए रखे हैं इसमें मैंने सजेशन्स सब क्लॉज़ेज़ (४), (५),

Page No. 97

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(६), और (७) एड करने के लिए दिये हैं जो इस प्रकार है :

"After (iii) add:-

'(iv) one principal from among the various principals of various degree and post degree colleges in Rajasthan,

(v) three teachers from among the various teachers in the University,

(vi) two persons having personal experience of agricultural operations, elected by an electoral college consisting of members of Zila parishads,

(vii) one person representing co-operative societies, himself being a member of some co-operative society, to be elected by an electoral college consisting of members of managing committees of Apex Co-operative organisations in the State."

इसके अलावा जो पार्ट थ्री है इसमें जो नोमिनेटेड मेम्बर्स का सेक्शन है उसमें से यह वह पार्ट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या जिला परिषद् से भेजने का या नोमिनेट करने का अधिकार दिया है, उन क्लॉज़ेज़ को डिलीट करने का मेरा प्रपोज़ल है [In sub clause (1) Part IV : delete sub-parts (1), (IV) and (V)"] इनको डिलीट कराके मेरा मकसद इनको रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं देने का नहीं है; बल्कि मेरे अमेन्डमेन्ट्स के जरिये इनको नोमिनेटेड के बजाय इलेक्टेड मेम्बर्स बनाया है। इसके अलावा जो नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं उसमें जो एक वुमेन का प्रोविज़न है उसमें ओरिजिनल क्लॉज़ के अन्तर्गत ऑल इन्डिया वीमन्स ऑर्गेनाइज़ेशन से एक महिला को नोमिनेट करने का सरकार ने अधिकार लिया है। मैंने संशोधन रखा है:—

"Replace sub-part (iii) by the following:—

'(iii) One representative of any woman organisation function in the State and having knowledge of Home Science, nominated by the Government out of a panel submitted by the working committee of that organisation.'

(vi) Delete sub-clause (2) and re-number the other sub-clauses accordingly."

यानी महिला संगठन हमारी स्टेट में बहुत अधिक नहीं हैं और उनका डाइरेक्टली चुनाव कराने के लिए कुछ इलेक्टोरल कॉलेज बनायें इसमें दिक्कत थी इसलिये मेरा यह सजेशन है कि ऐसे जो संगठन हमारे यहां काम कर रहे हों उनकी वर्किंग कमेटी में से एक पैनल लिया जाय और उस पैनल में से एक को नोमिनेट कर दें।

तो माननीय सदस्य यह देखेंगे कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं उनकी मंशा सीधी और साफ यह है कि जो कुछ बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का वेटेज सरकारी अफसर और गवर्नमेन्ट के नोमिनेटेड मेम्बर्स को दिया गया है, १५ में से १२ ऐसे लोग हैं जो या तो नोमि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नेटेड होंगे या एक्स ऑफिशियो उसके मेम्बर्स होंगे और सिर्फ तीन का ही रिप्रेज़ेन्टेटिव कैरेक्टर रखा है। मेरे सजेशन्स के अनुसार इसमें १२ चुने हुए होंगे, बाकी एक्स ऑफिशियो या नोमिनेटेड मेम्बर्स होंगे।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि आज के इस युग में जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां हम यह सोचते हैं कि इस प्रकार की जो भी बॉडीज बनायी जायं, जो भी संगठन बनाये जायं वे वास्तविक तौर पर केवल सरकार की मंशा या सरकार के इशारों पर चलने वाले संगठन ही न हों, बल्कि वे इस प्रकार के हों कि जो वास्तव में जनता का सही तौर पर प्रतिनिधित्व कर सकें। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हों तो वास्तव में ऑटोनोमी का तरीका होगा और सही तौर पर ऑटोनोमस बोडी फंक्शन कर सकेगी। सभापति महोदय, जो गवर्नमेंन्ट की मंशा जिस प्रकार के सेक्शनल लोगों को इसमें लेने की है, जिस प्रतिभा के व्यक्ति इस बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में लाना चाहते हैं, मसलन किसी विषय के विशेषज्ञ को गवर्नमेंट इसमें नोमिनेट करना चाहती है, जिस समय इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बहस हो रही थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी थी कि इन क्लॉज़ेज़ से ऐसा मालूम पड़ता है कि किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिये जगह बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में क्रियेट की जा रही हों। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब हमारे सामने एक ऐसा तरीका हो सकता है, जब एक विशेष ज्ञान रखने वाले कुछ प्रकार के लोगों को इलेक्टेड बॉडी में रख सकते हैं तो फिर क्यों इस प्रकार के अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और क्यों नहीं वास्तविक तरीके से....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं इस प्रस्ताव में संशोधन करता हूँ कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जब तक यह बिल समाप्त न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की यह सम्मति है कि जब तक यह बिल समाप्त न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय तब तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल है, उसूलन तरीके से इसमें एक मेज़ोरिटी इलेक्टेड पर्सन्स की होनी चाहिये। वास्तव में अगर एक रेस्पोन्सिबल और ऑटोनोमस बोडी बनाना चाहते हैं जो अपने इनीशियेटिव से काम कर सके, जो हमारी सरकार की ओर ही न देखे वर्ना जिस तरीके से बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल इसमें सजेस्ट किया गया है, माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस तरीके का

Page No. 99

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बोर्ड वास्तव में एक सही तरीके की यूनिवर्सिटी डेवलप कर सके, यह नामुमकिन बात है। इसलिए मैं प्रेस करूंगा कि ये जो अमेन्डमेन्ट्स मैंने सजेस्ट किये हैं इसमें इस प्रकार के एली-मेन्ट के लोगों को लाने का प्रयत्न किया गया है,जैसे कॉलेज के प्रिन्सिपल्स में से एक प्रिन्सि-पल, जो टीचर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करेंगे उनमें से तीन टीचर्स को लेने का मैंने संशोधन रखा है। मेरा यह जो संशोधन है वह इसलिये है कि सरकार की जो भावना इस बिल में है जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी के एम्प्लोईज़ किसी तरीके से उसकी गवर्निंग बॉडी के मेम्बर्स नहीं हो सकते हैं, उस प्रिन्सिपल को हम स्वी-कार नहीं करते।

(१ म० प०)

हम यह समझते हैं हमारे इस डेमोक्रेटिक सेट-अप में हमारी यह दलील कि जो हमारे एम्पलोईज़ होते हैं वे भी नागरिक हैं, आखिर वे भी कुछ सुझाव दे सकते हैं; इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वे भी अच्छे सुझाव दे सकते हैं। इनको भी आप गवर्निंग बॉडी में स्थान दीजिये, गवर्निंग बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर सकती है। यह ऑर्थो डॉक्स आइडिया कि यूनिवर्सिटी के एम्पलोईज़ हैं, टीचर्स में हम इनको गवर्निंग बॉडी में नहीं रखें। यह फ्यूडल कन्सेप्शन है। हमारे नीचे जो काम करें उन लोगों को एक कमेटी का मेम्बर बना दें, इनको नहीं बनाना चाहिये; यह जो धारणा रखते हैं वे गलत हैं। आखिर जो गवर्नमेन्ट के एम्पलोईज़ हैं, सेक्रेटरीज़ हैं उनको जब आप अच्छा स्थान दे रहे हैं उस गव-र्निंग बॉडी में तो मेरा जो संशोधन है टीचर्स जो यूनिवर्सिटी के हैं वे काम करते हैं उनमें से तीन टीचर्स को नुमायन्दा चुन कर इसमें लाया जाय।

रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के बारे में एक के बजाय पांच रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स इसमें होने चाहिये। जिम्मेदार लोग जिनको तजुर्बा होता है वे आते हैं तो जिम्मेदारी से काम होता है। उन लोगों को इस बॉडी में लेना निहायत जरूरी है। वे अपना वोट डाल सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं,जिससे एफीशियेन्सी के साथ बोर्ड फंक्शन कर सके। इसलिये आपके समक्ष आपकी मन्जूरी के लिये मैंने सुझाव रखे हैं।

आखिर में जो संशोधन है अगर यह डिलीट हो जाता है तो वापिस इसको री-नम्बर करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन मैंने क्लॉज़ १९ में रखे हैं उन पर गम्भीरता से विचार करके उनको स्वीकार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

[संशोधन इस प्रकार है :

"(a) In sub-part (iii) of Part IV of Sub-clause (1) the words 'One reprsen-tative nominated by the Court from the Rajasthan Branch of the All India Womens Conference' be replaced by the words 'One represen-tative from the present management of Rajasthan Mahila Vidyalaya Home Science College".

(b) In Part IV, sub-part V add the following new sub-part VI:—

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

'(VI) One nominal of the Home Science Association of India.']

सभापति महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ १९ के सब-क्लॉज़ में (१) के पार्ट (४) के सब पार्ट (३) में है । राजस्थान ब्रान्च ऑफ दी ऑल इण्डिया विमेन्स कान्फ्रेन्स से होम साइन्स का कोई ताल्लुक नहीं है । इसका ताल्लुक ऐसे स्थान से होना चाहिये जहां पर होम साइन्स पढ़ाया जाता हो, होम साइन्स का कॉलेज हो और जो होम साइन्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया से ताल्लुक रखता हो । मेरा सुझाव यह है कि : "In part of IV sub-clause '(3) One representative nominated by the Goverment from the Rsjasthan Branch of the All India women's Conference', के स्थान पर'One representative from the present management of Rajasthan Mahila Vidyalaya Home Science College', should be added".

क्योंकि राजस्थान महिला विद्यालय होम साइन्स का कॉलेज है, उसके मेनेजमेंट बोर्ड में जितने भी लोग हैं वे होम साइन्स से ताल्लुक रखते हैं । होम साइन्स का प्रतिनिधि लेना है तो हमें इसी प्रकार का प्रतिनिधि लेना पड़ेगा वर्ना इसमें जो रखा गया है राजस्थान ब्रान्च ऑफ दी ऑल इण्डिया वीमेन्स कॉन्फ्रेन्स उसका होम साइन्स से कोई ताल्लुक नहीं । ऑल इण्डिया वीमेन्स कॉन्फ्रेन्स एक सेमी पोलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका होम साइन्स से कोई ताल्लुक नहीं । इसलिये मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय ।

इसी तरह से क्लॉज़ १९ में मेरा एक सुझाव है । होम साइन्स का कोई ऑल इण्डिया प्रतिनिधि होना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि सब-क्लॉज़ (६) और जोड़ा जाय "One nominee of the Home Science Association of India."

इस प्रकार मेरे दो अमेन्डमेन्ट हैं, उनको मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १९ के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज़ १९ को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय । सभापति महोदय, युनिवर्सिटी की इन्डिपेन्डेन्स के साथ साथ इस बिल में युनिवर्सिटी की आड़ लेकर जो व्यवस्था को गई है उस व्यवस्था पर थोड़ा सा विचार करें तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि इसमें इतने डुप्लीकेट पॉवर्स एक दूसरे से मिले हुए हैं जिसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाकर अधिकारों के सम्बन्ध में संघर्ष होने की संभावना है । इसके क्लॉज़ ९ के अनुसार यूनिवर्सिटी को पांच तरह की ऑथोरिटीज़ होंगी :—

"(i) The Board of Control,

(ii) The Academic Council,

(iii) The Council of Deans,

(iv) The Board of Studies, and

(v) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.'

अब इन सारी ऑथोरिटीज़ के फंक्शन्स

(श्री भैरोंसिंह)

को देखें तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि इसमें सबसे ज्यादा पॉवर्स बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को मिले हैं। इसमें जो पॉवर्स हैं उसमें एकेडेमिक कॉन्सिल, दी कॉन्सिल ऑफ डीन्स, दी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इनकी तुलना में देखें तो मालूम होगा कि बाकी की सारी ऑथोरिटीज़ चाहे एकेडेमिक कौन्सिल, कौन्सिल ऑफ डीन्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इन सब के पॉवर्स को कन्फाइन करके सारे पॉवर्स बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को दिये हुए हैं। एक तरफ जब हम देखते हैं युनिवर्सिटी एक इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टीट्यूशन है जिसमें एकेडेमिक क्वालिफिकेशन को लेकर पूरी इन्डिपेन्डेन्स एक्सर्साइज़ की जा सकती है। फंक्शन्स ऑफ एकेडेमिक कौन्सिल ये हैं :—

"The Academic Council shall be incharge of the academic affairs of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder and the general Regulations, have control over, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education and examinations and for the requirements for the award of degrees and diplomas."

लेकिन यदि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के पॉवर ऑफ फंक्शन्स देखें तो लिखा है :–

"(d) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes,

(e) to invest money belonging to the University,

(f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed,

(g) to direct... ".

ऐसे जितने भी एकेडेमिक क्वेश्चन्स हैं वे भी सारे के सारे बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के नीचे आवें तो निश्चित रुप से एकेडेमिक कौन्सिल अपने फंक्शन्स के कारण जब कभी अपने पॉवर्स को एक्सर्साइज़ करना चाहेगी तो दोनों आपस में टकरावेंगे क्योंकि कन्ट्रोल बोर्ड के भी वही पॉवर्स हैं और एकेडेमिक के भी वही हैं, कौन्सिल ऑफ डीन के भी वही हैं। तो ये सारे पॉवर्स चारों ऑथोरिटीज़ में समान रूप से विभक्त हैं। तो निश्चित रुप से अधिकारों के फंक्शन के कारण इनमें आपस में आगे जाकर क्लेश होगा।

मुझे एक बात का सन्तोष है कि जनरल डिबेट में युनिवर्सिटी के ऑटोनोमस स्वरूप के बारे में, कन्ट्रोल बोर्ड के बारे में और इन बाकी के तीन एकेडेमिक कौन्सिल, कौन्सिल ऑफ डीन्स और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के बारे में चर्चा की गई थी तो उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने यह स्वीकार कर लिया था कि यह परमानेन्ट अरेन्जमेन्ट नहीं है। वे भी उसका ऑटोनोमस स्वरूप अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। पर जिस परिस्थिति में आज हम इसका निर्माण करने जा रहे हैं उसमें प्रारम्भिक अवस्था में इनीशियल स्टेज में कुछ डिफिकल्टीज़ आ सकती हैं और उन डिफिकल्टीज़ को कवर करने के लिए, उनको हल करने के लिए इस कन्ट्रोल बोर्ड की व्यवस्था की गई है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात कही, वह बात यदि सभी क्लॉज़ेज़ के बारे में, लिखित रूप में बिल में ही आ जाती, जैसा कई बिलों में आया है; हमने पंचायत समिति और जिला परिषद के कानून को इसी तरह पास किया था और इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए गवर्नमेन्ट को पॉवर्स दिये थे कि एक ऑर्डर के मातहत सरकार इसकी इम्पलीमेन्टेशन के लिए इनीशियल स्टेज में ऐसे ऑर्डर्स भी इश्यू कर सकती है जिसके पॉवर्स हमने नहीं दिये हैं। अगर इसमें भी ऐसी बात सम्मिलित होती तो बात समझ में आ सकती थी, पर इसमें बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को पॉवर देने की और पीरियड की व्यवस्था की है। इसमें यह सही है कि बाइ रोटेशन वे बदलते रहेंगे, पर फिर भी उसकी शक्ल के रूप में वह परमानेन्ट बॉडी रहेगी। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं कहा कि यह परमानेन्ट बॉडी नहीं रहेगी। हो सकता है कि आगे जाकर आप इसके पॉवर्स में कर्टेलमेंट और चेन्जेज़ कर दें। पर आज जो पॉवर्स इसके पास हैं इनको देखते हुए यह यूनिवर्सिटी नाम मात्र की होगी। नाम मात्र की इसकी आटोनोमस शक्ल होगी, इन्डिपेन्डेन्स भी इसकी नाम मात्र की रहेगी।

इसमें एकेडेमिक एजूकेशन की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए मोटे रूप से अगर कहा जावे तो कहा जा सकता है कि राजस्थान के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेन्टस, एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट और राजस्थान के एग्रीकल्चरल फार्म्स, रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स इन सब का यूनिवर्सिटी के नाम से एमेलगेमेशन मात्र किया गया है। इसको कन्ट्रोल करके इनके जरिये से जो एजूकेशन अपार्ट करने का वर्क है उसको कर पाने में इस एकेडेमिकल कौंसिल को कोई स्वतन्त्रता नहीं है। वे चाहे एग्रीकल्चर का थ्योरिटिकल साइड ले लें, प्रेक्टिकल साइड ले लें; वह केवल डीन के हाथ में है। बाकी सारा कन्ट्रोल बोर्ड के हाथ में चला गया। इन्डिपेन्डेन्स के नाम पर जो एजूकेशन सिस्टम में कोई चेन्ज़ेज लाकर राजस्थान के छात्रों को, क्लासों को कोई एजूकेशन देनी हो तो वह नहीं दे पावेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस कन्ट्रोल बोर्ड के सारे ही क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जावे और जो भी फंक्शन्स कौंसिल ऑफ डीन्स को और बोर्ड ऑफ स्टेडीज़ को तथा एकेडेमिक कौंसिल को एजूकेशन के आप देना चाहते हैं जैसे दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो उसके आधार पर इंडिपेन्डेन्स उनको देनी चाहिये; ताकि वे सही एजूकेशन इम्पार्ट कर सकें, इससे उनको कोई रोक न सके।

अब रहा सवाल यह कि आप इनीशियल स्टेज पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जिसका शायद सरकार को विश्वास है; बाकी के हाथों में दी गई तो विशेष हालतों में इनीशियल स्टेज में जो कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं हो पावेगी। तो इसके लिये मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप इन सारी ऑथोरिटीज़ को अलग अलग न रखते हुए कन्ट्रोल बोर्ड से हटा दें और जहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर के एमेलगेमेशन का सवाल आता है, बाकी के डिपार्टमेंट्स और फार्म्स का सवाल आता है तो उसमें एकेडेमिक कौंसिल के सारे

(श्री भैरोंसिंह)

मेम्बर्स आपके कन्ट्रोल आफ बोर्ड के मेम्बर हों और साथ ही कौंसिल ऑफ डीन के मेम्बर भी इस कन्ट्रोल ऑफ बोर्ड के मेम्बर हों, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेम्बर्स भी कन्ट्रोल ऑफ बोर्ड के मेम्बर हों और फिर इसकी अलग-अलग सब कमेटियों के रूप में ये अपोइन्ट हों जो अलग-अलग काम करते रहें। इससे सब काम ठीक तरह से चलेंगे और इन चारों के अधिकारों के उपयोग में कहीं क्लैश (clash) नहीं होगा।

पर जब तक आप इसी तरह अलग अलग रखेंगे तो इस समय भले ही आप डिफिकल्टी न-महसूस करते हों, पर भविष्य में जब भी ये अलग अलग बॉडीज़ अपने अपने फंक्शन्स को पूरा करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ करेंगी और अपने अपने अधिकारों का उपयोग करना शुरू करेंगी तभी इस डुप्लीकेट आथोरिटी के कारण इनमें टक्कर होगी, आपस में झगड़े होंगे और फिर परिणाम यह होगा कि वे अपने अपने अधिकार प्रयोग में लाकर जो एजूकेशन इम्पार्ट करना चाहते हों, उसे इम्पार्ट नहीं कर पावेंगी। उनके दिलों में भी फर्क आ जावेगा, उनकी रुचि हट जावेगी। तो मेरा जो सुझाव है वह उपयुक्त है; नहीं तो जब इस तरह के झगड़े होंगे और काम आपका चलेगा नहीं तो अमेन्डमेन्ट लाकर उनके अनुरूप व्यवस्था आपको तय करनी पड़ेगी। इसलिये निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी का जो सेंस है जिसको लेकर एक लेमैन भी समझ सकता है कि जितने एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स के आदमी हैं उनका उसमें वर्चस्व रहता है, पूरी स्वतन्त्रता रहती है कि वे अपने ज्ञान के द्वारा एजूकेशन सिस्टम को सुन्दर से सुन्दर और तेज से तेज रूप में मासेज़ तक ले जाएं और उनके इस काम करने के तरीकों में, उनकी आजादी में सरकार का कम से कम कन्ट्रोल रहता है; खास करके जब पोलिटिकल पार्टीज़ की सरकार होती है तो वह इन्डिपेन्डेन्स उनको ज्यादा से ज्यादा हो, इस प्रकार की चेष्टा करनी चाहिये ताकि पोलिटिकली जो हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप एक प्रकार का एजूकेशनल रेजीमेन्टेशन आता है वह न आने पावे। अगर सरकार का इसमें हस्तक्षेप रहता है तो यह निश्चित रूप से सबकी मान्यता है कि सरकार रेजीमेन्टेशन के ख्याल से कन्ट्रोल करना चाहती है। इसलिये मेरा यह सुझाव बहुत उपयुक्त है कि जितने एकेडेमिक ऑथोरिटीज़ के लोग हैं, कौंसिल ऑफ डीन्स के सदस्य हैं या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेम्बर हैं उन सब को आप बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के मेम्बर बनाइये। इसके बाद कमेटीज़ बनाइये और उनके पावर्स फंक्शन्स के अलग अलग डिस्ट्रिब्यूट करके उनके द्वारा अच्छी से अच्छी एजूकेशन वे मासेज़ में इम्पार्ट कर सकें, ऐसी स्थिति बनाइये। इनको भी बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में रखने से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के कन्ट्रोल करने में दिक्कत नहीं आवेगी और नये झगड़े भी पैदा नहीं होंगे और जो एजूकेशन देना चाहेंगे वे भी दे पावेंगे। उनके हौसले और दिल भी बढ़ेंगे। वे अच्छी से अच्छी एजूकेशन दे पावेंगे, अपना पूरा दिल और दिमाग उधर लगा सकेंगे।

एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के आदमी होते हैं उनका अपना कैरेक्टर होता है। उनको अगर आप कर्ब करने की कोशिश करेंगे एजूकेशन को अच्छी से अच्छी इम्पार्ट करने

(श्री भैरोंसिंह)

की दिशा में तो वे लाभकारी साबित होंगे। जितने प्रोफेसर्स होते हैं उनके फंक्शन्स जरूर होते हैं, पर उनके वॉलन्टरी फंक्शन्स भी होते हैं। उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी भी होती है और उनके एकेडेमिक कैरेक्टर के कारण एजूकेशनल स्टडी को वे इस तरह से पुरअप करना चाहेंगे कि सोसाइटी और समाज उससे लाभान्वित ही होगा। पर उनमें अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कर्व करना चाहेंगे, उनके कैरेक्टर को कर्व करना चाहेंगे अपने आउट लुक के अनुसार तो उनका वह वॉलन्टरी एटीच्यूड मिट जावेगा और मिटकर उनका ऑफिशियल एटीच्यूड मात्र रह जायेगा और इस तरह से अगर एजूकेशनल साइड एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के द्वारा कर्व हो जाती है तो सोसाइटी को, समाज को उनसे ज्ञान का वह लाभ जो वे दिल से अपने एकेडेमिक कैरेक्टर के कारण अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को महसूस करके और वॉलन्टरी फंक्शन के कारण दे सकते हैं, नहीं मिल सकेगा। उस ज्ञान के लाभ से हम वंचित रह जावेंगे।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस सारे बिल में इस एकेडेमिक कैरेक्टर के उसके साइड को कमजोर करके केवल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को बनाने की चेष्टा की गई है। एकेडेमिक फंक्शन कुछ नहीं रह पाया है। इससे इस यूनिवर्सिटी के ऑटोनोमस रूप पर भी असर पड़ा है। कन्ट्रोल बोर्ड के डाइरेक्शन बोर्ड ऑफ डीन्स और कौन्सिल ऑफ स्टडीज़ को मानने होंगे। इससे यह हुआ कि जैसे आपके यहां डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन होता है या सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी या मिनिस्टर जैसा आदेश देता है, जैसी पॉलिसी बनाता है, जिस प्रकार की टैक्स्ट बुक्स प्रेस्काइब करते हैं, जैसा एजूकेशनल ढांचा ये लोग बनाते हैं उसी प्रकार का ढांचा इस यूनिवर्सिटी में भी उनके द्वारा ही बनाया हुआ देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी में भी अगर आज यही चीज देखने को मिलती है तो फिर आज के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रूप में कोई अन्तर नहीं रह जाता। यूनिवर्सिटी की जो बेसिक चीज है ऑटोनोमसपन, उसको अगर आप इग्नोर करके चले तो कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप बनावें कोई लाभ होने का नहीं है। आपके एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चाहे डिग्रियों का फर्क हो, पर बाकी एजूकेशन के नाम से जो बात हम जनता के दिमाग में पैदा करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी होने से उच्च स्तर होगा उस एजूकेशन का, वह नहीं कर पावेंगे। इसलिये इन तीन सब क्लॉज़ेज के सम्बन्ध में मेरा यह अमेन्डमेन्ट और सुझाव है।

यह सही है कि रेडिली अमेन्डमेन्ट मेरा नहीं है। मैं कहूँगा कि इसे रीड्राफ्ट किया जावे। क्लॉज़ कम्प्लीकेटेड न हो, क्लीयर कट हो और सब मिल कर इस एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडेमिक साइड को कन्ट्रोल कर सकें। इस तरह से इसका ऐसा ढांचा बना कर और फिर सब-कमेटियां बना कर या दूसरी कमेटियां इसके अन्तर्गत बनाना चाहें तो वे बनाएं, यह ज्यादा अच्छा होगा।

इस मौजूदा स्थिति में मैं समझता हूं सारी यूनिवर्सिटी बिल के निगेशन साइड हमें देखने को मिलते हैं तो वे सैक्शन १९ में मिलते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के नाम को खत्म किया गया है और उसके लाभ को समाप्त

(श्री भैरोंसिंह)

किया गया है और उसके ऑटोनोमस कैरेक्टर को कर्ब करने की चेष्टा की गई है। ऐसी हालत में इस सैक्शन १९ को डिलीट करने के बारे में मैं निवेदन करते हुए यह सुझाव देना चाहता हूँ कि सबको मिला कर आप इस बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में रख दें ताकि आगे जाकर सबके पॉवर्स में झगड़े पैदा न हों और उस सूरत में फिर इस यूनिवर्सिटी पर बुरा असर न पड़े।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज़ १९ पर दो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि इस क्लॉज़ को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाये और इसे वापिस री-ड्राफ्ट किया जाये। जो क्लॉज़ एकेडेमिक कौन्सिल और कौन्सिल ऑफ डीन्स और जो दूसरा एक और क्लॉज़ है उसके बारे में कहा कि इनको री-ड्राफ्ट किया जाये। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने थोड़ा पहले भी निवेदन किया था कि यह हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का निर्माण इस देश में अपनी तरह की पहली ही यूनिवर्सिटी का निर्माण है। इसलिए यह नई है और जो यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसके फंक्शन्स जो दूसरी एजूकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। यह मुख्यत: हमारे देश में खेती बाड़ी की शिक्षा, उसके एजूकेशन की एक्सटेन्शन सर्विस, उसके रिसर्च आदि इन सारी चीजों का समन्वय स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन हालत कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न की जाये, इन उद्देश्यों को लेकर यह यूनिवर्सिटी नई ही स्थापित की जा रही है और इसको कायम करने के सिलसिले में और इसका विकास करने के सिलसिले में कन्ट्रोल बोर्ड की व्यवस्था जो इस एक्ट में की गई है वह अपनी तरह की एक नई व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी जो दूसरी एजूकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं है। वहां एक सीनेट होती है और उसका निर्माण दूसरे तरीके से होता है और वह सारा का सारा काम चलाती है। लेकिन यहां पर जैसा आप स्वयं महसूस करेंगे कि हमारे यहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट है, एनीमल हस्बेन्डरी का डिपार्टमेन्ट है और उसके बाद में सहकारिता का विभाग है। इस एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी के प्रोडक्शन को सहकारिता के आधार पर इस देश में हम विकसित करना चाहते हैं और इन कामों को हमारी स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स हैं वे कर रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी जो हम कायम करने जा रहे हैं उसकी मार्फत यह करना चाहते हैं कि हमारी जो एजूकेशन, एग्रीकल्चर के बारे में, कॉलेजेज़ में होती है वह किताबों की एजूकेशन ही न रहे, बल्कि वहां पर यूनिवर्सिटी में फण्डामेन्टल रिसर्च को जाये: उसको एप्लाइड रिसर्च के तरीके पर परिणत किया जाये और उसके रिज़ल्ट्स ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों के पास पहुंचाये जायें।

तो ये डिपार्टमेन्ट्स अलग अलग जो हमारी स्टेट्स में काम कर रहे हैं उनका प्रोपर समन्वय हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हो इनीशियल स्टेजेज़ में और फिर यूनिवर्सिटी के फंक्शन्स क्या क्या हैं, उनको ठीक तरह से टाइम–टू–टाइम जैसे जैसे समय निकलता जाये सारी चीजों को बिल्ड–अप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करें और फिर डिपार्टमेन्ट का क्या फंक्शन रह जाये उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें हमारे देश में कायम करनी है। ये सारी की सारी चीजें अमेरिका में बनी हुई हैं कि यूनिवर्सिटी क्या काम करेगी और जो तीनों के तीनों डिपार्टमेन्ट्स काम करते हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ऐसा डिपार्टमेन्ट है जो कि वहां पर एक एनफोर्समेन्ट की तरह से है। मार्केट में रेगुलेटेड काम करना और उनको चलाना; वेट्स एण्ड मैज़र्स आदि जो एनफोर्समेन्ट के काम हैं वहां पर विभाग इस तरह के कामों को करता है। लेकिन हमारे यहां विभाग रिसर्च का काम करता है और एप्लाइड रिसर्च का भी काम करता है, एक्सटेन्शन का काम भी करता है और शिक्षा का काम डिपार्टमेन्ट नहीं करता। तो शिक्षा और इन सारी चीजों में एक तरह का गैप है उसका समन्वय यूनिवर्सिटी की मार्फत करना है। तो फिर इस तरह की व्यवस्था है कि शुरू शुरू में इन चीजों का समन्वय हो सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बोर्ड का शुरू में गठन करना जरूरी था ताकि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स के बारे में किसी प्रकार के क्लेश (Clesh) शुरू की स्टेज में न हो सकें और उनका वर्क क्या है, उसको ठीक तरह से डिफाइन किया जा सके। इसलिए शुरू में यह व्यवस्था करना जरूरी था। इसलिए बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल नाम की चीज़ क्लॉज़ १९ के नीचे बनाई गई। इस लिए जो फंक्शन्स के लिए कहा गया कि कौंसिल ऑफ डीन्स और एकेडेमिक कौंसिल ये सारे फंक्शन्स हैं वे यूनिवर्सिटी के अन्दर डाइरेक्टली जो एकेडेमिक लोग हैं वे अपने कामों को इन कौंसिल्स के मारफत करें और डाइरेक्टली उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी वाइस चान्सलर के लिए है और वे भी इसके मेम्बर हैं। वे एक्स-आफिशियो मेम्बर की तरह भी बैठ सकेंगे और बोर्ड की सारी चीजों को समझेंगे और कौन्सिल ऑफ डीन्स के कई तरह के निर्णय होते हैं उनको भी वे बोर्ड के सामने रखेंगे और एक प्रोपर कोऑर्डिनेशन-लिंक की तरह से काम करेंगे। तो ऐसी सूरत में एकेडेमिक कौन्सिल और कौन्सिल ऑफ डीन्स के अलग अलग फंक्शन्स हैं और काम करने के लिए सारे के सारे लोगों को मिला कर बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल बना दिया जाये तो वह असेम्बली की सी चीज बन जायेगी और फिर इतनी बड़ी संख्या के लिए निर्णय लेना भी मुश्किल हो जायेगा। इसलिए उन्हीं कौन्सिल्स को बोर्ड का रूप दे दें तो यह ठीक तरह की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इसलिए उन सब का बोर्ड बनाना और इस क्लॉज़ को बिल्कुल विलोपित करना मैं समझता हूं कि उचित व्यवस्था इस स्टेज पर हम नहीं कह सकते। इसलिए उसको मानने में मैं असमर्थ हूँ। उसके बाद में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है इस क्लॉज़ में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल जैसी चीज बनी है उसमें पहले तो वे मेम्बर्स होंगे जो एक्स-ऑफिशियो सरकारी कर्मचारी हैं। फाइनेन्स सेक्रेटरी, डेवलपमेन्ट कमीशनर, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी और जितने भी पंचायत के ऑफिसर्स को रखा है सब का काम यही है कि गांवों के क्षेत्र में कृषि और पशु-पालन विकास संबंधी कामों को पंचायती राज्य के कॉन्स्टी-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ट्यूशन के मारफत सहकारिता के आधार पर इन सारी चीजों के विकास का काम चल रहा है और इसमें फाइनेन्स को इसलिए जोड़ा है कि शुरू शुरू में फाइनेन्स की कई बातें यूनिवर्सिटी के गठन के बारे में उत्पन्न होंगी। तो सारे ऑफिसर्स को बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में एक्स-ऑफिशियो मेम्बर रखना निहायत जरूरी है ताकि हमें यूनिवर्सिटी के गठन में किसी प्रकार की दिक्कतें किसी समय में पैदा न हों और लम्बे लम्बे रेफरेंसेज़ में कागज और चिट्टियों में पड़ कर मामले को लिंगर-ऑन नहीं किया जाये। इसलिये इन ऑफिसर्स को बोर्ड में रखना जरूरी था।

उसके बाद में रिप्रेज़ेन्टेटिव मेम्बर्स का सबक्लॉज (३) है उसके बारे में अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि सबक्लॉज़ (२) के अन्दर एक रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के बजाय ५ रखे जायें। माननीय सभापति महोदय वह तो ५ के लिए कहते हैं, अगर १० भी इसमें रख दिये जायें तो कोई बात नहीं; पर उसके लिए कोई औचित्य तो बतायें ? तो जैसा मैंने कहा कि हमें बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की इतनी लम्बी चौड़ी संख्या नहीं बनानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर स्थान दें। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट का एक प्रतिनिधि जो अपनी तरफ से बात कहना चाहता है तो वह एक ही काफी है। आम तौर से ऐसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के फैसले बहुत ज्यादा चर्चा में पड़ कर होने लगेंगे तो मेरे ख्याल से वे ठीक तरह से फैसले नहीं होंगे और ज्यादा समय भी लगेगा और ५ मेम्बर्स बढ़ाने से खर्चा भी बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सी बातों पर विचार किया था और जैसा स्वयं ने कहा कि इस बोर्ड को किस तरह से बनाया जा सकता है उसका सिलेक्ट कमेटी ने भी ध्यान रखा है और जो वाजिब बात थी उसको हमने स्वीकार किया है और वापिस री-ड्राफ्ट होकर यह क्लॉज़ आया है और उनका कहना कि ५ रिप्रेज़ेन्टेटिव रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के रखे जायें इसको मानने में मैं असमर्थ हूं।

उसके बाद में सबक्लॉज़ (४) में नोमीनेटेड मेम्बर्स की तारीफ में आने वाले खास तौर से पंचायत समिति के सदस्य है और सहकारी संस्थाओं से आने वाले सदस्य हैं उनके लिए कहा गया कि इनको नोमीनेटेड क्लॉज़ से निकाल कर क्लॉज़ (३) में ले जाया जाये और उनको इलेक्टेड रखा जाये। पहली बात तो माननीय सभापति महोदय, नोमीनेटेड क्लॉज़ रखने के कारण उनके इलेक्शन का तरीका काफी डिफिकल्ट होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक प्रतिनिधि के बारे में कहा है कि अपैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे यहां करीब १० हैं, वे एक एक प्रतिनिधि का नाम दे दें और वह इलेक्टोरल कॉलेज में बैठ कर अपने नाम सरकार के सामने पेश करदें ताकि जिसको सरकार उचित समझे एक को नोमीनेट कर दे। इस प्रकार से जिला परिषद् की तादाद हमारे यहां २६ है और वे जिला परिषदें जिस प्रकार से इलेक्शन चाहती हैं वैसे करेंगी तो बड़ी कॉम्प्लीकेटेड और कोस्टली व्यवस्था बनाना जिससे कि इलेशन में बहुत ज्यादा खर्चा लग जाये और समय भी बहुत ज्यादा लग जाय उन सारी चीजों को अवोइड करने के लिए हमने यह कहा है कि जिला परिषदें राजस्थान में हैं वे भी दो आदमियों का पेनल तैयार करके हमको दे दें।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

२६ जिला परिषदें मिल कर दो आदमियों का पेनल दे दें, हम उनमें से एक को नोमिटेड कर देंगे । इसलिये सिम्प्लीफाई करने के लिये प्रतिनिधित्व भी हो और बहुत बड़ी संस्था को चलाने में दिक्कत भी नहीं पड़े, इसको ध्यान में रख कर हमने सहकारिता का प्रतिनिधित्व माना है, जिला परिषदों का प्रतिनिधित्व माना है । उनका नोमिनेशन भी न हो और इलेक्शन के चक्कर और खर्चे से बच जायं इसलिये उनका प्रतिनिधित्व क्लाज़ ४ के नीचे रखा है । ऐसी सूरत में वहां से हटा कर इलेक्टेड का क्लॉज़ ३ में जोड़ दिया जाय तो वह कोस्टली होगा । इसलिये इसे मैं मन्जूर करने में असमर्थ हूं ।

एक अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य भीलवाड़ा से आने वालों ने रखा है कि वीमेन के दो प्रतिनिधि हों । हमने एक ही प्रतिनिधि होम साइन्स का एक वूमेन का रखा है । उन्होंने दो के लिये कहा । एक तो होम साइन्स जो टेक ओवर की जा रही है उसका प्रतिनिधि हो और दूसरा ऑल इण्डिया होम साइन्स का, जो एसोसियेशन है उनका रखा जाय; तो उन्होंने इस प्रकार के दो प्रतिनिधि बताये हैं; एक यहां का और दूसरा ऑल इण्डिया का। हमने इस पर विचार किया है । हम बोर्ड को लम्बा-चौड़ा नहीं करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि २ रखें जायं, मैं इसको मानने में असमर्थ हूं । जो प्रतिनिधित्व और समन्वय इस बोर्ड में किया है उसमें परिवर्तन करने की मेरी इस समय तैयारी नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट रखे हैं वे उन्हें वापिस लेंगे ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : What do you say about principals and teachers ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कॉलेज के प्रिन्सिपल्स, जितने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज़ हैं उनमें से ले लिया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि कॉलेजेज़ का इससे सम्बन्ध नहीं है, उनको लेना नहीं चाहिये । टीचर्स का भी सम्बन्ध नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में रखने वाले टीचर्स हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी कौन्सिल बना दी है इसलिये उनका प्रतिनिधित्व रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Animal Husbandry College or principal of Seryculture College...

श्री नाथूराम मिर्धा : वे सब डीन्स हैं वे उनमें काम करेंगे, एकेडेमिक कौन्सिल में काम करेंगे । बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में एक वाइस चान्सलर साहब को निमन्त्रण दिया है, वे बैठेंगे ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक्ट में इसका भी प्रोविज़न नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्लॉज़ तो मुझे ठीक से याद नहीं है, बाद में बता दूंगा, लेकिन प्रोविज़न है । वाइस चान्सलर जरूर बैठेंगे । दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा । इसलिए प्रिन्सिपल्स को लेने की जरूरत नहीं है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

टीचर्स को भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मेरा सुझाव था कि ऑल इन्डिया वीमेन्स एसोसियेशन के स्थान पर महिला विद्यालय का प्रतिनिधि लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह महिला विद्यालय कहां का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उदयपुर का है। होम सांइन्स का कॉलेज है जिसको हम टेक-ओवर कर रहे हैं, उसमें से लिया जाय। हम ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। औरतों का एक ही प्रतिनिधि लेना चाहते हैं जो होम साइन्स की एक्सपर्ट हो।

ऐसी सूरत में हम बोर्ड को कॉम्प्लीकेटेड लार्ज और ज्यादा एक्सपेन्सिव नहीं बना कर छोटी कॉम्पेक्ट बोडी बनाना चाहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रोब्लम्स को डील-विद कर सके। ऐसा रखा है। कानून में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये शुरूआत की फेजेज़ हैं; जैसी तस्वीर आगे चल कर देखना चाहते हैं वैसी नहीं है। इसलिये लिख कर सारी बातें आवें, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट्स मैंने रखे हैं उनके आधार पर मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापिस लेंगे और इस क्लॉज़ को स्वीकार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I Press for vote.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने क्लॉज़ १६ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीद) : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री गिरधारीलाल को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई

श्री गिरधारीलाल व्यास मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : भैरोंसिंहजी साहब, वह धारा १२ (३) है, जिसमें वाइस चान्सलर बैठेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज २० से ४१

(श्री सभापति)

(विराम)

यह प्रश्न है कि क्लॉज़ेज २० से ४१ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २० से ४१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्लॉज़ १ में मेरा अमेण्डमेन्ट है :

The long title be replaced as follows:-

"A Bill to establist and incorporate an Agriculture University in the state of Rajasthan for the development of Agriculture."

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूं, क्योंकि जो 'रूरल' शब्द क्लॉज़ में लिखा था उसको हटा दिया है और आम राजस्थान की बहतरी के लिये युनिवर्सिटी बने, इस दृष्टिकोण से बन रही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : स्वीकृति की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट कमेटी ने स्वयं ने कर दिया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सिलेक्ट कमेटी ने नहीं किया है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : जब तक मोशन मूव नहीं हुआ है he should move first.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने मंजूर कर लिया है तो मूव किया गया समझना चाहिये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम संशोधित रूप से विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खंड १, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल, १९६२, एज़ अमेन्डेड, पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ संशोधित रूप से, पारित किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : संशोधित रूप कौनसा है ?

श्री मोतीलाल : अभी अभी संशोधन स्वीकार किया है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिल, १९६२, संशोधित रूप में, पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर १ बज कर ३८ मिनट पर सदन की कार्यवाही दिनांक ९ मई, १९६२ के म० पू० ८.० बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

——

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, ८ मई, १९६२)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

छात्र–वृत्ति ।

पुरुषार्थी किसान समिति से सरकार का समझौता ।

आमेर तहसील के कृषकों को दी जाने वाली रिफन्ड्स ।

हिन्दी के विकास के लिए सरकारी स्तर पर प्रयत्न ।

विकास खण्ड कार्यालय, गोविन्दगढ़ का भवन ।

सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर व महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर ।

तहसील आसीन्द के तालाब ।

कामां पहाड़ी जल-मग्न क्षेत्र के वासियों की सहायता ।

पुरुषार्थियों के लिये क्वार्टर्स ।

आरजी काश्त के लिये भूमि का अलॉटमेंट ।

नगरपालिकाओं के प्रशासकों की नियुक्ति ।

नाली बाढ़ (घग्घर नदी) को रोकने के लिये सरकारी योजना ।

६५५० मेव बोर्डिंग हाउस, अलवर ।

गंगानगर में इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम ।

जोधपुर में मेडिकल कॉलेज ।

भाखरा क्षेत्र में जंगलात ।

हाई स्कूल, निवाई को डिग्री कॉलेज बनाने की योजना ।

आहोर तहसील में लघु उद्योग के लिए ऋण ।

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर ।

साबी नदी पर बांध ।

निवाई में गर्ल्स मिडिल स्कूल ।

मजदूरों की बकाया ।

दौसा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा प्लॉट्स का नीलाम ।

सगदरा बांध का सर्वे ।

युवक कल्याण प्रोग्राम ।

औद्योगिक बस्ती में जमीन का अलॉटमेन्ट ।

गंगानगर म्युनिसिपल कौंसिल का सुझाव ।

शेरों को मारने पर पाबन्दी ।

कोयले का वितरण ।

अजमेर जिले का मिनरल सर्वे ।

कार्यादह नाले से पानी की व्यवस्था ।

अलेक्ज़ेन्ड्रा हॉस्पिटल, अलवर ।

झालाटाला बांध का सर्वे

गंगानगर जिले में टी० बी० क्लिनिक का अभाव ।

रूपारेल नदी पर बांध की योजना ।

प्राइमरी स्कूल का मिडल स्कूल में परिवर्तन ।

अलवर में गर्ल्स कॉलेज व लॉ और एम. ए. क्लासेज ।

चम्बलकमान्डेडक्षेत्र में कृषितभूमि ।

उदयपुर जिले के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले ।

स्थगित प्रश्नोत्तर

किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में सहूलियत ।

हरिजनों को जमीन-पाटनबाटी ।

बारां में मंडी का निर्माण ।

जयसमुन्द्र तालाब से नहरों की निकासी ।

२. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ६६१०

श्री मानिकचन्द सुराना, (कोलायत ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बीकानेर जिले के कोलायत तहसील क्षेत्र के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों में काम करनेवाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर मंत्री, अकाल सहायता विभाग का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रीमती कमला बेनीवाल, उप-मन्त्रिणी,अकाल सहायता विभाग ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

३. विधाई कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कृषि विश्व-विद्यालय विधेयक, १९६२ ६६१३

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के मूल प्रस्ताव एवं विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारण के संशोधन प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री अमरसिंह (दूदू)

(२) श्री गिरधारीलाल व्यास

(३) श्री मानिकचन्द सुराणा

(४) श्री मथुरेशबिहारी

(५) श्री जयकृष्ण

(६) श्री भैरोंसिंह

(७) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(८) श्री मोहनलाल सारस्वत

(९) श्री विजयसिंह झाला

(१०) श्री केदारनाथ

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री ने बहस का उत्तर दिया। तत्पश्चात् विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारण का संशोधन-प्रस्ताव अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ से ४१-स्वीकार किये गये।

खण्ड १— आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

तत्पश्चात् सदन की बैठक १ बज कर ३८ मिनट पर बुधवार, दिनांक ९ मई, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक ९ मई, १९६२ की कार्य-सूची

(क) पुरः स्थापित विधेयक :

(१) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६२

(ख) कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

(ग) जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक १९६२, विचार-विमर्श।

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७४ का उत्तर देखिये]

राजस्थान राज्य भाषा अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत लिए निर्णयों की सूची :—

१. राजस्थान की राज्यभाषा हिन्दी होगी।

२. शासन के अधीन सभी विभागीय अधिकारियों एवं कार्यालयों के नाम तथा उनके पद हिन्दी में परिवर्तित कर दिये जांय।

३. (१) विधान सभा में बिलों को प्रस्तुत किया जाना। (२) विधान सभा द्वारा विधेयक को पारित करना। (३) भारतीय संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत प्रसारित होने वाले अधिनियम। (४) भारतीय संविधान के अन्तर्गत राजकीय सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय अथवा राजकीय कानून द्वारा प्रसारित आज्ञायें अथवा नियम।	(यह कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किये जायेंगे। अंग्रेजी में किये जाने पर राज्य शीघ्र ही हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करेगा।

४. शासन के अधीन समस्त अंग्रेजी शीघ्र-लेखकों एवं मुद्र-लेखकों को हिन्दी शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन में प्रशिक्षित किया जाय।

५. नियुक्ति विभाग की आज्ञायें जो राजपत्र में प्रकाशित हों वे देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी में हों।

६. समस्त विभागीय प्रमुखों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश व स्थानान्तर से सम्बन्धित आज्ञायें जो राजपत्र में प्रकाशित हों वे देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी में होंगी।

७. भविष्य में राज्य के समस्त कार्यों में आने वाले अंकों का स्वरुप हिन्दी में कार्य होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय रूप वाले भारतीय अंक (इन्टर नेशनल फार्म ऑफ इन्डियन न्युमरल्स) होगा।

८. राज्य कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी (कन्डक्ट रुल्स) राजस्थान सेवा सम्बन्धी (आर. एस. आर.) प्रशासन सम्बन्धी-सचिवालय पुस्तिका (सेक्रेटेरियट मैन्युवल, राजस्थान क्लासीफिकेशन एण्ड कन्ट्रोल रुल्स) हिसाब किताब सम्बन्धी-जी. एफ. एण्ड ए. रुल्स, टी. ए. रुल्स, बजट मैन्युवल, ट्रेज़री रुल्स, राजस्थान पे स्केल रूल्स-इन सब पुस्तिकाओं का सचिवालय की अनुवाद शाखा द्वारा हिन्दी अनुवाद किया जाये।

९. अफसरों व कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है हिन्दी का ज्ञान कराने के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया जाये ।

१०. अहिन्दी भाषी कर्मचारी एवं अफसर दिनांक ३१-१२-६१ तक मैट्रिक कक्षा के स्तर की हिन्दी परीक्षा पास करेंगे और ऐसा कर लेने पर उन्हें एक वेतन वृद्धि (एडवान्स इन्क्रीमेन्ट) दी जायगी और ऐसा न करने पर उनकी आयन्दा तरक्की (नार्मल ग्रेड इन्क्री-मेन्ट) परीक्षा पास करने तक रुकी रहेगी ।

दिनांक ३१-१२-६१ को प्रत्येक राजपत्रित (गजटेड) एवं अराजपत्रित (नॉन गजटेड) कर्मचारी अपने अपने विभागीय अध्यक्षों से प्रमाणित करवा कर एक ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनको मैट्रिक कक्षा के स्तर का हिन्दी का ज्ञान है । असाधारण कारणों से कुछ गैर हिन्दी भाषा-भाषी अफसर एवं कर्मचारी यदि दिनांक ३१-१२-६१ तक हिन्दी न सीख पायेंगे तो उनकी तरक्की (नोरमल इन्क्रीमेन्ट) न रोकने की आज्ञा सरकार दे सकती है ।

११. सरकारी नियुक्तियों में हिन्दी की मान्य परीक्षाओं को भी (मैट्रिक व बी. ए. जैसी योग्यताओं के समान) नियुक्ति के लिए मान्य माना जायेगा ।

१२. समस्त नवीन कर्मचारियों के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ कर, हिन्दी का ज्ञान होना जरुरी होगा । नियुक्ति बाद परिविधि काल (प्रोबेशन पीरियड) के भीतर हिन्दी में मैट्रिक कक्षा के स्तर की परीक्षा प्रत्येक कर्मचारी को पास करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर उसे नौकरी से अलग किया जा सकता है ।

यह आदेश डेपुटेशन पर आये हुए अफसरों व कर्मचारियों पर तथा आई. ए. एस., आई. पी. एस. केडर के अफसरों पर, उनकी सेवाओं की शर्तें भिन्न होने के कारण, लागू नहीं होंगे किन्तु डेपुटेशन पर आये हुए आई. ए. एस. व आई. पी.. एस. के अफसरों को छोड़कर इन सेवाओं के अफसर जो राजस्थान केडर पर हैं उन्हें विभागीय परीक्षा के साथ साथ हिन्दी की जानकारी के लिए हिन्दी में एक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

१३. नये व पुराने कर्मचारीगण जिन्होंने यदि मैट्रिक स्टेन्डर्ड की परीक्षा के समकक्ष कोई हिन्दी परीक्षा भी पास कर रखी हो तो उनके पद एवं वेतन वृद्धि नहीं रोकी जांय ।

१४. (क) ३१-१२-६१ तक अहिन्दी भाषी प्रान्तों के अंग्रेजी शीघ्र-लेखकों को हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन में परीक्षा पास कर लेने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जांय ।

(ख) ३१-१२-६१ तक अहिन्दी भाषी प्रान्तों के अंग्रेजी मुद्रलेखकों को हिन्दी मुद्र-लेखन की परीक्षा पास कर लेने पर एक वेतन वृद्धि दी जाय ।

(ग) ३१-१२-६१ तक हिन्दी भाषी प्रान्तों के शीघ्रलेखकों को हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन को एवं मुद्रलेखकों को हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा पास करने पर एक अग्रिम वेतन (एडवान्स इन्क्रीमेन्ट) दी जाय।

(हिन्दी भाषी प्रान्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश माने गये हैं ।

१५. भविष्य में जितने अंग्रेजी शीघ्रलेखक नियुक्त किये जांय उन्हें हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन तथा जितने अंग्रेजी मुद्रलेखक नियुक्त किये जांय उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन जानना जरूरी होगा ।

१६. सभी विभागों में आवश्यकतानुसार हिन्दी मुद्रण यंत्र उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था सामान्य प्रशासन (ख) विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र करदी जायगी ।

१७. भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई प्रशासन शब्दावलियां तथा उत्तर प्रदेश में प्रचलित मार्गदर्शिका प्रचुर संख्या में प्राप्त कर सामान्य प्रशासन (ख) विभाग द्वारा सभी विभागों में उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कर दी जायगी । सभी विभाग अपनी अपनी आवश्यकता सामान्य प्रशासन (ख) विभाग को तत्काल भेज दें । सामान्य प्रशासन (ख) विभाग उत्तर प्रदेश में प्रचलित मार्गदर्शिका की अनुपूर्ति के लिए एक और अनुपूरक मार्गदर्शिका तैयार करवाने की कार्यवाही कर रहा है ।

१८. भविष्य में सचिवालय तथा विभागीय अध्यक्षों के स्तर से परिपत्र, विज्ञप्तियां, आज्ञायें, विज्ञापन, संशोधन एवं शुद्धिपत्र यथासंभव हिन्दी में ही प्रसारित किये जायं । यदि कोई पत्र भारत सरकार व अन्य राज्यों से अंग्रेजी में ही प्राप्त हो तो उसकी प्रतियां बिना अनुवाद किये अंग्रेजी में ही भेज दी जायं । किन्तु उनका उत्तर यथासम्भव हिन्दी में ही आना चाहिए । इस कार्य के लिए अलग से अनुवादकर्ताओं की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है ।

१९. समस्त विभागों में फाइलों में टिप्पणी (नोटिंग) हिन्दी में लिखी जांय ।

२०. भविष्य में राज्य का कोई विभाग किसी गैर सरकारी (व्यक्ति) को इस राज्य में अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखेगा । अंग्रेजी का पत्र केवल उसी दशा में लिखा जावेगा जब कि कोई पत्र कानूनी ढंग का होना आवश्यक होगा ।

२१. जिस आदेश का पालन ब्लॉक स्तर के नीचे के अफसरों व कर्मचारियों द्वारा करना होगा वे सब आदेश ब्लॉक स्तर के नीचे हिन्दी में ही जायेंगे ।

२२. अन्य राज्यों से, जहां तक हो सके, पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही करने के लिए ठहराव की व्यवस्था सामान्य प्रशासन (ख) विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र की जानी है ।

२३. निम्नलिखित विभागों में तत्काल से समस्त राजकाज हिन्दी में होगा :

१. राजस्व विभाग (तहसील से सचिवालय स्तर तक)

२. राजस्व मंडल (फैसलों को छोड़ कर)

३. देवस्थान

४. आयुर्वेद

५. पुलिस विभाग

६. स्कूल शिक्षा

७. पंचायतें

८. स्वायत्त शासन

९. सामान्य प्रशासन (क) एवं (ख) विभाग

१०. समाज कल्याण

११. नियुक्ति (ख–१) व (ख–२)

१२. मंत्रि-मंडल ज्ञापन

१३. मंत्रि मंडल निर्णय

१४. कारा–महाधिपति (इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रिज़न्स)

१५. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

१६. सहकारी विभाग।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ का उत्तर देखिये)

१. पिछले पांच वर्षों में सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर व महात्मागांधी अस्पताल, जोधपुर पर एडीशन, ऑलट्रेशन व एक्सट्रेशन पर निम्नलिखित खर्चा हुआ :—

वर्ष	सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर,	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर
१९५७-५८	१,५१,९६२.६४	३६,००६.४६
१९५८-५६	१,६१,५०७.०८	८३,०५६.६०
१९५६-६०	५,५१,३४७.०४	१,०३,४२०.६६
१९६०-६१	३,२६,१९५.३३	७६,१७६.१७
१९६१-६२	५,५५,२३१.६०	४३,७५७.२८
	१७,४६,२५१.२६	३,४५,४२२.६३

खंड २

वर्ष	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर इनडोर मरीज़	आउटडोर	औसतन सालाना खर्च प्रति मरीज इनडोर	आउटडोर
१९५७-५८	१५,७८५	१,७८,१९५	८१.१७ न. पै.	१.८० न. पै.
१९५८-५६	१४,३०२	१,८१,१००	१०३.१५ ,,	२.०४ ,,
१९५६-६०	१५,०८५	१,८४,११६	१०१.८६ ,,	२.०८ ,,
१९६०-६१	१५,२७२	१,६६,१७१	१०२.२३ ,,	१.६६ ,,
१९६१-६२	१५,३४५	२,१०,४०४	१२६.८८ ,,	२.५५ ,,
	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर			
१९५७-५८	१०,४३८	२,५६,३७१	६५.८० न. पै.	०.६७ न. पै.
१९५८-५६	११,०४४	२,५६,०८४	६४.१७ ,,	१.०१ ,,
१९५६-६०	११,६०४	२,७०,७२७	८६.०४ ,,	०.६८ ,,
१९६०-६१	११,७७६	२,५५,०६६	६१.७४ ,,	१.०६ ,,
१९६१-६२	१३,१००	२,६०,३६३	६१.६० ,,	१.११ ,,

परिशिष्ट ३

(प्रश्न समय में न लिये जा सकनेवाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

हाई स्कूल, निवाई को डिग्री कॉलेज बनाने की योजना

५१७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हाई स्कूल, निवाई को डिग्री कॉलेज बनाने के बारे में क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार उक्त स्कूल को इस वर्ष ही हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जिले की अन्य हाई स्कूलें हायर सेकन्डरी बना दी गई हैं ? अगर हां, तो इस स्कूल को अब तक परिवर्तित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(४) जिला टोंक की किन किन तहसीलों में कितने कितने हायर सेकन्डरी स्कूल हैं ? अलग २ बताने की कृपा करें ।

उत्तर

१. जी नहीं, क्योंकि निवाई के पास राजकीय कॉलेज, टोंक है ।

२. इस वर्ष ६२-६३ में केवल डिवीज़नल हैडक्वार्टर व जिला हैडक्वार्टर पर ही उच्च शालाओं को उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की योजना है ।

(३) जिला टोंक में निम्नलिखित उच्चशालायें उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित की गई थी :—

१. बहुद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला, टोंक ।

२. ,, ,, ,, देवली ।

हाई स्कूल, निवाई डिवीज़नल या जिला हैडक्वार्टर पर न होने के कारण से अपग्रेड नहीं हो सकी ।

४. राज्यकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला टोंक :

राजकीय बहुद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला, देवली ।

राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला, दूनी ।

,, ,, ,, ,, लाम्बा हरिसिंह ।

,, ,, ,, ,, लावा ।

,, ,, ,, ,, डिग्गी ।

कनिष्ट ,, ,, ,, ,, अलीगढ़ ।

इसके अतिरिक्त एक सहायता प्राप्त बहुद्देशीय माध्यमिक शाला, बनस्थली विद्यापीठ पंचायत समिति निवाई के अंतर्गत है ।

प्रश्न

आहोर तहसील में लघु उद्योग के लिये ऋण

५१८. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आहोर तहसील में किन किन व्यक्तियों को पिछले चार साल में १० हजार से अधिक की धनराशि लघु उद्योग लगाने के लिये ऋण के रूप में दी गई है ?

(२) क्या उक्त धनराशि का लघु उद्योग लगाने में उपयोग किया गया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनसे अब शीघ्र ही ऋण वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) पिछले चार साल में आहोर तहसील में लघु उद्योग लगाने के लिये दस हजार से अधिक ऋण निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :

(१) श्री माधोसिंह, भैंसवाड़ा, वूल कार्डिंग व प्रेसिंग इण्डस्ट्री लगाने के लिये रु० १५,०००) ।

(२) श्री दलवीरसिंह भैंसवाड़ा कृषि के औजार बनाने हेतु रु० १५,०००) ।

(२) जी नहीं ।

(३) इनके ऋण का सही उपयोग न करने पर समूची रकम की वसूली पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत शुरू की जा रही है।

प्रश्न

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर

५१६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका, भरतपुर ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा है कि सिमको वैगन फैक्ट्री को नगरपालिका की सीमा में ले लिया जाये ?

(२) अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न

सावी नदी पर बांध

५२०. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की साबी नदी पर बांध बांधने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार इस बांध को तीसरी योजना में बांधना चाहती है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

प्रश्न

निवाई में गर्ल्स मिडल स्कूल

५२१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की निवाई में गर्ल्स मिडल स्कूल कायम करने की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि गर्ल्स मिडल स्कूल के लिये भवन बनवाने हेतु सरकार ने जमीन भी अप्राप्त कर ली है ?

(३) क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण-कार्य शीघ्र ही चालू करनेवाली है ? यदि हां, तो कब तक और उसको कब तक पूर्ण करने का विचार है ?

उत्तर

१. दिनांक १-७-६१ को ही निवाई में गर्ल्स मिडल स्कूल खोल दिया गया है।

२. जी नहीं, जमीन अभी प्राप्त नहीं की है।

३. जी हां, निर्माण-कार्य जमीन प्राप्त होने पर शुरू किया जावेगा।

प्रश्न

मजदूरों की बकाया

५२२. श्री कुमारानन्द (ब्यावर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर की ओर मजदूरों का लगभग ६ लाख रुपया बकाया है?

(२) क्या यह सही है कि इस मिल के मैनेजमेंट ने १२-१२-५६ के लेबर ट्रिब्यूनल एवार्ड ता० २६-१-५८ के समझौते और ता० १३-५-६० के अवार्ड को तोड़ा है?

(३) क्या यह सही है कि मजदूरों ने अपने बकाया वसूली और अवार्ड तथा समझौते आदि को न मानने के बारे में कार्यवाही करने के लिये सरकार को कई बार प्रार्थना की है?

(४) क्या यह सही है कि सरकार के लेबर अफसर ने मजदूरों को बार बार कार्यवाही का आश्वासन देकर भूख हड़ताल करने से रोका?

(५) सरकार ने मजदूरों के बकाया वसूली के सम्बन्ध में मैनेजमेंट पर मुकदमा चलाने की दिशा में क्या क्या कदम उठाये हैं या उठाने का इरादा रखती है?

उत्तर

१. विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर की ओर मजदूरों का जो बकाया है, उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. जी हां, श्रम अधिकारी ने मजदूरों को भूख हड़ताल न करने की सलाह दी है। क्योंकि मामले सब-जुडिस हैं।

५. इस सम्बन्ध में अलग २ केसेज़ में जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण भाग १ के उत्तर में सदन की मेज पर रखे गये स्टेटमेन्ट में शामिल है।

परिशिष्ट

(सूची)

Statement of cases decided and pending for realisation against (M/S Bijai Cotton Mills, Co. Ltd. Bijainagar.)

S. No.	C. No.	Subject matter of the case.	Amount claimed.	Amount received,	Amount to be recovered.	Action taken so far and present position.
1	2	3	4	5	6	7
1.	6/57	Difference of wages under Minimum Wages Act.	11,622. 89 11,622.89 23245.78 Compensation.	8,003,00	15,245.78	The mills worked third shift for some time in 1956. The mill did not pay wages according to the Notification fixed by the Government under the Minimum Wages Act. A claim for Rs., 11,622.89 was filed. The Court allowed the claim and also allowed compensation to the workers amounting to Rs. 11,622.89. Thus total amount of Rs. 23,245.78 was directed to be paid. After considerable time when action for the recovery of the amount was taken the mill filed a writ. The writ application was rejected. when the properties of the

1	2	3	4	5	6	7
						Mills were attached and put to auction, the management has disbursed about Rs. 8,000/—to the workers. The recovery proceedings are going on in the S.D.M, Beawar's Court.
2.	1/61	Lay Off Compensation.	1510.00	1350.93	159.07	Execution proceedings pending in the Court for recovery of the amount. Some amounts were disbursed. The balance to be recovered is Rs. 159.07 N. P. only.
3.	Item No. 3 of agreement Dt.29.1.58	Lay off compensation from 1.5.56 to 24.6.57.	2500.00	2340.93	159.07	The management has been aked to pay the amount and he has started paying.
4.	Item No. 5 (II) of 29.1.58	P.F. Contribution deducted from lay off compensatlon.	157.50	57.00	100.50	The Management has been asked to pay the amount and he has started paying.
5.	Item No.	Wages for 16.10.55 to	110.76	42.96	67.80	The Management has been

1	2	3	4	5	6	7
	5 (iv) of 29.1.58	workmen's of 3rd shift.				asked to pay the amount and he has started paying.
6.	Item No. 5 (vi) of 29.1.58	Wages for June 56	623·6·9 OR 623.42	167.00	456.42	The management has been asked to pay the amount and he has started paying.
7.	6/58	Regarding Due Wages.	691.60		691.60	

Statement of cases Pending with the Court for Decision. (Bijai Cotton Mills, Bijainagar.)

S. No.	Case No.	Subject matter of the case.	Where pending.	Approxmate amount involved.	Present position of the case.
1.	2 of 60	Difference of Wages under Minimum Wages	S. D. M. Beawar.	About Rs. 12,68,000	Hearing fixed for 14.5.62 for arguments on the point of limitation. (Award dated 12.12.56 given by the Labour Appellate Tribunal, Bombay. Appeal by management in Supreme Court which was dismissed (claim for recovery was filed by the Labour Inspector, Beawar on 8.11.60)
2.	Ex.No. 15/60	Difference of Wages	High Court.	Rs. 8,668.37 N.P.	The case has not come on the cause list so far. By persuation however the Labour Department could got same amount disbursed. The balance to be recovered now is Bs. 8,668.37
4.	5/60	Compensation of involuntary and employment from 14.8.57 to 18.2.58	Government	Rs. 2,03,794.13 N.P.	Government moved for filling a writ, as the case has been rejected by the S. D. M.
5.	7/57	Revision Wage Notification.		Rs. 2,898.23 N.P.	reference to Law Department.

प्रश्न

दौसा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा प्लॉट्स का नीलाम

५२३. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या दौसा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो प्लॉट नीलाम किये गये हैं उनकी नियमानुसार एस. डी. ओ. व कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई है ?

(२) क्या म्युनिसिपल बोर्ड, दौसा द्वारा बिला नीलाम भी प्लॉट अलॉट किये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी तादाद में व किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) सरकार की विज्ञप्ति दि० ८-३-६१ के अनुसार जिलाधीश द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा नूजल भूमियों की कीमत निश्चित कर देने के बाद पुनः एस. डी. ओ. व कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(२) जी हां। मैसर्स ओवरसीज़ ट्रेड लिंकिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर को चार प्लॉट्स दिये गये थे।

प्रश्न

सणदरा बांध का सर्वे

५२४. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सणदरा बांध (पंचायत समिति, जसवन्तपुरा) का सर्वे आज से करीबन ४ साल पहले हो चुका था ?

(२) यदि हां, तो इस योजना का कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरु किया गया ?

(३) क्या सरकार इस कार्य को अब शीघ्र ही शुरु करवाने का विचार रखती है ?

(४) यह योजना कितने वर्ष व कितनी धनराशि से पूरी होगी ?

उत्तर

१. प्रारम्भिक सर्वे की गई थी।

२. बंध की नींव, उसके बनानेवाली मिट्टी की जांच व उसका डिज़ाइन फाइनेलाइज़ करने में समय लग गया।

३. जी हां।

४. आशा है कि यह योजना कार्य शुरु होने के लगभग चार साल बाद पूर्ण होगी तथा इस पर लगभग ४५ लाख रुपये व्यय होने की संभावना है।

प्रश्न

युवक कल्याण प्रोग्राम

५२५. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 'युवक कल्याण प्रोग्राम' के लिए द्वितीय योजना काल में किन किन प्रवृतियों के लिए कितनी कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया था तथा कुल कितनी राशि किन किन प्रवृत्तियों में व्यय की गई ?

(२) तृतीय योजना काल में 'युवक कल्याण प्रोग्राम' के लिए कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है ?

(३) क्या सरकार 'प्रोग्राम' के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकारी व राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न युवक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक मिलीजुली कमेटी बनाए जाने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

१. ऐसी कोई योजना व प्रावधान नहीं थे।

२. कोई प्रावधान नहीं है।

३. समाज कल्याण विभाग तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ऐसी कोई योजना नहीं रखता है; अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

औद्योगिक बस्ती में जमीन का अलॉटमेन्ट

५२६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अलवर शहर की औद्योगिक बस्ती में किन किन लोगों को किस किस उद्योग के लिए जमीन अलॉट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) इनमें से कितने औद्योगिक संस्थानों ने काम करना शुरु कर दिया है ?

(३) सरकार ने जमीन के अलावा इन संस्थानों को अन्य कौन कौनसी सुविधायें देने का प्रावधान रखा है ?

उत्तर

१. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. किसी भी उद्योग का काम अभी तक शेडस पूर्ण न होने की वजह से चालू नहीं हो सका है ।

३. इस उद्योग बस्ती में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्योगपतियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जावेगी :—

१. विद्युत एवं पानी की उपलब्धि ।

२. नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन, दिल्ली द्वारा मशीनों का आसान किश्तों पर दिलाया जाना ।

३. उद्योगों की राजकीय सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता ।

४. कच्चे माल का प्रबन्ध ।

५. समय समय पर लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार के द्वारा तकिनकी राय का दिया जाना ।

६. रियायती दर पर शेड का किराया अथवा हायर प्राइसेज़ स्कीम के अन्तर्गत शेड का दिया जाना ।

सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसे औद्योगिक बस्ती में जमीन अलॉट की गई	नाम उद्योग
१	२	३
	(ए) टाइम शेड	
१.	सर्वश्री जेन्सन इन्डस्ट्रीज़, अलवर	कन्डल पाइप, स्टील फर्नीचर और तीन पहियों की साईकिलें।
२.	सर्वश्री राजस्थान पेन्ट कलर वार्निश वर्क्स, अलवर।	पेन्ट कलर व वार्निश।
३.	सर्वश्री राजस्थान टिन एवं मैटलउत्पादक सहकारी समिति, अलवर।	टिन कन्टेनर्स।
४.	मोडवानी इन्डस्ट्रीज, न्यू देहली, अलवर।	ट्रान्जिस्टर रेडियो।
५.	सर्वश्री वायरलेस टेलिविज़न कॉरपोरेशन, न्यू देहली, अलवर।	ट्रान्जिस्टर रेडियो।
६.	सर्वश्री दी इन्डस्ट्रियल एन्ड कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, श्री बाबूराम जैन, अलवर।	मशीन स्क्रू जेज।
७.	सर्वश्री यादराम, कोटकासिम, अलवर।	फ्रेक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर्स।
८.	सर्वश्री इन्टरनल प्रोडक्ट्स, देहली-अलवर।	प्लास्टिक शेड्स।
	(बी) टाइम शेड्स	
१.	सर्वश्री अरावली इन्डस्ट्रीज़, अलवर।	प्लास्टिक शेड्स।
२.	सर्वश्री राजस्थान मैटल एन्ड इनेमल वर्क्स, अलवर।	एनेमल पेन्ट्स।
३.	सर्वश्री बाबूराम जैन, अलवर।	टूल्स।

प्रश्न

गंगानगर म्युनिसिपल कौंसिल का सुझाव

५२७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या गंगानगर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए गंगानगर म्युनिसिपल कौंसिल ने भूमि एक्वायर करने के लिये सरकार को कोई सुझाव भेजे हैं ? अगर हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी नहीं ! प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न

शेरों को मारने पर पाबन्दी

५२८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अलवर तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों में शेरों द्वारा कई आदमियों और मवेशियों को मारने की घटनायें हर साल होती रहती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जनता को अपनी फसल को बरबादी से रोकने या अपनी और अपने माल-मवेशी की रक्षा करने के लिए भी शेर को मारने की इजाजत नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि इस इलाके के लोगों ने शेर तथा अन्य जंगली जानवरों, जो कि फसल तथा स्वयं आदमी एवं माल-मवेशी की जान के लिए खतरनाक हैं, को मारने पर पाबन्दी हटाने की सरकार से मांग की है ?

(४) इस सम्बन्ध में क्या सरकार मौजूदा पाबन्दी हटाने के लिए तैयार है ?

उत्तर

१. आदमी मारने की घटना तो अभी तक नोटिस में नहीं आई है, अलबत्ता साल में यदा-कदा मवेशी मारने की घटनायें हो जाती हैं ।

२. अपनी जान-माल व मवेशी की रक्षा के लिये शेर मारने की इजाजत है ।

३. जी हां; किन्तु इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है । अतः उसको हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

४. प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न

कोयले का वितरण

५२९. श्री मूलचन्द (दौसा) : क्या उद्योग एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर जिले की तहसीलों में जो कोयला दिया जाता है वह किनके मार्फत दिया जाता है और किन संस्थाओं को लाइसेन्स अथवा परमिट किन आधार पर दिये जाते हैं ?

(ख) दौसा क्रय-विक्रय समिति को जो कोयला दिया जाता है वह किनके मार्फत दिया जाता है तथा उसकी रेट क्या है ?

(ग) क्या इस दर से सहकारी समिति को नुकसान नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) सीधे लाइसेन्स न देने में क्या अड़चनें हैं ?

(ङ) क्या सरकार सहकारी समिति को सीधे लाइसेन्स देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

क. जयपुर जिले की तहसीलों में दिया जाने वाला कोयला जयपुर में स्थित कोल एजेन्टों के मार्फत दिया जाता है । इस कोयले का वितरण उप-जिलाधीश, की सिफारिश पर जिलाधीश द्वारा किया जाता है ।

ख. दौसा क्रय विक्रय समिति को कोयला उप-जिलाधीश, दौसा की सिफारिश पर ही दिया जाता है । इसकी वर्तमान रेट ११.२० न० पै० प्रति क्विन्टल है ।

ग. कोयले की रेट कोयले की कीमत के बिल व उस पर आया हुआ तमाम खर्चा व कमीशन आदि सभी जोड़ कर प्रति क्विन्टल रेट निर्धारित की जाती है । अतः नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

घ. चूंकि कोयला रेक सिस्टम के जरिये आता है इसलिए यह सम्भव नहीं है कि दौसा के लिए कोलरी से सीधा परमिट दिया जा सके ।

ङ. प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न

अजमेर जिले का मिनरल सर्वे

५३०. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अजमेर जिले का मिनरल सर्वे कभी कराया गया है ?

(२) अगर नहीं, तो उक्त सर्वे कराने का कब तक विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां, अभी भी कार्य चालू है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न

कार्यादह नाले से पानी की व्यवस्था

५३१. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ब्यावर से २२ मील दूर कार्यादह नाले से पानी प्राप्त करने के लिये कई बार सर्वे किया जा चुका है तथा इंजीनियर की सिफारिश के बावजूद भी इस नाले से पानी लाने की व्यवस्था नहीं की गई है ?

(२) क्या कार्यादह नाले से पानी की व्यवस्था करने पर तारागढ़, फूलसागर, नवाजा कालोनर, राज़ोदावास नालिस व मकरेरा आदि स्थानों पर भी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है ?

उत्तर

(१) इस नाले की प्राथमिक जांच की गई थी परन्तु योजना महंगी होने के कारण स्थगित कर दी गई ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न

अलेक्जेन्ड्रा हॉस्पिटल, अलवर

५३२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या अलवर शहर के अलेक्ज़ेन्ड्रा अस्पताल में इस समय कोई सर्जन नहीं है ?

(आ) क्या यह सही है कि इस समय एक रिटायर्ड डॉक्टर (सर्जन) अवैतनिक तौर पर सर्जन का काम कर रहे हैं ?

(इ) यदि हां, तो सरकार अलवर के अलेक्ज़ेन्ड्रा अस्पताल में वैतनिक सर्जन कब तक भेजने का इरादा रखती है ?

उत्तर

१. हां, वैतनिक तोर पर नहीं है; अवैतनिक तौर पर है।

२. जी हां।

३. अलेक्ज़ेन्ड्रा अस्पताल में वैतनिक तौर पर एक सीनियर स्पेश्यलिस्ट (सर्जन) की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न

झालाटाला बांध का सर्वे

५२३. **श्री नत्थीसिंह** (गोविंदगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या लक्ष्मणगढ़ (अलवर) झालाटाला बांध का सर्वे किया गया था ?

(२) यदि हां, तो सर्वे की रिपोर्ट अधिकारियों ने क्या दी और क्या उस रिपोर्ट पर विचार हुआ ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार उस बांध की मरम्मत आदि करवाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अधिकारियों ने इस बांध को मरम्मत कराने की सलाह दी है, जिसका तखमीना तैयार कर दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

(३) जी हां।

प्रश्न

गंगानगर जिले में टी० बी० क्लिनिक का अभाव

५३४. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि चूरू व श्री गंगानगर जिलों में टी. बी. क्लिनिक के अभाव में अनेक रोगी काल कवलित हो जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर टी. बी. क्लिनिक चालू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

१. जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

२. गंगानगर अस्पताल में टी. बी. के रोगियों के लिये २० आइसोलेशन बैड्स की व्यवस्था है तथा एक क्षय रोग विशेषज्ञ वहां पर लगाया हुआ है, जिसकी सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। रतनगढ़ (चूरू) जिले में टी. बी. आइसोलेशन बैड्स पंचवर्षीय योजना में खोले जाने की सम्भावना है।

प्रश्न

रूपारेल नदी पर बांध की योजना

५३५. श्री नत्थीसिंह (गोविंदगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में रूपारेल नदी पर घाट वियर बांध बनाने की स्कीम स्वीकार हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकार की गई है और यह कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) घाट जिस पर वियर सन् १९५५ में बन चुका है; इसको ३॥ फीट ऊंचा करने के लिये ३८,०००) रु० की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस काम को करने के लिये टेंडर्स मांगे गये हैं और काम शीघ्र शुरू कर दिया जावेगा।

प्रश्न

प्राइमरी स्कूल का मिडल स्कूल में परिवर्तन

५३६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कालू एवं नापासर, जिला बीकानेर की गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स में कुल कितनी कितनी लड़कियां हैं—खासतौर से पांचवीं कक्षा में तथा लड़कों के प्राइमरी स्कूल में कुल कितने २ विद्यार्थी हैं ?

(२) उपरोक्त संस्थाओं को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

१. कालू एवं नापासर की कन्या प्राथमिक शाला में कुल संख्या क्रमशः ८४ व २०२ है व पांचवीं कक्षा में क्रमशः संख्या ६ व ५ है। कालू प्राथमिक शाला (लड़कों) की में संख्या

२१४ है तथा नापासर में छात्र संख्या १०२ है। कालू में पांचवीं कक्षा में २६ छात्र हैं तथा नापासर में कक्षा दो तक ही है।

२. प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। उपरोक्त शालायें भी यदि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती होंगी तो दूसरी ऐसी ही शालाओं के साथ साथ इनको भी अपग्रेड करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न

अलवर में गर्ल्स कॉलेज व लॉ और एम० ए० क्लासेज

५३७. श्री नत्थीसिंह, (गोविंदगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार अलवर में गर्ल्स कॉलेज खोलने का विचार कर रही है? अगर हां, तो यह कब तक चालू हो जावेगा?

(२) क्या सरकार अलवर में लॉ और एम० ए० क्लासेज़ खोलने का भी विचार रखती है? अगर हां, तो ये क्लासेज़ कब तक चालू की जा सकेंगी?

उत्तर

१. इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

२. सरकार का अलवर में लॉ और एम० ए० कक्षायें खोलने का कोई विचार नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति इस सम्बन्ध में यह है कि भविष्य में सिवाय विश्वविद्यालय केन्द्रों के कहीं भी ये कक्षायें नहीं खोली जायें और जहां जो भी एम० ए० कक्षायें हैं उन कक्षाओं के स्तर को ऊंचा किया जावे।

प्रश्न

चम्बल कमान्डेड क्षेत्र में कृषित भूमि

५३८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला कोटा में तहसील लाडपुरा, दीगोद व बड़ोद में कितनी कृषित भूमि चम्बल कमान्डेड क्षेत्र में नहीं है व कुल कृषि भूमि उक्त तहसीलों में कितनी है? कृपया प्रत्येक तहसील के अलग २ आंकड़े देने का कष्ट करें।

उत्तर

सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न

उदयपुर जिले के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले

५३६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) उदयपुर जिले के शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग में इतने कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनका तबादला सन् १९६१ में तीन या तीन से अधिक बार हुआ ?

(२) उदयपुर जिले में कितने ऐसे गजटेड ऑफिसर हैं जो उसी जिले या उसी तहसील के निवासी हैं ? कृपया सूची सदन के समक्ष रखें ।

उत्तर

सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

स्थगित प्रश्न

(२०–४–६२)

किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में सहूलियत

२९१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि भारत पाक नहरी समझौता होने के बाद गंगनहर क्षेत्र की आबपाशी पहले के मुकाबले में काफी कम हो गई है जिसके परिणामस्वरुप सरकारी भूमि का मूल्य ४००) रुपया प्रति बीघा दस सालाना किश्तों में आम पक्के अलॉटी किसान को अदा करना असंभव हो गया है ?

(२) क्या सरकार इन किश्तों की वसूली के संबंध में सहूलियत और रियायत तथा मोहलत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. यह सही नहीं है ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(३०–४–६२)

हरिजनों को जमीन-पाटनवाटी

२३२. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पाटनवाटी (नीम का थाना तहसील) के हरिजनों को जमीन दिलाये जाने के प्रश्न को लेकर कोई दरख्वास्तें सरकार के पास आई हैं?

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी दरख्वास्तें व कितने लोगों की ?

(ग) हरिजनों को कितनी जमीन दी गई ?

(घ) नीम का थाना तहसील में सिवाय चक जमीन काबिल काश्त कितनी पड़ी हुई है और सन् १९५५ से आज तक कितनी जमीन पिछड़े व हरिजन वर्ग को दी गई ?

(ङ) कुल कितनी जमीन आज तक नीम का थाना तहसील में बंटी ?

उत्तर

१. जी हां !

२. निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र पेश हुए :

१. चार प्रार्थना-पत्र श्री एस. एन. चौधरी की ओर से ।

२. दो प्रार्थना-पत्र बैकवार्ड क्लासेज एग्रीकलचरिस्ट्स की ओर से ।

३. १९५ प्रार्थना-पत्र हरिजनों की ओर से व्यक्तिगत रूप से ।

४. दस प्रार्थना-पत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से ।

३. २९९ हरिजनों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैम्बर के रूप में २८४४ बीघा १७ बिस्वा जमीन दी गई ।

४. २९,९७५ बीघा ४ बिस्वा भूमि पड़ी हुई है ।

सन् १९५५ से अब तक ३,०५९ बीघा ५ बिस्वा सिवाय चक जमीन पिछड़े व हरिजन वर्ग को दी गई है ।

५. अब तक इस तहसील में ४८,२९१ बीघा १८ बिस्वा जमीन अलॉट हुई है ।

स्थगित प्रश्न

(१-५-६२)

बारां में मंडी का निर्माण

३५८. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(१) राजस्थान में बारां दूसरे नम्बर की मंडी होते हुए भी वहां मंडी का निर्माण कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया ?

(२) इस निर्माण कार्य हेतु सरकार की कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है ?

(३) यह निर्माण–कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

उत्तर

(१) निर्माण कार्य चालू हो गया है।

(२) इस वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपये का प्रावधान है।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि तक चलेगा।

स्थगित प्रश्न

(१–५–६२)

जयसमुद्र तालाब से नहरों की निकासी

३६२. **श्री उदयलाल वरदिया** (लसाड़िया)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जयसमुन्द्र तालाब से नहरों का निर्माण हुआ है तथा नहरों के साथ एक पटरी भी बनाई गई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर एक पटरी के निर्माण में सलूम्बर सराड़ा तहसील के सैकड़ों किसानों की जमीन ले ली गई है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि नहरों एवं पटरी में आनेवाली जमीन का लगान उस खातेदार किसान से अब भी लिया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों तथा क्या उक्त खातेदार को लगान छोड़ने के साथ साथ दबी हुई जमीन का मुआवजा भी देने का सरकार का विचार है ?

(ङ) ऐसे खातेदारों की संख्या कितनी है और उन्हें मुआवजा कब तक मिल जावेगा ?

उत्तर

(क) इस तालाब की नहरों का निर्माण हुआ है पर पटरी अभी तक पूरी नहीं बनाई गई है।

(ख) नहर के निर्माण के लिये जमीन ली गई है।

(ग) राज्य सरकार के आदेशानुसार ऐसी जमीनों का लगान नहीं लिया जाना चाहिये। राजस्व विभाग से जानकारी की जा रही है कि इनसे लगान लिया जा रहा है या नहीं।

(घ) काश्तकारों ने जमीन के मुआवजे की मांग नहीं की थी। उन लोगों ने राजीखुशी

अपने खेतों से नहर निकालने दी थी। लगान अगर लिया गया है तो लगान छोड़ने व मुआवजा देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ङ) खातेदारों की निश्चित संख्या मालूम की जा रही है। मुआवजा देने का निश्चित समय अभी नहीं बताया जा सकता।

स्थगित प्रश्न

(७-५-६२)

अकादमियों का गठन और उन पर किया गया व्यय

४६२. श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विभिन्न अकादमियों पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है और अभी तक इसका रिटर्न क्या मिला है? इन अकादमियों द्वारा प्रकाशित साहित्य की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इन अकादमियों का गठन केन्द्रीय अकादमियों के आधार पर हुआ है? यदि हां, तो राजस्थान की तीनों अकादमियों का सेन्ट्रल ऑफिस एक स्थान पर ले आने के विषय में सरकार क्या सोच रही है?

उत्तर

(१) राजस्थान साहित्य अकादमी पर ३,५१,७६५) रु०, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पर ३,०८,०५१) रु० तथा ललित कला अकादमी पर २,५३,४४७) रु० अब तक खर्च हुआ है; ये संस्थायें लाभ अर्जित करनेवाली संस्था नहीं हैं, इसलिये जो कुछ रिटर्न मिला है वह धन के रूप में न मिल कर सांस्कृतिक उत्थान के रूप में हुआ है जो कि विभिन्न अकादमियों के प्रकाशन एवं उनकी विविध गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। ये गतिविधियां निम्नलिखित हैं :—

१. सेमीनार,

२. साहित्य रचनालय,

३. प्रदर्शनी,

४. साहित्यिक विचार गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन,

५. प्रकाशन,

६. पुरस्कार, छात्रवृत्तियां,

७. लेखकों व कलाकारों को आर्थिक सहायता,

८. व्यक्तिगत प्रकाशनों पर सहायता,

९. संगीत प्रतियोगितायें,

१०. संगीत समारोह, नाटक समारोह,

११. सक्रिय एवं संरक्षित साहित्य वेत्ता वृत्ति,

१२. अन्तर्राज्यों एवं प्रादेशिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान,

१३. महापुरुषों की शताब्दी समारोह इत्यादि।

(२) साहित्य अकादमी के अलावा संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी का गठन केन्द्रीय अकादमी के आधार पह हुआ था। अब इस वित्तीय वर्ष से साहित्य अकादमी का गठन भी केन्द्रीय अकादमी के आधार पर किया जा रहा है। तीनों अकादमियों का सेन्ट्रल ऑफिस एक ही स्थान पर लाने के लिये राज्य सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है।

राजस्थान संगीत एकेडेमी के प्रकाशन

(१) बीरो म्हारो माई ये गांव	भाई के प्रति बहिन की कल्पनाओं के विभिन्न भाव।
(२) मीठो बीरा रो बोलणो	भाई व भावज के प्रति बहिन की विभिन्न कल्पनाएं।
(३) गई गई रे समद तलाव	सरवर के किनारे घटित होने वाले स्वच्छ प्रेम की कल्पना।
(४) क्यूं दीनो परदेस	ससुराल की विद अनुभूतियों की विभिन्न कल्पनाएं।
(५) मरवण मांदी ओ	संयोग और वियोग अवस्था को लेकर प्रेम की विभिन्न कल्पनाएं।
(६) दोरो पिया मे सासरो	ससुराल की चिर अनुभतियों की विभिन्न परि-कल्पनाएं।

राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रकाशन

(१) अभिसार निशा	रामगोपाल विजयवर्गीय
(२) पूर्ण कलश	डा० रांगेय राघव
(३) साहित्य के मान और मूल्य	—
(४) राजस्थान के कहानीकार (हिन्दी) भाग १	डा० रामचरण महेन्द्र, यादवेन्द्र शर्मा (चन्द्र)

(५) राजस्थान के कहानीकार (राजस्थानी) भाग २ — दीनदयाल ओझा

(६) राजस्थान के कवि (राजस्थानी) भाग २ — रावत सारस्वत

(७) राजस्थान के नाटककार — डा० रामचरण महेन्द्र

(८) गीतांजलि — अनु० रामनाथ व्यास (परिकर)

(९) अद्भुत् नगर — शान्ता गुप्ता

(१०) डाक्टर चम्पक और बचलू — मनोहर वर्मा

(११) बंसुरी — अनु० रावत सारस्वत

(१२) चित्रागंदा — अनु० कुंवर चन्द्रसिंह

(१३) रवि टाकर री वातां — अनु० रानी लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(१४) रविन्द्र पपकवा — अनु० मदन गोपाल शर्मा

राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर के प्रकाशन

(१) मेंहदी माणना

(२) राजस्थानी चित्र कला

(३)...(११) सृजन मासिक–९ अंक

(१२) टैगोर प्रदर्शिनी के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका।

(१३) रानी चन्दा प्रदर्शिनी के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका।

(१४) राजस्थानी चित्रकला प्रदर्शिनी के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका।

(१५) फोटोग्राफिक प्रदर्शिनी के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका।

दिनांक ७ मई, १९६२ का स्थगित प्रश्नोत्तर

मेवों की आवास व्यवस्था

४८५. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सब-तहसील गोविंदगढ़, जिला अलवर में बड़ी तादाद ऐसे मेवों की है जिन्हें मकान व जमीनें अभी तक नहीं मिली हैं ?

(२) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है और यह कब तक हल हो सकेगी ?

उत्तर

१. यह सही नहीं है। केवल ५० परिवार मेवों के ऐसे हैं जिनकी जमीन नहीं मिली और करीब १४० ऐसे परिवार हैं जिनकी उनकी मांग के मुकाबले में कुछ कम जमीन मिली है।

२. इस समस्या को हल करने के लिए यह तय किया गया हैं कि जो शरणार्थी परिवार अपने गांव से मफरूर पाये जायं उनकी जमीन इन मेवों की जमीन की कमी को पूरा करने के उपयोग में ली जाए, यदि किसी के कब्जे में नाजायज़ इवेक्यू जमीन पाई जाए तो वह भी उनसे वापिस ली जाए तथा सन् १९५७ के पट्टेदारों से भी जमीन इवेक्यू वापिस ली जाकर इसी काम में ली जाए। कलेक्टर अलवर तथा भरतपुर द्वारा उपरोक्त आधार पर जमीन अलाट करने की कार्यवाही की गई तथा कतिपय परिवारों को जमीनें दी भी गई। अलवर जिले में इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए श्री शोभाराम की अध्यक्षता में एक कमेटी जुलाई १९६० में बनाई गई। किन्तु जब उपरोक्त कमेटी काफी समय हो जाने के बाद भी उपरोक्त कार्य को शीघ्र समाप्त करने में असफल रही तो राज्य सरकार ने २३-४-६२ की आज्ञा से इस कमेटी को भंग कर दिया परन्तु यदि ऐसे परिवारों के केसेज़ में जिन्हें जमीन नहीं मिली है तथा जिनके क्लेम्स आ चुके हैं यदि खास कठिनाई आवेगी तो स्थानीय कलेक्टर उन्हें उपरोक्त आधार पर सुलझाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ८ मई, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६५५१	२	छात्र-बृत्ति	छात्र--वृत्ति
६५५२	१०	निर्श्चित	निश्चित
६५५५	अन्तिम	क़ायम है	क़ायम हैं
६५५७	११	श्रीमोहनलाल सुखाढ़िया :	श्री मोहनलाल सुखाड़िया :
,,	१२	सबाल	सवाल
,,	अन्तिम से ४	refund	refunded
६५६१	२	तो उत	तो उस
६५६२	७	गया हैं	गया है
६५६५	अन्तिम से ३	the attitude	this attitude
६५७१	७	कार्यब्राही	कार्यवाही
६६०८	१७	किसने काश्तकार	कितने काश्तकार
६६१०	शीर्ष	(श्री भीमसेन)	(श्री राजस्व मन्त्री)
६६१२	१	सेक्शन	सैंक्शन
६६१५	१	भी आने	भी यह आने
६६२३	२०	करेंगीं ।	करेंगी ।
६६३१	३	नही होना	नहीं होना
६६३२	अन्तिमसे १-२	एग्रीयूकल्चर निवर्सिटी	एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
६६४२	अन्तिम से ५	बहुत तोर	बहुत जोर
६६४३	अन्तिम से ६	np afresh	up afresh
६६४४	अन्तिम से २	नाट आफ	नोट ऑफ
६६७०	८	चीच है,	चीज है,
६६७२	शीर्षक	त्रिधेयक,	विधेयक

१	२	३	४
६६७४	अन्तिम से ६	(आसीद)	(आसींद)
६६७७	अन्तिम से ३	देवे वीं	देवे बीं
६६८०	शीर्ष	(थी विजयसिह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
६६८१	१०	वह दिया	कह दिया
६६८६	१४	Udai-pur	Udaipur
६६६१	७	सदस्यों	सदस्यों
६६६२	३	चेयरमैंनशिप	चेयरमैनशिप
६६६४	१६	स्टेटस	स्टेट्स
६६६५	अन्तिम से २	बैसा	वैसा
६६६६	४	उदवपुर	उदयपुर
६७०८	१	Ordear	Order
,,	३	Ordr	,,
६७१०	६	माननींय	माननीय
६७३५	१३	मैने	मैंने
६७३७	अंतिम से ३	(बींकानेर)	(बीकानेर)
६७३६	६	Yes. Sir	Yes, Sir.
६७४७	अन्तिम से ७	Womens	Women's
६७५०	शीर्षक	कृपि विंश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय
६७६७	५	(आमीद)	(आमींद)
६७७३	५	माखरा । चेत्र	माखरा क्षेत्र
६७८०	१६	भ,रत	भारत
६७६६	१८	कर्मशन	कमीशन
६७६८	७	५३३. मी नत्थीसिह (गोविदगढ़)	५३३. श्री नत्थीसिंह (गोविंदगढ़)
६७६६	अंतिम	पचवीं	पांचवीं
६८००	८	क्लासेज	क्लासेज़
६८०१	अन्तिम से १२	में काफी	में काफी

१	२	३	४
६८०२	१६, १७	विस्वा	त्रिस्वा
६८०३	१०	टह	यह